SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर -सीमा शुल्क)

2024 की संख्या 17

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना
(ईपीसीजी)
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
(राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर -सीमा शुल्क)
2024 की संख्या 17

(..... को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	i
2	कार्यकारी सार	iii to xv
3	शब्दों एवं संकेताक्षरों की शब्दावली	xvii to xix
4	अध्याय I : ईपीसीजी योजना का विहंगावलोकन	1-9
5	अध्याय II : ईपीसीजी प्राधिकारों को जारी करना	11-45
6	अध्याय III : ईपीसीजी प्राधिकारों का उपयोग	47-74
7	अध्याय IV : मोचन न किए गए ईपीसीजी प्राधिकार	75-83
8	अध्याय V : ईपीसीजी प्राधिकारों का मोचन	85-108
9	अध्याय VI : अंतर्विभागीय समन्वय एवं प्रणालीगत मुद्दे	109-141
10	अनुलग्नक	143-164

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी)योजना संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2022-23 की अवधि के दौरान किए गए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए एवं जिनमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि के संव्यवहारों को शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्राप्त सहयोग के प्रति आभार प्रकट करती है।

कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्राधिकारों का जारी किया जाना, उपयोग, मोचन एवं कार्यान्वयन कुशल एवं प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने योजना के क्रियान्वयन में शामिल अंतर-विभागीय समन्वय की प्रभावकारिता एवं राजस्व हानि, दुरुपयोग आदि के जोखिमों को कम करने के लिए क्या आंतरिक नियंत्रण उपाय पर्याप्त हैं, की भी जांच की। लेखापरीक्षा में डीजीएफटी, इसके क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) एवं संबद्ध सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से शामिल किया गया था।

पूरे भारत में कुल 24 आरए हैं, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा (2018-19 से 2020-21) में शामिल अवधि के दौरान ₹42,714 करोड़ की राशि के अधित्यक्त शुल्क के साथ कुल 34,777 प्राधिकार जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत निर्यातों का कुल एफओबी (फ्री-ऑन बोर्ड) मूल्य ₹2,49,137 करोड़ था। डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 1,08,798 प्राधिकारों, जिनकी निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) समाप्त हो गई थी, का, मार्च 2021 के अंत तक मोचन नहीं किया गया था।

यह लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 एवं जनवरी 2023 के बीच की गई थी। लेखापरीक्षा ने 24 क्षेत्रीय प्राधिकारणों में से 18 का एवं 22 सीमा शुल्क स्थलों का चयन किया जिनमें निर्यात दायित्वों के निर्वहन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं अनुवर्ती निर्यातों की अनुमति देने के लिए आरएओं द्वारा जारी प्राधिकारों को पंजीकृत किया गया था। योजना के अवधि-चक्र के प्रत्येक चरण में व्यापक कवरेज एवं प्राधिकारों का शुरू से अंत तक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, चार श्रेणियों से 4,450 प्राधिकारों के नमूने लिए गए, अर्थात श्रेणी ए (2018-2021 की अवधि के दौरान जारी किए गए 836 प्राधिकार), श्रेणी बी (2018-2021 की अवधि के दौरान मोचन किए गए 1,275 प्राधिकार), श्रेणी सी {1,312 मोचन न हुए प्राधिकार जिनकी निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी}

एवं श्रेणी डी (2015-2018 की अवधि के दौरान जारी किए गए 813 प्राधिकार, जिनकी 50 *प्रतिशत* ईओ के दायित्व को पूरा करने की पहली ब्लॉक अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी)।

4,450 चयनित मामलों में से, क्षेत्रीय प्राधिकरणों को बार-बार अनुरोध/अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद 12 क्षेत्रीय प्राधिकरणों (मुख्यतः बैंगलुरू, कोलकाता, चेन्नई, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं दिल्ली) से संबंधित ₹2,225.22 करोड़ के डीएसवी मूल्य वाली 214 प्राधिकार फाइलें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में 72 लेखापरीक्षा टिप्पणियां एवं 22 सिफारिशें हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹479.81 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है। यद्धपि, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/डीजीएफटी से केवल 31 पैराओं के लिए उत्तर प्राप्त हुए थे जिनमें से सीबीआईसी/डीजीएफटी ने 27 पैराओं को पूर्णतः/आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया हैं। शेष 41 पैराओं के संदर्भ में उत्तर की प्रतीक्षा है। इसी प्रकार, सीबीआईसी/डीजीएफटी द्वारा 26 में से 20 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; दो सिफारिशों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है एवं चार सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

अध्याय I: ईपीसीजी योजना का विहंगावलोकन

ईपीसीजी योजना भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-2014 के तहत, ईपीसीजी योजना ने शून्य सीमा शुल्क {या रियायती दर (तीन प्रतिशत) जिसे एफटीपी 2015-2020 में बंद कर दिया गया था} पर पूर्व-उत्पादन, उत्पादन एवं पश्च-उत्पादन हेतु पूंजीगत वस्तुओं (परिशिष्ट 5 एफ में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर) के आयात की अनुमति दी थी। जारी ईपीसीजी प्राधिकार आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्कों, करों एवं उपकर की राशि के छह गुना (रियायती दर के संबंध में आठ गुना) के बराबर निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति के अध्यधीन है जिसे प्राधिकार जारी करने की तारीख से छह वर्षों (रियायती दर के संबंध में आठ वर्ष) में पूरा किया जाना है।

(पैरा 1.1)

यह योजना डीजीएफटी (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा प्रशासित है, जबकि वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी), राजस्व

विभाग (डीओआर) द्वारा प्राधिकारों के सापेक्ष किए गए आयातित इनपुट एवं निर्यात पर सीमा शुल्क लगाने से छूट दी गई है।

(पैरा 1.2)

लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

अध्याय II: ईपीसीजी प्राधिकारों को जारी करना

लेखापरीक्षा ने विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) का गलत निर्धारण पाया, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए समान औसत निर्यात दायित्व (एईओ) को निर्धारित करना तथा एक ही वित्तीय वर्षों के लिए विभिन्न एईओ एवं स्थिति-परिवर्तन के या शुल्क बचत मूल्य (डीएसवी) के वास्तविक उपयोग के कारण, इसका गैर-अद्यतन ईओ की पूर्ति की मॉनीटरिंग न करने को दर्शाता है। आवधिक रिटर्न ही आरएओं के पास ईओ का निर्धारण करने एवं ईओ पूर्ति की उचित निगरानी करने का एकमात्र उपकरण हैं, नियमित रिटर्न के लिए जोर देना या रिटर्न न प्रदान करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना, पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता, विभाग को उन मामलों में सजग नहीं करता है जहां एसईओ/एईओ गलत निर्धारण किया गया एवं अद्यतन नहीं किया गया तथा बिना मोचन के रह गए या योजना के अंतर्गत अनुमत लंबी अवधि के बाद, निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र (ईओडीसी) दे दिया।

(पैरा 2.1 एवं 2.2)

लेखापरीक्षा ने पाया कि अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) तंत्र कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य निर्यातकों से प्राधिकार की शर्तों का सख्ती से अनुपालन करवाना था, अप्रभावी रहा, क्योंकि संस्थाओं को डीईएल के अंतर्गत रखने में विलंब हुआ तथा अनेक स्थगन आदेश जारी किए गए। जैसा कि चिन्हांकित मामलों से देखा जा सकता है, कि बिना कोई कारण दर्ज किए स्थगन आदेश जारी कर दिए गए तथा बिना स्थगन आदेश जारी किए ही डीईएल स्थिति धारक को भी प्राधिकारों को जारी किया गया। किसी निर्यातक को जारी किए जाने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इकाईयों को स्थगन स्थिति में रखने के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)/तंत्र निर्धारित नहीं है। स्थगन देना और वह भी अनेक मामलों में कई-कई बार, इकाईयों को डीईएल सूची में रखने के उद्देश्य को विफल करता है। स्थगनन, इकाई के लिए एफटीपी की शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है। डीजीएफटी

ईडीआई प्रणाली को किसी इकाई का पूरा लेखा-जोखा देना चाहिए, अर्थात कब उसे डीईएल के अंतर्गत रखा गया, कब स्थगन दिया गया, इकाई द्वारा एफटीपी शर्तों का उल्लंघन आदि। यह लेखा-जोखा सभी आरएओं के पास उपलब्ध होना चाहिए। इस बात की निगरानी की जानी चाहिए कि ऐसी संस्थाएं एफटीपी के प्रावधानों का अति सतर्कतापूर्वक अनुपालन कर रही हो।

(पैरा 2.4.1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापार सुगमता के अंतर्गत आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु ऑनलाइन प्रणाली के सुविधा उपायों की समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं करती है, बल्कि केवल दस्तावेजों को जमा करने से पहले दस्तावेजों को अपलोड करने का संकेत देती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि भले ही कुछ अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हों, सिस्टम प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है जो ऑनलाइन सिस्टम में वैधता नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट की कमी को दर्शाता है जो दुरुपयोग के जोखिम से भरा है अर्थात असंबंधित/अपात्र/प्रतिबंधित पूंजीगत वस्तुओं का आयात, एसईओ का गलत निर्धारण, आदि।

(पैरा 2.6)

घरेलू खरीद के मामलों में सहायक निर्माता का समर्थन, निर्यात उत्पाद का विवरण, प्राधिकारों में निर्यात दायित्वों के साथ-साथ अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ) जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के बिना प्राधिकार जारी करने से योजना के तहत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के विचलन और परिणामस्वरूप गैर-लेखा/निगरानी द्वारा दुरुपयोग का जोखिम भरा है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है एवं अनिवार्य अपेक्षाओं/सूचना की पुष्टि किए बिना प्राधिकार जारी करने को प्रतिबंधित करने के लिए अपेक्षित वैधता नियंत्रणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(पैरा 2.7)

डीजीएफटी ने (नवंबर 2020) आवेदन प्राप्ति एवं प्राधिकारों के प्रसंस्करण के लिए एक नई ऑनलाइन एवं केंद्रीकृत डीजीएफटी प्रणाली में स्थानांतरित हो गया था। अपनाई गई नई आईटी प्रणाली को इन मुद्दों को चिन्हित करना चाहिए, हालांकि, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के बाद भी, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे प्राधिकार जारी किए जा रहे हैं।

(पैरा 2.8)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए एचबीपी/एफटीपी में निर्धारित समयसीमा का क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता है।

(पैरा 2.9)

एफटीपी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीएफटी में डाटा चालित/अनुसरित निगरानी तंत्र होना चाहिए। पहले के प्राधिकारों के दायित्वों की प्रगति की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना बाद के प्राधिकारों को जारी करना एक जोखिम कारक माना जाना चाहिए।

(पैरा 2.10)

अध्याय III: ईपीसीजी प्राधिकारों का उपयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी आईटी प्रणाली, प्राधिकार जारी करने, एसईओ आदि के संबंध में डेटा एकत्र करती है, हालांकि, प्राधिकारों के उपयोग का डेटा अर्थात आयातित पूंजीगत वस्तुओं (सीजी) के ब्यौरे/बचत शुल्क को डीजीएफटी द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता है तथा जैसाकि भौतिक प्राधिकार फाइलों के सत्यापन से देखा गया वे आरए के साथ उपलब्ध नहीं थे।

(पैरा 3.1)

आरए पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं समय पर संस्थापन प्रमाण-पत्र (आईसी) प्रस्तुत करने की निगरानी नहीं कर रहे थे। यद्यपि, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए आयात के ब्यौरे संदेश विनिमय प्रणाली (एमईएस) के माध्यम से आरएओं हेतु प्राप्य हैं, लेखापरीक्षा ने पाया कि बहुत से आरए नियत तारीख के बाद जारी किए गए प्राधिकारों के सापेक्ष आयातित पूंजीगत माल की पहचान हेतु इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर रहे थे एवं प्राधिकारों के वास्तविक उपयोग की स्थिति आरए को तब तक ज्ञात नहीं होती जब तक कि प्राधिकार धारक संस्थापना प्रमाणपत्र (आईसी)/ईओडीसी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देता।

(पैरा 3.2)

पूंजीगत वस्तुओं की घरेलू खरीद के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने पर दोहरे लाभ (आईजीएसटी के भुगतान से छूट का लाभ उठाने एवं शुल्क मुक्त वस्तुओं का आयात करने)लेने का जोखिम होता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को डीजीएफटी द्वारा सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। आरए एवं सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच एमईएस सभी आरए कार्यालयों में पूरी तरह कार्यशील नहीं थे तथा ऐसे आरएओं में मैनुअल संचार की

पुरानी प्रथा अभी भी जारी थी और क्या संचार, पंजीकरण पोर्ट तक पहुंच रहे थे अथवा नहीं, इसकी निगरानी आरएओं या सीमा शुल्क द्वारा नहीं की गई थी।

(पैरा 3.4)

एफटीपी/एचबीपी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पंजीकृत पोर्ट के अलावा अन्य पोर्ट से पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने से एक ही प्राधिकरण का उपयोग करके कई बंदरगाहों से पूंजीगत वस्तुओं के आयात का जोखिम होता है, जिससे राजस्व पर असर पड़ता है और बांड के दुरुपयोग का भी जोखिम होता है। सीमा शुल्क/आरए को ऐसे मामलों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए और गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों में, सीमा शुल्क विभाग या आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(पैरा 3.6)

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में सीमा शुल्क प्राधिकार उपयोग मॉड्यूल से प्राधिकारों के शुल्क बचत मूल्य (डीएसवी) की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है एवं इससे अधिक आयात की निकासी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिसे शुल्क के भुगतान अथवा निर्यात दायित्व में वृद्धि करके नियमित किए जाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क एवं डीजीएफटी दोनों द्वारा अत्यधिक आयातों की निगरानी न किए जाने से सूचना के आदान-प्रदान एवं गैर-अनुपालन वाली फर्मों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने में दोनों विभागों के बीच कमजोर संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।

(पैरा 3.7)

लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तारित अवधि के भीतर ईओ की पूर्ति की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निर्यात आदेश, खरीद संविदाओं, ब्लॉक-वार दायित्व को पूरा करने, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने आदि के रूप में किसी भी उचित आश्वासन के बिना नियमित तरीके से विस्तार प्रदान किए गए थे।

(पैरा 3.8)

अध्याय IV: मोचन न किए गए ईपीसीजी प्राधिकार

योजना में न केवल पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है बल्कि निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एक लंबी परिपक्वता अवधि भी प्रदान की जाती है और इसलिए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा यथोचित निगरानी की आवश्यकता है। नियमित रूप से आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करने और सीमा शुल्क के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान, चूककर्ता एएच

की पहचान करने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण की आवश्यकता थी, ताकि एफटीडीआर में निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जा सके। केंद्रीय सर्वर डेटा को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना है एवं एमआईएस रिपोर्टों के साथ मिलान किया जाना है।

(पैरा 4.2)

डीजीएफटी को ईओ की ब्लॉकवार निरंतर एवं नियमित निगरानी करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने की आवश्यकता है, साथ ही प्राधिकार धारक द्वारा मोचन आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक विलंब के लिए कार्रवाई शुरू करने की भी आवश्यकता है।

(पैरा 4.3)

अध्याय V: ईपीसीजी प्राधिकारों का मोचन

शिपिंग बिल्स (एसबी) में प्राधिकार विवरणों को लेखांकित करने की अनिवार्य आवश्यकता एक अंतर्निहित जांच है, जिसकी परिकल्पना डीजीएफटी द्वारा एकाधिक प्राधिकारों/अन्य योजनाओं के लिए एक ही निर्यात के अनेक बार उपयोग को रोकने के लिए की गई थी, हालांकि, आरएओं द्वारा इस पर जोर नहीं दिया गया तथा हलफनामे/चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहे थे, एसबी को, बिना किसी नमूना जांच आधारित सत्यापन के, ईओ का निर्वहन मान लिया जाता है, जो आवेदकों/सीए द्वारा गलत घोषणाएं/ प्रमाणन करने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

(पैरा 5.1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात दायित्व की निगरानी और ईओडीसी जारी करने की प्रक्रिया के लिए नियंत्रण परिवेश अपर्याप्त है और डीजीएफटी द्वारा इसकी समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त की पुष्टि किए बिना ईओडीसी जारी करने, अयोग्य वस्तुओं (प्राधिकार में उपलब्ध नहीं) के निर्यात, अयोग्य एसबी, एईओ/एसईओ की पूर्ति न करने, एसएसआई इकाई को दी गई एईओ की गलत छूट आदि के मामले पाए गए। इसके अलावा, ईओडीसी जारी करने में देरी के कारण, एक ही एसबी का उपयोग एईओ और एसईओ दोनों के लिए किया गया था। तीसरे पक्ष के निर्यात, सहायक निर्माताओं और प्राधिकार विवरण के साथ एसबी का गैर-लेखांकन के संबंध में गैर-अनुपालन भी पाया गया।

(पैरा 5.2 से 5.9)

यह योजना हमारी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्तायुक्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, इसलिए निर्यात आय के विलंबित/अल्प प्रेषण तथा डीजीएफटी द्वारा इसकी गैर-निगरानी की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 5.11)

अध्याय VI: अंतर्विभागीय समन्वय एवं प्रणालीगत मुद्दे

बैठकों का समय पर और नियमित रूप से आयोजन, उचित दस्तावेजीकरण (कार्यवृत्त) के साथ-साथ कार्रवाई योग्य मदों का अनुवर्तन, आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय करने से आंतरिक नियंत्रण परिवेश मजबूत होता।

(पैरा 6.1)

ईपीसीजी योजना से संबंधित व्यापार मुद्दों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और योजना के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र को संस्थागत बनाया जा सके।

(पैरा 6.1.3)

डीजीएफटी की विभिन्न आईटी प्रणालियों के बीच मोचन किए गए/मोचन नहीं किए गए प्राधिकारों का बेमेल होना यह दर्शाता है कि आईटी प्रणालियों एवं इसके एकीकरण तथा डाटा प्रबंधन में कमियां हैं तथा पारदर्शिता एवं निगरानी के संबंध में भी चुनौतियाँ हैं, जिनका मिलान किए जाने तथा पर्याप्त रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

(पैरा 6.7)

नियमित रिटर्न के लिए जोर देने या कमजोर निगरानी तंत्र को इंगित करने वाले गैर-फाइलरों के विरूद्ध दंडात्मक उपायों को लागू करने में आरए की ओर से निष्क्रियता देखी गई थी एवं इसके परिणामस्वरूप ईओ को पूरा करने के लिए अनुमत लंबी अवधि के बाद बकाया मामलों के बारे में विभाग सतर्क नहीं था। इन आवधिक रिटर्न का उद्देश्य प्रभावी निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों को निरंतर अपडेट करते रहना था और इसलिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा इस पर जोर दिया जाना चाहिए था। क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा डीजीएफटी को भेजी जाने वाली एमआईएस रिपोर्ट में गैर-फाइलरों के तथ्य को भी शामिल किया जाना चाहिए था ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके।

(पैरा 6.9)

डीजीएफटी मुख्यालय और आरएओं दोनों में पर्याप्त संचित रिक्तियों सहित कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी।

(पैरा 6.10.1)

यह योजना हमारी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है और इसलिए निर्यात आय में किसी भी देरी/कम/गैर-प्राप्ति की निगरानी डीजीएफटी द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए, बजाय इसके कि इस पहलू की पुष्टि के लिए एएच द्वारा ईओडीसी के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा की जाए। डीजीएफटी प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए बैंक प्राप्ति के डेटा तक वास्तविक समय तक पहुंच के लिए सीमा शुल्क के समान ईडीपीएमएस पहुंच का अनुरोध कर सकता है।

(पैरा 6.10.2)

सिफारिशें

1. डीजीएफटी विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) और औसत निर्यात दायित्व (एईओ) के निर्धारण में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकता है।

2. डीजीएफटी एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सटीक विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) की गणना के लिए सही टैरिफ दरें अपनाई जाएं।

3. डीजीएफटी के पास अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) को लागू करने और स्थगन आदेश जारी करने के लिए एसओपी/तंत्र के लिए एक समान नीति होनी चाहिए। क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) की ओर से बिना स्थगन आदेश जारी किए डीईएल स्थिति के लिए प्राधिकार जारी करने या कोई कारण दर्ज किए बिना स्थगन आदेश जारी करने की जवाबदेही तय की जा सकती है।

4. यह सत्यापित करने के लिए आईटी प्रणाली में आवश्यक सत्यापन किए जाएं कि क्या कोई अयोग्य/प्रतिबंधित वस्तु आयात की गई है, आवेदकों के पास

अमान्य पैन हैं आदि । डीजीएफटी ऐसे प्राधिकार जारी होने को सक्रिय रूप से रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र और बेहतर पर्यवेक्षण को संस्थागत बनाए।

5. आवेदकों और प्राधिकार धारकों (एएच) द्वारा की गई घोषणाओं के सत्यापन के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जा सकता है और गलत घोषणा करने वाले आवेदकों/एएच से निपटने के लिए कड़े निवारक लागू किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय प्राधिकार (आरएओं) को मौजूदा प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए या आवश्यक विवरण के बिना प्राधिकार जारी करने में निष्क्रियता और आवेदकों एवं एएच द्वारा दायर घोषणाओं/दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित नहीं करने के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

6. प्राधिकार जारी करने में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणाली में आवश्यक वैधीकरण अवरोध किए जाने चाहिए।

7. डीजीएफटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करके ईपीसीजी प्राधिकारों को जारी करने के लिए निर्धारित समयसीमा का सख्ती से अनुपालन किया जाए। अनेक कमी पत्र जारी करने के बजाय एक ही बार में सभी कमियों/चूक को कवर करते हुए कमी पत्र जारी करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

8. डीजीएफटी एक ही इकाई को कई प्राधिकार जारी करते समय जोखिम आधारित मूल्यांकन मॉडल को कारक बना सकता है ताकि पहले के प्राधिकारों में चूक करने वाली संस्थाओं का अधिक सावधानी से मूल्यांकन किया जा सके। क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) यह सुनिश्चित करें कि पहले के लंबित प्राधिकार वास्तविक मामले हैं या ऐसे मामलों को नियमित करें या आरए की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

9. डीजीएफटी आयात प्रस्तुत करने, निर्माताओं का विवरण, आयातित माल की स्थापना का स्थान, नेक्सस प्रमाणपत्र घोषित करने और स्थापना प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करने जैसे नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर आयात पूरा नहीं होने और स्थापना प्रमाणपत्रों में देरी/न प्रस्तुत करने पर आरए द्वारा गैर-निगरानी एवं कार्रवाई शुरू न करने के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

10. एएच द्वारा सभी घरेलू खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित कर तुरंत पोर्ट तक संचारित करना चाहिए ताकि एएच द्वारा प्राधिकारों के दुरुपयोग से बचा जा सके।

11. डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकारों का संयोजन नियमों के अनुसार हो। मोचन किए गए प्राधिकारों या असमान निर्यात उत्पादों का एक साथ संयोजन और निर्यात दायित्व के अनियमित निर्धारण पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

12. डीजीएफटी ईपीसीजी प्राधिकारों के वास्तविक आयात/उपयोग की निरंतर निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है। लाइसेंस में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक आयात की अनुमति देने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

13. डीजीएफटी निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात दायित्व की पूर्ति की निगरानी कर सकता है। दोषी प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

14. डीजीएफटी को मोचन नहीं किए गए मामलों के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

15. डीजीएफटी के पास एक तंत्र होना चाहिए जिसमें क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) को उन मामलों की निगरानी के लिए सतर्कता सूचक जारी कर सके जहां पहले ब्लॉक के लिए निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया गया है। आरएओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईओ प्रतिबद्धताओं का निर्वहन हो या गैर-अनुपालन के लिए वसूली की जाए।

16. मंत्रालय जुलाई 2002 में जारी हलफनामे स्वीकार करने की प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार कर सकता है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने का खतरा है, विशेष रूप से एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण और स्वचालित प्रक्रियाओं के युग में। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए और उनकी ओर से विफलता की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

17. डीजीएफटी को एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जहां ईओ की पूर्ति के लिए अयोग्य एसबी का उपयोग न किया जाए जैसे एईओ व एसईओ की पूर्ति के लिए समान एसबी का उपयोग किया जा रहा है, अयोग्य एसबी का उपयोग किया जा

रहा है, मुफ्त/तीसरे पक्ष के एसबी का उपयोग किया जा रहा है, सहायक निर्माता का नाम उल्लेख किया जा रहा है, विभिन्न प्राधिकारों के लिए समान एसबी का उपयोग किया जा रहा है आदि। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

18. निर्धारित समय-सीमा के भीतर ईओडीसी प्रदान करने के लिए अधिनियम/नियम के माध्यम से प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर ईओडीसी प्रदान न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है ।

19. सीबीआईसी के पास एक तंत्र होना चाहिए, जिसके तहत यदि किसी भी ब्लॉक का ईओ निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं होता है, तो बांड को लागू किया जा सकता है और प्राधिकार धारक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर सीमा शुल्क विभाग की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

20. डीजीएफटी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वास्तविक विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर भी नजर रखनी चाहिए। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

21. डीजीएफटी और सीबीआईसी की आईटी प्रणालियों को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि ईपीसीजी लाइसेंस जारी करने से लेकर मोचन तक की पूरी प्रक्रिया को संबंधित अधिकारियों द्वारा ट्रैक किया जा सके। लाइसेंस जारी करने की सूचना सीमा शुल्क विभाग को दी जाए, आयात व निर्यात की सूचना डीजीएफटी को दी जाए, डीजीएफटी को प्रस्तुत बीई/एसबी को सीमा शुल्क विभाग से क्रॉस सत्यापित किया जाए और ईओडीसी की सूचना सीमा शुल्क विभाग को दी जाए।

22. यह सुनिश्चित किया जाए कि डीजीएफटी और सीबीआईसी के बीच बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएं ताकि आसूचना जानकारी, ईओ पूर्ति से संबंधित मुद्दों का अनुसरण कर समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और प्राधिकार धारकों द्वारा की गई किसी भी चूक की जांच की जा सके।

23. डीजीएफटी विशिष्ट निर्यात दायित्व के निर्धारण में आईजीएसटी को शामिल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकता है। एसईओ का सही निर्धारण

सुनिश्चित नहीं करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है

24. डीजीएफटी समयबद्ध और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णयन प्रक्रिया के बेहतर विनियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी और अधिनिर्णयन करने के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।

25. निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति की वार्षिक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की आसान निगरानी के लिए इसे ऑनलाइन बनाया जा सकता है और भौतिक रिपोर्टिंग की मौजूदा प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

26. डीजीएफटी को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध योजना बनानी चाहिए,ताकि डीजीएफटी ईपीसीजी योजना के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो।

शब्दों एवं संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एसी	सहायक आयुक्त
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एईओ	औसत निर्यात दायित्व
एईपी	औसत निर्यात अवधि
एएच	प्राधिकार धारक
एएनएफ	आयात निर्यात फॉर्म
एआरओ	अग्रिम रिलीज आदेश
एटीएफ	विमानन टर्बाइन ईंधन
बीसीडी	बेसिक सीमा शुल्क
बीई	बिल ऑफ एंट्री
बीजी	बैंक गारंटी
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाणपत्र
सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)
सीएपीईएक्सआईएल	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीई	चार्टर्ड इंजीनियर (सनदी अभियंता)
सीईएनवीएटी	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजी	पूंजीगत वस्तुएँ
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीएच	कस्टम हाउस
सीआईएफ	लागत, बीमा एवं माल ढुलाई
सीएलए	केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईपीबी	ड्यूटी पात्रता पास बुक
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
डीएल	दोष पत्र
डीएसवी/ए	शुल्क बचत मूल्य/राशि
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ई-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईडीपीएमएस	निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली
ईओ	निर्यात दायित्व
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ
ईएफसी	निर्यात सुविधा समिति
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु
ईपीजेड	निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
एफजी	फॉरगोन (अधित्यक्त)
एफआईआरसी	विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफटीडीआर	विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीआर	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न
एचबीपी	प्रक्रिया की हैंड बुक
एचएसडी	हाई स्पीड डीजल
आईसी	स्थापना प्रमाणपत्र
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस)
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण
आईटीसी	आवर्ती जमा कर
आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
एलयूटी	वचन पत्र
एलईओ	निर्यात आदेश पत्र
एमईएस/एम	संदेश विनिमय प्रणाली/मॉड्यूल
एमआईएस	सूचना प्रबंधन प्रणाली
एमएस	मोटर स्पिरिट
एमओसीआई	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एनएफई	शुद्ध विदेशी मुद्रा
एनएफआरए	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
पीटीए	शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड
पीईटी	पॉलिएस्टर चिप्स
पीएन	सार्वजनिक सूचना
पीआरसी	नीति छूट समिति
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरसीएमसी	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र
एसबी	शिपिंग बिल
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईओ	विशिष्ट निर्यात दायित्व
एसईपीसी	सेवा निर्यात संवर्धन परिषद
एसटीपीआई	भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क
एसईआईएस	भारत योजना से सेवा निर्यात
एसएसआई	लघु उद्योग
टीआरए	स्थानांतरण रिलीज ऑडवाइज़

अध्याय I
ईपीसीजी योजना का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

वर्ष 1992 में शुरू की गई निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना, वर्तमान समय में चल रही सबसे पुरानी निर्यात संवर्धन योजनाओं में से एक है। ईपीसीजी योजना भारत की विनिर्माण[1] प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-2014 के तहत, ईपीसीजी योजना ने शून्य सीमा शुल्क (या तीन प्रतिशत की रियायती दर, जिसे एफटीपी 2015-2020 में बंद कर दिया गया था) पर पूर्व-उत्पादन, उत्पादन एवं पश्च-उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (परिशिष्ट 5 एफ में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर) के आयात की अनुमति दी थी। इस योजना के अंतर्गत, निर्माता निर्यातकों को सहायक निर्माता(ओं) के साथ या उनके बिना, सहायक निर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातकों एवं वाणिज्य विभाग (डीओसी) के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा नामित/प्रमाणित सामान्य सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेन्स को ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया गया।

जारी ईपीसीजी प्राधिकार आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्कों, करों एवं उपकर की राशि के छह गुना (रियायती दर के संबंध में आठ गुना) के बराबर निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति के अध्यधीन है जिसे प्राधिकार जारी करने की तारीख से छह वर्षों (रियायती दर के संबंध में आठ वर्ष) में पूरा किया जाना है।

वैकल्पिक रूप से, पश्च-निर्यात ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप उन निर्यातकों के पास भी उपलब्ध है जो लागू शुल्कों के पूर्ण भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं एवं इस योजना का विकल्प चुनते हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किया गया मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) के रूप में प्रेषित किया जाता है, एवं जो विशिष्ट

[1]"निर्यात प्रतिस्पर्धा" को एफटीपी 2015-20 में "विनिर्माण प्रतिस्पर्धा" में संशोधन किया गया

निर्यात दायित्व (एसईओ) ईपीसीजी योजना के अंतर्गत लागू एसईओ का 85 *प्रतिशत* है।

योजना की शुरुआत के बाद से, 31 मार्च 2021 तक कुल 3,39,400 प्राधिकार जारी किए गए थे, जिसमें ₹4,75,745 करोड़ का अधित्यक्त शुल्क था। इनका निर्धारित ईओ ₹19,58,208 करोड़ था जिसके सापेक्ष वास्तविक रूप से ₹10,59,653 करोड़ का ईओ पूरा किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.1 वर्ष 2020-21 तक जारी ईपीसीजी प्राधिकारों का विवरण

वर्ष	जारी किए गए	अधित्यक्त ड्यूटी (₹ करोड़ में)	निर्धारित ईओ (₹ करोड़ में)	परिपूर्ण किए गए ईओ (₹ करोड़ में)
2018-19 से पहले	3,04,623	4,33,030	17,09,070	10,50,082
2018-19	13,175	15,901	96,257	8,204
2019-20	11,535	14,329	84,357	1,350
2020-21	10,067	12,484	68,523	17
कुल	**3,39,400**	**4,75,744**	**19,58,207**	**10,59,653**

(स्रोत: डीजीएफटी का एमआईएस प्रतिवेदन)

निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अवधि (2018-19 से 2020-21) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत कुल 34,777 प्राधिकार जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान आयातित पूंजीगत माल पर शुल्क बचत मूल्य (डीएसवी) ₹42,714 करोड़ था एवं इस अवधि के दौरान ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत निर्यातों का कुल एफओबी (फ्रीऑन बोर्ड) मूल्य ₹2,49,137 करोड़ था। डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 1,08,798 प्राधिकार जिनकी निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) समाप्त हो गई है, मार्च 2021 के अंत तक मोचन नहीं किए गए।

1.2 योजना के कार्यान्वयन में शामिल प्राधिकारी

यह योजना डीजीएफटी (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा प्रशासित की जाती है, जबकि आयातित निविष्टियों एवं प्राधिकारों के सापेक्ष किए गए निर्यातों पर सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से छूट की अनुमति वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा दी जाती है।

डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप्स/प्राधिकार जारी करता है एवं 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके दायित्वों की निगरानी करता है जबकि प्राधिकारों के पोर्ट पंजीकरण के माध्यम से पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं प्राधिकारों के सापेक्ष किए गए निर्यातों की निगरानी सीबीआईसी द्वारा देश भर में 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से की जाती है।

1.3 ईपीसीजी प्राधिकार का प्रक्रिया चार्ट

ईपीसीजी योजना के तीन पहलू हैं: (क)प्राधिकार जारी करना, (ख)सीमा शुल्क पत्तनों पर प्राधिकार का पंजीकरण, एवं (ग)ईपीसीजी मोचन। सभी ईपीसीजी प्राधिकारों का अनिवार्य रूप से मोचन या निपटान करना होगा; भले ही प्राधिकार प्राप्त करने के बाद कोई शुल्क-मुक्त आयात नहीं किया गया हो, जिसे अभ्यर्पित करने की आवश्यकता होती है। यदि पूर्ण ईओ हासिल कर लिया गया था, तो प्राधिकारों का मोचन करना होगा। यदि आंशिक निर्यात दायित्व प्राप्त कर लिया गया था तो ईपीसीजी प्राधिकार का मोचन/बंद करने से पहले ब्याज सहित लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। योजना का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

चित्र 1: ईपीसीजी योजना का प्रक्रिया चार्ट

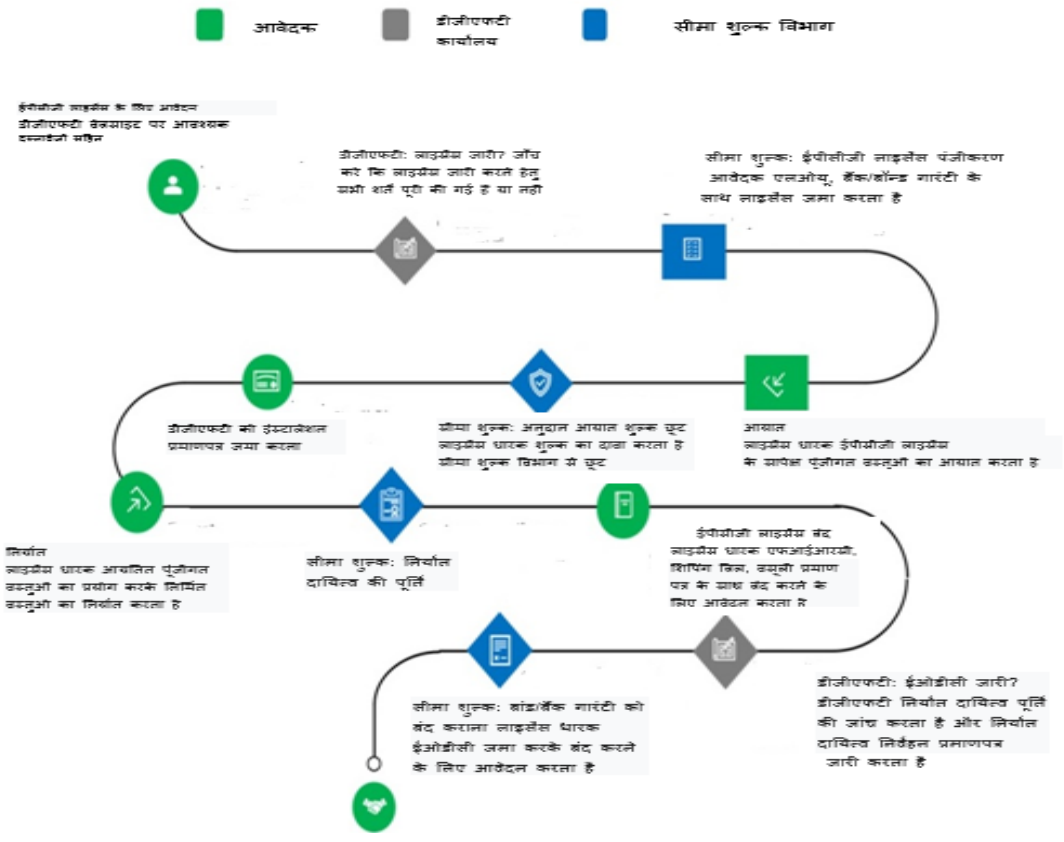

आवेदक/आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारक को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन (नवंबर 2020 से) क्षेत्राधिकृत क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) को एक आवेदन जमा करना होगा, जैसा कि कार्यविधि पुस्तिका (एचबीपी) के अंतर्गत निर्दिष्ट है। आवेदक को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ एएनएफ 5ए में निर्धारित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। आरए प्रस्तुत की गई जानकारी की पुष्टि करता है। लाइसेंस जारी करने से पहले, यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो एक दोष पत्र (डीएल) जारी किया जाता है एवं बताई गई कमियों को पूरा करने के बाद लाइसेंस तीन दिनों के भीतर जारी किया जाना अनिवार्य होता है।

जारी किए गए प्राधिकार में आयात की जाने वाली वस्तु, कल्पित डीएसवी, आयात का पत्तन, वैधता अवधि, ईओ एवं अन्य विवरण से संबंधित जानकारी शामिल है। निर्यातक को निर्दिष्ट सीमा शुल्क पत्तन (जैसा कि ईपीसीजी लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) पर ईपीसीजी प्राधिकार पंजीकृत करना होगा। बांड/बैंक गारंटी (बीजी), जहां कहीं आवश्यक हो, सीमा शुल्क पत्तन के साथ अनुबंधित किया जाना है। पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात तब निर्यातक द्वारा प्राधिकार के आधार पर किया जाता है एवं वास्तविक बचत शुल्क सहित प्रत्येक आयात का ब्यौरा सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार के सापेक्ष दर्ज किया जाता है।

प्राधिकार धारक (एएच) को छह महीने के भीतर आयातित पूंजीगत वस्तुओं की स्थापना को पूरा करना होगा एवं सीमा शुल्क विभाग तथा आरए को एक स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो बदले में वास्तविक डीएसवी के अनुसार एसईओ को फिर से निर्धारित करता है। एएच को लाइसेंस अवधि की अवधि के दौरान औसत निर्यात दायित्व (एईओ) को विधिवत बनाए रखते हुए एसईओ को पूरा करना होता है।

प्राधिकार धारक को लाइसेंस के सापेक्ष ईओ की पूर्ति की सीमा के बारे में प्रतिवर्ष ऑनलाइन रिपोर्ट देना अनिवार्य है।

निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) के पूरा होने के बाद, एएच को निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) के लिए फार्म (एएनएफ 5बी) में संबंधित आरए को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसमें ईओ की पूर्ति के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज विधिवत अपलोड किए जाते हैं। एफटीपी 2009-14 के पैरा 5.7.2 एवं सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 103/2009 के अनुसार, जैसा कि

अधिसूचना संख्या 16/2015-सीमा शुल्क दिनांक 01.04.2015 के अंतर्गत संशोधन किया गया है, केवल ऐसे शिपिंग बिल्स् (एसबी) जिनमें ईपीसीजी प्राधिकार संख्या एवं तारीख का उल्लेख है, को ईओ के निर्वहन के लिए माना जाएगा।

मोचन आवेदन ईओ अवधि के अंत से पहले भी किया जा सकता है। आरए में मोचन आवेदन का परिणाम निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) होगा। यदि कोई कमी पाई जाती हैं, तो उन्हें सुधार के लिए प्राधिकार धारक को संबोधित करना होगा।

आरए से ईओडीसी प्राप्त होने पर, एएच आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीमा शुल्क का प्रस्तुत करेंगे। यदि संतोषजनक है, तो सीमा शुल्क बांड रद्द करने या बैंक गारंटी रद्द करने (जैसा लागू हो) के संबंध में एक पत्र जारी करेगा।

यदि एएच निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे अधित्यक्त सीमा शुल्क का ब्याज सहित भुगतान करना होगा। आरए निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफलता के लिए एएच पर दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर सकती हैं।

डीजीएफटी ने एक सुरक्षित ईडीआई (इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज) संदेश आदान-प्रदान प्रणाली (एमईएस) स्थापित की है जिस पर सीमा शुल्क विभाग एवं डीजीएफटी के बीच तेरह प्रकार के संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है। इन संदेशों में लाइसेंस की सूचना एवं संबंधित शिपिंग बिल (एसबी) डेटा शामिल हैं जिनमें आयात पत्तन, बिल ऑफ एंट्री (बीई) नंबर, लाइसेंस संख्या, मात्रा, लागत, बीमा एवं माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य एवं वास्तविक अधित्यक्त शुल्क जैसे विवरण शामिल होते हैं।

1.4 ईपीसीजी योजना पर सीएजी की पहले की रिपोर्टें

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ईपीसीजी योजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) (वर्ष 2011 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 22) पहले आयोजित की गई थी, जिसमें टिप्पणी की गई थी कि प्राधिकार जारी करने के बाद, क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) किसी भी प्रमुख नियंत्रणों का प्रयोग नहीं कर रहे थे जैसे घोषणाओं के बाद सत्यापन, पतों का सत्यापन, स्थापना की निगरानी, निर्यात

दायित्व (ईओ) प्राप्त करने की प्रगति की निगरानी एवं ईओ अवधि के समापन पर मोचन आवेदनों की प्राप्ति की निगरानी।

हमने बेहतर निगरानी एवं नियंत्रणों के प्रयोग के लिए डीजीएफटी द्वारा समयबद्ध तरीके से एक स्वचालित निगरानी प्रणाली (सीमा शुल्क के साथ इंटरफेस के साथ) को लागू करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, आयात एवं निर्यात डेटा तक पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली, जिसकी कुछ प्रमुख नियंत्रणों का प्रयोग करने के लिए आवश्यकता होगी, को इष्टतम बनाया जाए।

इसके बाद, वर्ष 2017-18 के दौरान मोचन हेतु देय ईपीसीजी प्राधिकारों की समीक्षा पर एक दीर्घतर पैराग्राफ सीएजी की वर्ष 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 17 के अध्याय 5 में प्रकाशित हुआ। मुख्य परिणाम इस प्रकार थे:

- लाइसेंस धारकों द्वारा ईओ को पूरा न किए जाने के बावजूद वहन शुल्क लाभों की वसूली में विभाग द्वारा निष्क्रियता।
- अपात्र विदेशी मुद्रा अर्जन को ध्यान में रखकर प्राधिकार का मोचन ।
- औसत निर्यातों की गलत गणना के आधार पर प्राधिकारों का शोधन ।
- ईओ का गलत निर्धारण।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में आश्वासन प्राप्त करना है

- डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में निगरानी तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा ईपीसीजी प्राधिकारों को जारी, उपयोग एवं मोचन करने संबंधित नियमों को लागू करना।
- गैर-अनुपालन को पहचानना एवं समय पर कार्रवाई करने में डीजीएफटी एवं सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्राधिकार जारी करने, उपयोग एवं प्राधिकारों के मोचन से संबंधित रिकॉर्ड एवं संव्यवहारों की जांच की।

इस अवधि के दौरान, ₹42,714 करोड़ के डीएसवी के साथ कुल 34,777 प्राधिकार जारी किए गए। चूंकि ईओ को पूरा करने के लिए अनुमत अवधि छह वर्ष (रियायती दर के संबंध में आठ वर्ष) थी, जो एफटीपी 2004-09, 2009-14 एवं 2015-20 में व्याप्त थी,लेखापरीक्षा ने इन एफटीपी के अंतर्गत जारी/मोचन किए गए प्राधिकारों की जांच की।

1.7 नमूनाकरण पद्धति

डीजीएफटी से प्राप्त आंकड़ों में लगभग 1.25 लाख प्राधिकार शामिल थे जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान या तो जारी किया गया, मोचन किया गया एवं मोचन नहीं किया गया। हमनें 24 आरएओं में से 18 का एवं 22 सीमा शुल्क स्थानों में पंजीकृत प्राधिकारों को परीक्षण जांच के लिए चयन किया। प्राधिकारों को, योजना के व्यापक कवरेज एवं शुरू से अंत तक की अवधि-चक्र के प्रत्येक चरण से चार उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 1.2 चयनित नमूने की श्रेणी

श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी
वर्ष 2018-2021 की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राधिकार	वर्ष 2018-2021 की अवधि के दौरान मोचन किए गए प्राधिकार	मोचन न किए गए प्राधिकार जिनका ईओपी 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था	वर्ष 2015-2018 की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राधिकार, जिनकी पहली ब्लॉक में 50 *प्रतिशत* ईओ पूर्ति दायित्व अवधि 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो गई थी

1.8 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए एवं सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के अनुरूप आयोजित

की गई थी। हमने चार निर्दिष्ट श्रेणियों (ए, बी, सी एवं डी) के अंतर्गत 4,450 प्राधिकारों की जांच की, जैसा कि यहां दी गई तालिका में विस्तृत है:

तालिका 1.3 पीए में चयनित एवं लेखापरीक्षित नमूना का विवरण

क्रम सं	आरए नाम	श्रेणी ए	श्रेणी बी	श्रेणी सी	श्रेणी डी	उपलब्ध न कराए गए अभिलेख	कुल
1	अहमदाबाद	40	60	60	40	-	200
2	बेंगलुरु	69	103	90	71	67	400
3	चेन्नई	46	56	53	33	26	214
4	कोयम्बटूर	41	54	64	40	18	217
5	दिल्ली	77	119	124	84	15	419
6	हैदराबाद	40	58	60	40	2	200
7	इंदौर	80	133	115	72	-	400
8	जयपुर	40	59	59	37	5	200
9	कानपुर	36	74	54	36	-	200
10	कोच्चि	40	60	60	40	-	200
11	कोलकाता	80	114	98	77	31	400
12	लुधियाना	38	50	48	37	27	200
13	मुंबई	38	63	59	38	2	200
14	पानीपत	40	60	56	40	4	200
15	पुणे	41	57	59	36	7	200
16	सूरत	39	54	57	40	10	200
17	वाराणसी	12	86	89	13	-	200
18	विशाखापट्टनम	39	15	107	39	-	200
	कुल	**836**	**1,275**	**1,312**	**813**	**214**	**4,450**

लेखापरीक्षा में डीजीएफटी आंकड़ों का विश्लेषण एवं जारी किए गए प्राधिकारों की परीक्षण जांच एवं डीजीएफटी के चयनित आरए कार्यालयों में एएच द्वारा ईओ की पूर्ति तथा चयनित सीमा शुल्क पत्तनों में प्राधिकारों के उपयोग की परीक्षण जांच शामिल थी। योजना के कार्यान्वयन में डीजीएफटी एवं सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय का भी विश्लेषण किया गया।

लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग एवं डीजीएफटी अधिकारियों के बीच 13 मई 2022 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई। 22 सितंबर 2023 को आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्रॉफ्ट परिणामों पर चर्चा की गई और 16 अक्टूबर 2023 को

डीओआर एवं डीजीएफटी से प्राप्त संशोधित प्रतिक्रिया को उपयुक्त प्रतिउत्तर के साथ इसमे शामिल किया गया है, जहां भी लागू हो।

1.9 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों को मौजूदा विधियों, निर्धारित मैनुअल एवं नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं एवं परिपत्रों सहित मानदंडों के सापेक्ष बेंचमार्क किया जाता है। मानदंड के लिए प्राथमिक स्रोत इस प्रकार हैं:

- समय-समय पर यथा संशोधन विदेश व्यापार नीति
- प्रक्रियाओं की पुस्तिका एवं उसके परिशिष्ट
- डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना/परिपत्र
- विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
- सीमा शुल्क टैरिफ नियम, 2003 यथा संशोधित
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
- सीजीएसटी अधिनियम/नियम, 2017
- ईपीसीजी प्राधिकार योजना पर सीमा शुल्क/जीएसटी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र

1.10 आभार

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान सूचना एवं रिकॉर्ड प्रदान करने में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) एवं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

अध्याय II
ईपीसीजी प्राधिकार जारी करना

डीजीएफटी ने एफटीपी 2015-20 में परिकल्पित बेहतर व्यापार सुविधा एवं कागज रहित प्रसंस्करण के अपने उद्देश्यों के अनुसरण में, आरएओं एवं निर्यातकों के बीच न्यूनतम इंटरफेस के साथ आवेदनों प्राप्ति एवं प्राधिकरण जारी करने की प्रणाली संचालित योजना की शुरुआत की। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण करके ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु शुरू किए गए सुविधा उपायों के कार्यान्वयन की जांच की।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की समीक्षा में शामिल अवधि के दौरान, योजना के अंतर्गत कुल 34,777 प्राधिकार जारी किए गए थे, जिनका अधित्यक्त शुल्क ₹42,714 करोड़ था। निर्धारित एसईओ ₹2,49,137 करोड़ था एवं पूरा किया गया एसईओ केवल ₹9,571 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने यह जांचने के लिए ₹3,219.06 करोड़ के डीएसवी के साथ 836 प्राधिकारों का चयन किया कि क्या आरए प्राधिकार जारी करने की निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर रहे थे एवं उन पर परिणामों का सार नीचे दिया गया हैः

- विशिष्ट/औसत निर्यात दायित्व (एसईओ/एईओ) की गलत गणना (पैरा 2.1 एवं 2.2);
- गलत टैरिफ दर को अपनाना (पैरा 2.3),
- ईपीसीजी प्राधिकार अपात्र आवेदकों को जारी किए गए (पैरा 2.4);
- आवश्यक विवरण के बिना अपात्र, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात (पैरा 2.5 से 2.7);
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे प्राधिकार जारी करना (पैरा 2.8);
- ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने में विलंब (पैरा 2.9); और
- एक ही आयातक को जारी किए गए एकाधिक ईपीसीजी प्राधिकार (पैरा 2.10)

2.1 विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) की गलत गणना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 5.01 में निर्धारित किया गया है कि शून्य शुल्क प्राधिकार के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) डीएसवी का छह गुना होगा, जिसे प्राधिकार जारी होने की तारीख से छह वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसी तरह, तीन *प्रतिशत* ईपीसीजी योजना के लिए, एसईओ पूंजीगत वस्तुओं पर डीएसवी का आठ गुना होगा, जिसे प्राधिकार जारी करने की तारीख से आठ वर्षों में पूरा किया जाना है।

डीजीएफटी डंप डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि नौ आरएओं में 61 मामलों[2] के संबंध में एसईओ को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया था जिसमें दो मामलों में एसईओ का ₹248.23 करोड़ का अधिक निर्धारण एवं 59 मामलों में ₹402.90 करोड़ रुपये की राशि का एसईओ का कम निर्धारण **(अनुलग्नक 1.1)** था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

एक दृष्टांत पर नीचे प्रकाश डाला गया है

आरए कोलकाता

आरए कोलकाता ने एसईओ की कम/गैर-पूर्ति के बावजूद 12 प्राधिकारों (0 प्र*तिशत*, तीन *प्रतिशत* एवं एसएसआई इकाई के तहत) का मोचन किया।

एक मामले में, मैसर्स ए1 लिमिटेड को ₹27.57 करोड़ के डीएसवी एवं ₹220.56 करोड़ के एसईओ के लिए तीन *प्रतिशत* वाला प्राधिकार (5 सितंबर 2007) को जारी किया गया था जिसे आठ वर्षों में पूरा किया जाना था। इसमें उपयोग किया गया वास्तविक शुल्क ₹22.09 करोड़ था एवं आनुपातिक ईओ ₹176.76 करोड़ निर्धारित किया जाना था।

एएनएफ 5बी के कॉलम 14 के अनुसार, फर्म ने तीन एसबी में चार साल के भीतर ₹132.56 करोड़ (एसईओ का 75 *प्रतिशत*) का निर्यात किया, लेकिन एसबी में

---

[2] **आरए बेंगलुरु (3 मामले), सीएलए दिल्ली (9 मामले), आरए इंदौर (3 मामले), आरए कानपुर (10 मामले), आरए कोलकाता (12 मामले), आरए लुधियाना (2 मामले), आरए पानीपत (5 मामले), आरए पुणे (15 मामले), आरए विशाखापत्तनम (2 मामले)**

किसी भी प्राधिकार संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था जो एक से अधिक प्राधिकारों के लिए उपयोग किए जाने के जोखिम से भरा है। फर्म ने नीति परिपत्र संख्या 07/2002 के अनुसार केवल शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि इस प्राधिकार की निर्यात पूर्ति के लिए दिखाए गए एसबी का उपयोग किसी अन्य प्राधिकार की निर्यात पूर्ति में नहीं किया गया था।

इसके अलावा, फर्म द्वारा प्रस्तुत मैनुअल बीई की जांच के दौरान, फॉर्म एएनएफ 5बी एवं मैनुअल बीई में डीएसवी के बीच विसंगतियां देखी गईं। फर्म ने गलत तरीके से फॉर्म एएनएफ 5बी स्टेटमेंट प्रस्तुत किया था जिसमें कुल डीएसवी को ₹220.94 करोड़ दिखाया गया था, जबकि बीई के अनुसार वास्तविक डीएसवी ₹268.07 करोड़ है।

वास्तविक डीएसवी के आधार पर, वास्तविक ईओ को $5.10 करोड़ के यूएसडी में पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन फर्म ने केवल $3.15 करोड़ (61.81 *प्रतिशत*) को पूरा किया। अतः ईओ में $1.95 करोड़ (38.19 *प्रतिशत*) की कमी थी। ईओ में कमी के बावजूद, विभाग (जुन 2019) ने फर्म के ईओडीसी आवेदन के आधार पर मामले का निर्वहन किया था। इसलिए, एएच को ईओ के अधूरे हिस्से के लिए सीमा शुल्क, जो ₹10.23 करोड़ (₹268.07 करोड़ का 38.19 *प्रतिशत*) एवं एचबीपी 2004-09, खंड-I, के पैरा 5.14 के अनुसार लागू ब्याज का भुगतान करना आवश्यक था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

2.2 औसत निर्यात दायित्व (एईओ) की गलत गणना

एफटीपी के पैरा 5.04 (बी) में निर्धारित किया गया है कि एसईओ, एएच द्वारा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (प्रमुख व्यापारिक घरानों के मामले में पांच वर्ष) में समान एवं समान उत्पादों के लिए प्राप्त एईओ से अधिक होगा, सिवाय छोटे क्षेत्र, मत्स्य पालन आदि के।

पिछले वर्षों के दौरान निर्यात किए गए समान उत्पादों के ईओ की गैर-गणना के लिए एईओ की गलत गणना के कारण 836 चयनित मामलों में से, 13 आरएओं

के 129 (15.43 *प्रतिशत*) मामलों[3] में एईओ की ₹35,602.40 करोड़ की गैर-पूर्ति एवं ₹2,074.45 करोड़ की राशि का अधिक निर्धारण देखा गया था। **(अनुलग्नक 1.2)**। कुछ दृष्टांत पर नीचे प्रकाश डाला गया हैं:

आरए मुंबई एवं पुणे

डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि आरए मुंबई में 571 प्राधिकार एवं आरए पुणे में 39 प्राधिकार समान एईओ को अपनाकर जारी किए गए थे, हालांकि प्राधिकार विभिन्न वित्तीय वर्षों में जारी किए गए थे। चयनित प्राधिकारों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि सात मामलों के संबंध में एक ही एईओ विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था एवं 17 मामलों में एक ही वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग एईओ निर्धारित किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क) अलग-अलग वित्तीय वर्ष में एक ही एईओ

आरए मुंबई में, मैसर्स ए2 प्राइवेट लिमिटेड (वर्ष 2016-17 में तीन एवं वर्ष 2017-18 में दो) को पांच प्राधिकार जारी किए गए थे। इन प्राधिकारों को जारी करते समय, आरए ने दो अलग-अलग वित्तीय वर्षों (यानी, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18) में जारी किए गए प्राधिकारों के लिए भी पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2013-14 से 2015-16 के निर्यात प्रदर्शन पर विचार करने के कारण उसी एईओ (₹1,536.17 करोड़ का) को गलत तरीके से गणना की गई।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए**,** आरए मुंबई ने कहा (मई 2023) कि एईओ को उच्च स्तर पर तय किया गया था एवं एएच ने इसे पूरा किया है एवं प्राधिकारों का मोचन किया गया है।

ख) एक ही वित्तीय वर्ष में अलग-अलग एईओ

आरए मुंबई ने वर्ष 2010-11 के दौरान मैसर्स ए3 लिमिटेड को दो प्राधिकार जारी किए, हालांकि अलग-अलग एईओ तय किए गए थे क्योंकि एक प्राधिकार में तीन

---

[3] आरए अहमदाबाद (10 मामले), आरए बेंगलुरु (49 मामले), आरए कोयंबटूर (2 मामले), आरए चेन्नई (4 मामले), सीएलए दिल्ली (7 मामले), आरए हैदराबाद (8 मामले), आरए कोलकाता (7 मामले), आरए कानपुर (4 मामले), आरए मुंबई (13 मामले), आरए पुणे (11 मामले), आरए पानीपत (5 मामले), आरए सूरत (8 मामले), आरए लुधियाना (1 मामला)।

के बजाय केवल दो पूर्ववर्ती वर्षों की गणना की गई थी। एईओ ₹10,450.83 करोड़ निर्धारित किया जाना था, हालांकि, विभाग ने पिछले तीन वर्षों के पिछले निर्यात की अलग-अलग राशि पर विचार किया एवं एईओ की गणना की गई तथा इसे ₹6,222.17 करोड़ निर्धारित किया गया। इस प्रकार, हालांकि ये दोनों प्राधिकार एक ही वित्तीय वर्ष 2010-11 में एक ही फर्म को जारी किए गए थे, आरए ने एक ही वित्तीय वर्ष के दोनों प्राधिकारों के लिए अलग-अलग एईओ तय किए थे।

यह भी पाया गया कि प्राधिकार जारी करने से पहले, एएच ने आरए को सूचित किया (15 दिसंबर 2010) कि उन्हें अक्टूबर 2009 में प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस का दर्जा दिया गया है, इसलिए, एईओ को पिछले पांच वर्षों के निर्यात (वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लिए) के आधार पर तैयार किया जाना था एवं सीए प्रमाणित परिशिष्ट 26 प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, विभाग ने प्राधिकार जारी करने से पूर्व फर्म के नवीनतम प्रस्तुतीकरण के अनुसार एईओ निर्धारित करने के लिए प्राधिकारों में संशोधन नहीं किया था।

आरए मुंबई ने कहा (मई 2023) कि फर्म एक प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस होने के नाते, एईओ की गणना पिछले पांच वर्षों के निर्यात की गणना करके की जानी थी।

आरए मुंबई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एक ही फर्म के दो प्राधिकारों के लिए क्रमशः पिछले 3 वर्षों एवं 5 वर्षों के निर्यात आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग एईओ निर्धारित किए गए थे।

तथ्य यह है कि एक ही फर्म के दो प्राधिकारों के लिए एक ही वित्तीय वर्ष हेतु अलग-अलग एईओ तय किए गए थे, जबकि आवश्यक 5 वर्ष के निर्यात आंकड़े नहीं थे, जबकि प्राधिकार जारी करने से पहले आरए को प्रमुख व्यापारिक स्थिति का पता था।

आरए हैदराबाद

आरए हैदराबाद ने 2015-16 में मैसर्स ए4 लिमिटेड को पांच प्राधिकार जारी किए, हालांकि आरए ने उत्पाद समूह बल्क ड्रग्स एवं फॉर्मूलेशन के अंतर्गत दो प्राधिकारों के लिए ₹6,973.63 करोड़ एवं अन्य तीन प्राधिकारों के लिए ₹6,710.62 करोड़ का एईओ तय किया। चूंकि सभी प्राधिकार एक ही वित्तीय वर्ष एवं एक ही उत्पाद समूह से संबंधित हैं, इसलिए विभिन्न प्राधिकारों के लिए अलग-अलग एईओ का

निर्धारण उचित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप तीनों प्राधिकारों के लिए ₹ 263.01 करोड़ का एईओ कम निर्धारण हआ।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि संशोधित सीए प्रमाणपत्र के लिए तीन मामलों में फर्म को पत्र जारी किए गए हैं ताकि एईओ को फिर से तय किया जा सके।

आरए बेंगलुरु

आरए बेंगलुरु ने सीए प्रमाण पत्र में दिए गए निर्यात के विवरण पर विचार किए बिना मैसर्स ए5 प्रा. लि. को जारी किए गए प्राधिकार में शून्य एईओ तय किया। सीए प्रमाण-पत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान समान/सदृश उत्पादों के निर्यात का उल्लेख किया गया था, जिसका कुल योग ₹1,034.57 करोड़ था। सही वार्षिक एईओ ₹344.85 करोड़ परिकलित किया गया।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि फर्म ने उपयोग न किए प्राधिकार को सरेंडर कर दिया है एवं फर्म को 16.06.2022 को सरेंडर पत्र जारी कर दिया गया है।

सीएलए दिल्ली

सीएलए दिल्ली ने 9 अप्रैल 2018 को मैसर्स ए6 प्रा. लि. को एक प्राधिकार जारी किया एवं एईओ को आवश्यक तीन वर्षों के बजाय चार साल के प्रदर्शन की गणना करके तय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एईओ की राशि ₹128.38 करोड़ के स्थान पर ₹96.28 करोड़ कम निर्धारित हुई।

डीजीएफटी ने सीएलए दिल्ली के संबंध में कहा (अक्टूबर 2023) कि सही एईओ को प्रतिबिंबित करने के लिए मोचन के दौरान प्राधिकार को सही किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एईओ का निर्धारण प्राधिकार जारी करते समय किया जाना है एवं प्राधिकार की अवधि के दौरान इसकी समय-समय पर निगरानी की जानी आवश्यक है तथा मोचन के दौरान एईओ में सुधार करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

डीजीएफटी (जून 2024) द्वारा उपरोक्त दृष्टांतों को छोड़कर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा में एसईओ का गलत निर्धारण, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए एक ही एईओ का निर्धारण तथा समान वित्तीय वर्षों के लिए अलग-अलग एईओ का निर्धारण तथा डीएसवी की स्थिति या वास्तविक उपयोग में परिवर्तन के कारण इसका अद्यतन न किया जाना पाया गया, जो ईओ की पूर्ति की निगरानी न किए जाने का संकेत देता है। ईओ निर्धारण एवं उसकी पूर्ति की समुचित निगरानी के लिए आरए के पास आवधिक रिटर्न ही एकमात्र साधन है, तथा ईओ पूर्ति पर नियमित रिटर्न के लिए जोर देने या रिटर्न दाखिल न करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय करने में आरए की ओर से निष्क्रियता के कारण विभाग को उन मामलों की जानकारी नहीं हो पाती है, जहां एसईओ/एईओ गलत तरीके से तय किए गए हैं एवं अद्यतन नहीं किए गए हैं तथा योजना के अंतर्गत दी गई लंबी अवधि के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया है या उन्हें ईओडीसी नहीं दिया गया है।

सिफारिश सं. 1

डीजीएफटी विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) और औसत निर्यात दायित्व (एईओ) के निर्धारण में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकता है।

डीजीएफटी (अक्टूबर 2023) ने कहा कि एसईओ और एईओ के निर्धारण को निर्यातक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन डेटा के आधार पर संहिताबद्ध किया गया है, जिसे यथासंभव सहायक दस्तावेजों के माध्यम से क्रॉस-सत्यापित किया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों ने संकेत दिया कि मौजूदा प्रावधान या तो अप्रभावी हैं या आरएओं द्वारा ईमानदारी से लागू नहीं किए गए हैं और या मामले में डीजीएफटी द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है।

2.3 गलत टैरिफ दर को अपनाना

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 किसी भी वस्तु पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर तथा देय शुल्क, कर, उपकर या अन्य राशि का निर्धारण करता है।

तीन आरएओं **(अनुलग्नक 1.3)** के 15 मामलों[4] में सीमा शुल्क की टैरिफ दर को गलत तरीके से अपनाया गया था**,** जिसके परिणामस्वरूप एसईओ ₹5.96 करोड़ अधिक निर्धरित एवं एसईओ ₹23.05 करोड़ कम का निर्धारण हुआ जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

आरए कोच्चि

आईएनसीओके1 पोर्ट में पंजीकृत एक मामले (मैसर्स ए7 प्रा. लि.) में, आईजीएसटी का मूल्यांकन अनुसूची III क्र.सं.327बी के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* आईजीएसटी के बजाय अनुसूची 1 क्र.सं.234 (नवीकरणीय ऊर्जा वस्तुओं पर लागू) के अंतर्गत पांच *प्रतिशत* पर किया गया था। एक अन्य मामले में (मैसर्स ए8) जिसका पंजीकरण पोर्ट आईएनसीओके4 है, बीई की मद सं.5 - सेनवेओ डिजिटल मैमोग्राफी प्रणाली सहायक उपकरण के साथ सीटीएच 84714900- अन्य को प्रणाली के रूप में प्रस्तुत, के अंतर्गत स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया एवं अधिसूचना संख्या 24/2005 के क्र.सं.8 के अंतर्गत बीसीडी छूट का दावा किया गया। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹0.11 करोड़ के डीएसवी को डेबिट नहीं किया गया।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एक मामले में डीएसवी मूल्य बढ़ाया गया है एवं ईओ को फिर से तय किया गया है तथा दूसरे मामले में भले ही ईओ को लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार फिर से तय किया गया हो, ईओ को एएच द्वारा पूरा किया गया है।

तथ्य यह है कि टैरिफ दरों को गलत तरीके से अपनाने के कारण सीमा शुल्क गलत तरीके से डेबिट किया गया था, जिसके लिए संशोधित डीएसवी एवं एसईओ की गणना के लिए बाद में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सीएलए दिल्ली

सीएलए दिल्ली ने मैसर्स ए9 प्रा. लि. को इस योजना के अंतर्गत आयात पर डीएसवी के छह गुना निर्यात दायित्व के साथ प्राधिकार जारी किया। एएच ने

[4] सीएलए दिल्ली (2 मामले), कोलकाता (11 मामले), आरए कोच्चि (2 मामले)।

₹10.47 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले स्नैक्स कुकिंग सिस्टम का आयात किया एवं सीमा शुल्क अधिसूचना 12/2012-सीमा शुल्क, क्र.सं.404 का लाभ उठाया।

यह पाया गया कि आयातित वस्तुएं "स्नैक्स तैयार करने एवं पकाने की मशीनरी" हैं एवं इसलिए इन्हें सीटीएच 8419 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है एवं पांच *प्रतिशत* के बजाय 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जा सकता है। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹0.63 करोड़ का शुल्क कम लगाया गया। चूंकि आयातक को ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयात पर डीएसवी का छह गुना निर्यात करना होता है, इसलिए शुल्क के कम डेबिट के परिणामस्वरूप आयातक पर ₹3.78 करोड़ (₹0.63 करोड़ का छह गुना ईपीसीजी प्राधिकार की आवश्यकतानुसार) की कम निर्यात दायित्व देयता हुई।

सीएलए, दिल्ली ने आयातक को प्राधिकार पत्र जारी करते समय न तो वर्गीकरण की जांच की एवं न ही डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना 56/2015-20 दिनांक 06 फरवरी 2017 के अनुसार सीमा शुल्क द्वारा इंगित गलत वर्गीकरण के बाद बढ़े हुए निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए मौजूदा प्राधिकार पत्रों में संशोधन/नए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आयातक को नोटिस जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप आयातक पर कम निर्यात दायित्व देयता हुई।

डीजीएफटी ने कहा (अगस्त 2023) कि फर्म ने आयुक्त आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली द्वारा पारित ओ-आई-ओ के खिलाफ सीईएसटीएटी, नई दिल्ली में अपील की है।

सीएलए दिल्ली को छोड़कर डीजीएफटी (जून 2024) द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। सीबीआईसी (सितंबर 2023) ने पोर्ट-वार डेटा के लिए अनुरोध किया जो अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 2

डीजीएफटी एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सटीक विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) की गणना के लिए सही टैरिफ दरें अपनाई जाएं।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि टैरिफ दरें राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित की जाती हैं और निर्यातकों द्वारा प्राधिकार जारी करने के लिए अपने आवेदनों में घोषित की जाती हैं। आयात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार को डेबिट करते समय सीमा शुल्क द्वारा इनकी जांच की जाती है। इसके अलावा, एचबीपी 2023 के पैरा 5.15 में ईओ में आनुपातिक परिवर्तन के साथ डीएसवी के 10 *प्रतिशत* तक स्वचालित कमी/वृद्धि का प्रावधान है। डीजीएफटी 8 अंकों के एचएसएन कोड पर बीसीडी के लिए एपीआई संदेश विनिमय प्रणाली हेतु सीमा शुल्क के साथ जुड़ेगा, जिसके आधार पर एसईओ निर्धारित किया जाता है।

आवेदकों द्वारा घोषित टैरिफ दरों के आधार पर प्राधिकार जारी करते समय आरएओं द्वारा विशिष्ट निर्यात दायित्व तय किए जाते हैं। इसके बाद, आयात के समय प्रचलित वास्तविक टैरिफ दरों को सीमा शुल्क द्वारा अपनाया जाता है और ईपीसीजी प्राधिकारों और एसईओ के मूल्य को सीमा शुल्क और डीजीएफटी/(आरएओं) के बीच आईटी सक्षम समन्वय के आधार पर तदनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक है।

2.4 अपात्र आवेदकों को जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार

एचबीपी 2015-20 प्राधिकार जारी करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है अर्थात इस आशय की घोषणा कि आवेदक का कोई भी मालिक/भागीदार/निदेशक ऐसी किसी भी फर्म से संबद्ध नहीं था जो डीजीएफटी के साथ चूककर्ता थी एवं छह महीने से अधिक समय तक लंबित अप्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा देना था। इसके अलावा, आयात की जा रही पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित मदों के साथ उचित संबंध होना चाहिए। वैध पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) के बिना फर्में, अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में फर्में, वैध प्रमाणपत्रों के बिना आवेदन आदि, की फर्में ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए अपात्र हैं।

विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियम, 1992 (एफटीडीआर) के नियम 7 के अनुसार, डीजीएफटी के पास किसी इकाई को अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) के अंतर्गत डालने की शक्तियां हैं, यदि ऐसी इकाई किसी प्राधिकार में निर्धारित शर्तों या एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है

एवं परिणामस्वरूप वित्तीय लाभ के साथ नया प्राधिकार या प्रमाण पत्र देने से इनकार करती है।

इसके अलावा, एफटीपी 2015-20 की धारा 2.15 (डी) के अनुसार, डीईएल आदेशों को संबंधित आरए द्वारा एक समय में 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लिखित रूप में कारणों को दर्ज कर स्थगित रखा जा सकता है।

2.4.1 अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखे गए आवेदकों को ईपीसीजी प्राधिकार जारी किए गए

डीजीएफटी ईपीसीजी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि डीईएल में रखी गई इकाईयों को 2,857 प्राधिकार जारी किए गए थे। इसके अलावा, 836 प्राधिकारों के चयनित नमूने के साथ प्रति-सत्यापन से पता चला है कि ₹141.01 करोड़ के डीएसवी के साथ पांच आरए में 73 मामलों[5] में, डीईएल **(अनुलग्नक 1.4 (ए))** में संस्थाओं को प्राधिकार जारी किए गए थे, जबकि ₹85.77 करोड़ के डीएसवी के साथ तीन आरएओं के 35 मामलों[6] में, डीईएल आदेश को कई बार आस्थगित रखकर प्राधिकार जारी किए गए थे **(अनुलग्नक 1.4 (ख))**।

यह पाया गया कि विभाग केवल निकाय के डीईएल की वर्तमान स्थिति को बनाए रख रहा था एवं उसके पास समय के विभिन्न अंतरालों के दौरान संस्थाओं को डीईएल में रखने, उन्हें आस्थगित रखने, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी को डीईएल से आस्थगित करने के लिए दर्ज किए गए कारणों आदि का ऐतिहासिक डेटा नहीं था। इस तरह के आवश्यक विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा पोर्टल में डीईएल की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका एवं सत्यापन को आरए कार्यालयों में रखी गई फाइल में नोटिंग तक सीमित करना पड़ा।

यह भी पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार इकाई को डी.ई.एल. पर रखे जाने के तथ्य को डी.ई.एल. पोर्टल पर तत्काल अद्यतन नहीं किया गया था, अतः प्राधिकार जारी करते समय डी.ई.एल. स्थिति का उचित सत्यापन सुनिश्चित

---

[5] **आरए बेंगलुरु (42 मामले), आरए लुधियाना (20 मामले), आरए पानीपत (1 मामला), आरए पुणे (9 मामले), आरए विशाखापत्तनम (1 मामला)।**

[6] **आरए बेंगलुरु (14 मामले), आरए मुंबई (12 मामले), आरए पुणे (9 मामले)।**

नहीं किया जा सका। डीईएल में मुद्रण को रोकने/प्राधिकार जारी करने के लिए डीजीएफटी प्रणाली में सत्यापन जांच या तो अनुपस्थित थी, या ठीक से मैप नहीं की गई थी या प्राधिकार जारी करने के लिए नजरअंदाज किया गया।

यद्यपि मौजूदा प्रावधान स्थगन अवधि के दौरान प्राधिकार जारी करने की अनुमति देते हैं, लेकिन डीईएल में इकाईयों को अल्प अवधि के लिए स्थगन में रखने एवं उस अवधि के दौरान आगे प्राधिकार प्रदान करने की इस प्रक्रिया पर उचित निगरानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें आगे चूक का जोखिम रहता है, विशेष रूप से तब जब बड़ी संख्या में प्राधिकार नियत तिथि के बाद भी जारी नहीं किए जाते हैं। यह प्रक्रिया में मनमानेपन का भी परिचय देता है।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में डीईएल में इकाईयों को आवेदन जमा करने या ऐसी इकाईयों को प्राधिकार/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करने से रोकने के लिए व्यावसायिक नियमों की मैपिंग नहीं है। डीईएल स्थिति की मामला-दर-मामला आधार पर अलग से जांच की जा रही है। हालांकि यह सीएजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 8 के पैरा 8.7.3 में इंगित किया गया था, लेकिन कोई प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

डीईएल इकाईयों को प्राधिकार जारी करने के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

आरए पुणे

आरए पुणे ने चार फर्मों को ₹4.33 करोड़ के डीएसवी के साथ नौ प्राधिकार जारी किए, जिन्हें डीईएल के अंतर्गत रखा गया था। नौ प्राधिकारों में से तीन को 100 *प्रतिशत* बैंक गारंटी (फर्मों के अनुरोध पर) की शर्त के साथ जारी किया गया था एवं शेष छः प्राधिकार डीईएल के अंतर्गत दो फर्मों को उनकी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करके बिना किसी स्थगन के जारी किए गए थे।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि एफटीपी के पैरा 2.15 (डी) के अनुसार 'सक्षम प्राधिकारी' द्वारा नौ प्राधिकार जारी किए गए थे, उन कारकों को ध्यान में रखते हुए जहाँ निर्यात दायित्व को पूर्ण किया गया था एवं अन्य तकनीकी आपत्तियों के कारण कुछ मामले मोचन के लिए लंबित थे, तथा इसलिए सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि प्राधिकार को "100 *प्रतिशत* बैंक गारंटी

की शर्त" के साथ जारी किया गया था। हालांकि, बिना किसी स्थगन के प्राधिकार जारी करने के मुद्दे को आरए के साथ उठाया जा रहा है।

यह उत्तर कि राजस्व की कोई हानि नहीं हुई तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अन्य छः प्राधिकारों के लिए 100 *प्रतिशत* बैंक गारंटी की शर्त पर जोर नहीं दिया गया था एवं डीईएल में रखी गई फर्मों को बिना किसी स्थगन के प्राधिकार जारी करना सही नहीं है एवं आवश्यक प्रतिबंध/सत्यापन नियंत्रण को प्रणाली में सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

आरए विशाखापट्नम

आरए विशाखापत्तनम ने मैसर्स ए10 लि. को, एफटीपी की शर्तों का पालन न करने या उल्लंघन के लिए डीईएल के अंतर्गत रखी गई इकाई ₹0.10 करोड़ के डीएसवी के साथ एक प्राधिकार जारी किया।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि डीईएल आदेश 28 मई 2019 को जारी किया गया था एवं बाद में 14 जून 2019 को डीईएल स्थिति को हटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) तंत्र, जिसे निर्यातकों से प्राधिकार की शर्तों का कड़ाई से पालन करवाए जाने के लिए जाना जाता है, के कार्यान्वयन जिसमें इकाई को डीईएल के अंतर्गत रखने एवं कई स्थगन आदेश जारी करने में विलंब के कारण निष्प्रभावी पाया। जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से देखा गया है, बिना कोई कारण दर्ज किए स्थगन आदेश जारी किए गए थे एवं बिना स्थगन आदेश जारी किए डीईएल स्थिति धारक को प्राधिकार जारी किए गए थे। किसी निर्यातक को जारी किए जा सकने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इकाईयों का स्थगन करने के लिए कोई एसओपी / तंत्र निर्धारित नहीं है। कई मामलों में अनेक बार स्थगन देना डीईएल में किसी इकाई को रखने के उद्देश्य को विफल करता है। एफटीपी की शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए इकाई के लिए स्थगन एक निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली को एक इकाई का पूर्ण विवरण अर्थात कब डीईएल के अंतर्गत रखा गया, कब स्थगन दिया गया, इकाई द्वारा एफटीपी का उल्लंघन आदि देना चाहिए। यह विवरण सभी आरएओं के पास उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी

इकाईयां एफटीपी के प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं, यह निगरानी अत्यंत निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए।

आए पुणे एवं विशाखापट्टनम को छोड़कर डीजीएफटी (जून 2024) से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सिफारिश सं. 3

डीजीएफटी के पास अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) को लागू करने और स्थगन आदेश जारी करने के लिए एसओपी/तंत्र के लिए एक समान नीति होनी चाहिए। क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) की ओर से बिना स्थगन आदेश जारी किए डीईएल स्थिति के लिए प्राधिकार जारी करने या कोई कारण दर्ज किए बिना स्थगन आदेश जारी करने की जवाबदेही तय की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एफटीपी 2023 के पैरा 2.14 में दंडात्मक कार्रवाई और किसी इकाई को अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में डालने का प्रावधान है। नई आईटी प्रणाली में कारणों के साथ स्थगन अवधि सहित संपूर्ण आईईसी इतिहास है, पहले ऐसी व्यवस्था मैनुअल रूप से की जाती थी, जिसमें समय पर पहुंच की समस्या होती थी।

नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

2.4.2 बिना वैध पैन के पंजीकृत इकाई को जारी ईपीसीजी प्राधिकार

स्थायी खाता संख्या (पैन) आईईसी (आयात निर्यात कोड) प्राप्त करने के लिए आवश्यक एक अनिवार्य दस्तावेज है जो आयात एवं निर्यात के लिए यूनिक 10 अंकों का कोड है। वर्ष 2017 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के परिणामस्वरूप, आईईसी संख्या फर्म के पैन के समान ही होता है जो ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन के आधार पर डीजीएफटी द्वारा अलग से जारी किया जाता है।

डीजीएफटी के डंप डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि आरए लुधियाना से संबंधित ₹0.36 करोड़ के डीएसवी वाले दो मामलों के संबंध में डेटाबेस में अमान्य पैन को कैप्चर किया गया था। जब 836 चयनित नमूनों को एक दूसरे से सत्यापित किया

गया, तो यह पाया गया कि आरए सूरत से संबंधित ₹0.93 करोड़ के डीएसवी वाले दो मामलों में जहां अमान्य पैन जारी किया गया था, वहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में न केवल सत्यापन के आधार पर प्राधिकार जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में कमी को देखा गया था बल्कि डीजीएफटी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रणाली में अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण भी था।

डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2023) कि एफटीपी वर्तमान में अधिदेशित करता है कि प्रत्येक आईईसी धारक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून के मध्य अपने केवाईसी विवरण को अद्यतन करवाना आवश्यक है, जिसके बिना उनका आईईसी निष्क्रिय हो जाता है, एवं उसकी अवस्थिति सीमा शुल्क को प्रेषित की जाती है।

यह देखा गया कि एफटीपी में अधिदेशित केवाईसी अद्यतन का उपरिलिखित मामलों में अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2.4.3 अन्य अपात्र निर्यातकों को जारी ईपीसीजी प्राधिकार

चयनित मामलों की समीक्षा में दो उदाहरण[7] सामने आए जहां ₹1.47 करोड़ के डीएसवी के साथ दो आरएओं में अन्य अपात्र निर्यातकों को प्राधिकार जारी किए जा रहे हैं।

इन मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

आरए कोच्चि

आरए कोच्चि ने 'खुदरा सेवा' के रूप में पृष्ठांकित निर्यात उत्पाद के साथ तिरुवनंतपुरम में शॉपिंग मॉल की स्थापना के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए मेसर्स ए11 को ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया एवं यह कि हाइपरमार्केट के बिक्री काउंटर पर बिक्री आय का उपयोग निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए किया जाता था।

सेवा लेखांकन संहिता 996211 के अनुसार - खुदरा व्यापार में सेवा में खुदरा व्यापार पर शुल्क/कमीशन या करार के आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं

[7] **सीएलए दिल्ली (1 मामला), आरए कोच्चि (1 मामला)।**

सम्मिलित हैं। जीएसटी टैरिफ में स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सेवा में माल की बिक्री या खरीद सम्मिलित नहीं होती है। इसलिए, माल की बिक्री आय का उपयोग खुदरा सेवाओं के लिए निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि आवेदक खुदरा सेवा के लिए पंजीकृत नहीं था, लेकिन 'होटल एवं पर्यटन से संबंधित सेवाओं' के लिए था। इसलिए आवेदक खुदरा सेवाओं के लिए ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए पात्र नहीं था।

डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2023) कि प्राधिकार धारक को सीमा शुल्क अधिकारियों को लागू ब्याज के साथ संपूर्ण शुल्क माफ की गई राशि का भुगतान करके निर्यात दायित्व की कमी को नियमित करने के लिए कहा गया है।

सीएलए दिल्ली

एचबीपी 2009-14 का पैरा 5.1ए यह निर्धारित करता है कि एफटीपी के पैरा 5.1 के अंतर्गत शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के कुछ निर्दिष्ट अध्यायों/शीर्षकों के अंतर्गत कवर योजना उत्पादों के निर्यात से संबंधित पूंजीगत माल के आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

सीएलए दिल्ली ने मैसर्स ए12 को ₹0.21 करोड़ की डीएसवी वाली मुद्रण संबंधित मशीनरी के आयात के लिए प्राधिकार जारी किया एवं अध्याय 48 (जो निषिद्ध सूची में था) के अंतर्गत मास्टर कार्टून, मोनो कार्टून, मुद्रित लेबल, मुद्रित शीट, ब्लिस्टर कार्ड एवं अन्य मुद्रित पैकिंग सामग्री का निर्यात किया। आए ने प्राधिकार का मोचन क्योंकि प्राधिकार धारक ने ₹1.25 करोड़ ($2,64,278.56) के एसईओ को पूर्ण किया था, भले ही निर्यात की गई वस्तुएं निषिद्ध सूची में शामिल थी।

डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2023) कि फर्म के सापेक्ष एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिनिर्णयन कार्यवाही शुरू की गई है।

सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध किया (सितंबर 2023) जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

2.5 अपात्र एवं प्रतिबंधित मदों का आयात

2.5.1 परिशिष्ट 5 (एफ) के साथ पठित एफटीपी का पैरा 5.01 निर्धारित करता है कि आयात के लिए प्रतिबंधित मदों के आयात को डीजीएफटी मुख्यालय में निर्यात सुविधा समिति (ईएफसी) से अनुमोदन के बाद ही ईपीसीजी योजना के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी।

यह देखा गया कि प्रतिबंधित वस्तुओं को सीएलए दिल्ली में ₹16.24 करोड़ के डीएसवी वाले एक मामले में ईएफसी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना आयात करने की अनुमति दी गई थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

2.5.2 सार्वजनिक सूचना सं. 47/2015-20 दिनांक 06 दिसंबर 2017 के साथ पठित एफटीपी (2015-20) का परिशिष्ट-5एफ कुछ पूंजीगत माल को निर्दिष्ट करता है जिन्हें ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयात के लिए अनुमति नहीं है, अर्थात, सभी उद्देश्य वाले वाहनों की अनुमति नहीं है एवं केवल खनन क्षेत्र के लिए टायर सहित ट्रक/टिपर/डंपर एवं उसके पुर्जों की अनुमति है।

डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि अपात्र सूची में निर्दिष्ट मदों को 5,105 प्राधिकारों में आयात किया गया था। लेखापरीक्षा ने चयनित 836 प्राधिकारों से ₹171.03 करोड़ के डीएसवी वाले सात आरएओं में 35 प्राधिकारों[8] का चयन किया **(अनुलग्नक 1.5)**।

आयातित अपात्र मद रेलवे वैगन, कंप्यूटर एवं प्रिंटर, सीमेंट एवं शेड, पावर ट्रांसफार्मर थे, जो प्राधिकार जारी करने से पहले आवेदनों की संवीक्षा में कमी को दर्शाते थे।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

---

[8] **आरए अहमदाबाद (1 मामला), आरए बेंगलुरु (19 मामले), आरए चेन्नई (3 मामले), आरए कानपुर (1 मामले), आरए लुधियाना (3 मामले), आरए मुंबई (4 मामले), आरए वाराणसी (4 मामले),**

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई

क. एसटीपीआई से डीटीए इकाई में रूपांतरण पर, मैसर्स ए13 प्रा. लि. आरए चेन्नई द्वारा "वित्त लेखांकन सेवाएं" के अंतर्गत ₹23.01 करोड़ के निर्यात दायित्व के साथ 57 वस्तुओं के आयात के लिए ₹3.84 करोड़ के डीएसवी वाला एक शून्य शुल्क प्राधिकार जारी किया गया था (मार्च 2017)।

एफटीपी का पैरा 5.07 केवल एक निर्यातोन्मुख इकाइयाँ/स्थानांतरित सेज इकाइयों के रूपांतरण पर ईपीसीजी योजना के अंतर्गत लाभ उठाने की अनुमति देता है, जबकि आरए ने एसटीपीआई इकाई को प्राधिकार जारी किया। इस अनियमितता में ₹3.84 करोड़ का डीएसवी सम्मिलित था। इसके अलावा, आयात की अनुमति वाली वस्तुओं में कुर्सियां, स्विच, प्लग, आईपी फोन, हेडसेट, स्पीकर, स्टीरियो, टेलीफोन सेट, तार, फर्नीचर सम्मिलित हैं जो योजना के अंतर्गत "पूंजीगत माल" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अयोग्य थे। फलस्वरूप, ₹2.31 करोड़ का सीमा शुल्क ब्याज सहित वसूली योग्य था।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि एफटीपी का पैरा 6.18 (डी) एसटीपी इकाइयों को डीटीए इकाइयों के लिए मौजूदा ईपीसीजी योजना के अंतर्गत सकारात्मक एनएफई मानदंडों एवं ईपीसीजी योजना के अंतर्गत अन्य पात्रता मानदंडों के अधीन बाहर निकलने की अनुमति देता है। इसके अलावा, पूंजीगत माल की परिभाषा में सहायक उपकरण सम्मिलित हैं। सनदी अभियंता के प्रमाण पत्र से संबंध की भी पुष्टि की गई है। इसके अलावा, इन वस्तुओं को दिनांक 01 अप्रैल 2015 एफटीपी से पहले ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयात करने की अनुमति दी गई थी।

ख. मैसर्स ए14 लि., चेन्नई को आरए चेन्नई द्वारा ऑडियो विजुअल सर्विसेज, ब्रॉड कास्टिंग सर्विसेज, सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सहित मनोरंजन सेवाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ₹3.44 करोड़ के डीएसवी वाली पूंजीगत माल (कुल 31 मद) के आयात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया गया था (मई 2010)। आयात के लिए अतिरिक्त 156 मदों अर्थात शर्ट, कालीन, रिफ्लेक्टिव ग्लास, फ्लोट ग्लास, मॉड्यूलर फॉल्स सीलिंग, रोलर शटर, पॉलीकार्बोनेट शीट, टाइल, बांस की अंगूठी, इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग, फर्नीचर आदि को सम्मिलित करने के लिए प्राधिकार में संशोधन (मई 2010) किया गया

था। अंत में, कुल डीएसवी को ₹10.05 करोड़ तक संशोधित किया गया था एवं प्राधिकार धारक को ₹40.50 करोड़ के एईओ के अलावा आठ वर्षों की इओ अवधि के भीतर ₹80.40 करोड़ के एसईओ को पूर्ण करने की आवश्यकता थी। सहायक दस्तावेजों के साथ मोचन आवेदन प्रस्तुत किया गया था (जुलाई 2018) लेकिन प्राधिकार को अभी भी मोचन किया जाना है।

यह देखा गया कि अनुमत अतिरिक्त मदें एचबीपी में परिभाषित "पूंजीगत माल" के दायरे में नहीं आती हैं एवं इसलिए अपात्र मदों पर दी गई ₹4.52 करोड़ की शुल्क रियायत अनियमित थी। इसके अलावा, आयात की गई वस्तुओं एवं प्राधिकार धारक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच कोई ऋणपत्र नहीं था। ऋणपत्र प्रमाणपत्र सनदी अभियंता से प्राप्त एक आश्वासन है जिसमें बताया गया है कि आयातित पूंजीगत माल निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं के निर्माण एवं निर्यात किए जाने वाले माल के निर्माण में उपयोग के लिए आवश्यक हैं।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि मामले पर कार्रवाई शुरू हो गई थी एवं मोचन का आदेश फाइल पर दे दिया गया था। हालांकि, इओडीसी जारी करने से पहले, यह देखा गया था कि ईपीसीजी योजना, एसईआईएस योजना के अंतर्गत अपात्र मदों के लिए फर्म पर कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लंबित थीं, जिसमें मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा जाना था एवं इसलिए मामले को स्थगन दिया गया था। इस मामले में, फर्म ने उपयोग किए गए डीएसवी के संदर्भ में अधिक ईओ पूरा किया है। इसे विदेशों में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली मनोरंजन सेवाओं से संबंधित एफआईआरसी प्रतियों के साथ सत्यापित किया गया था। फर्म द्वारा वार्षिक औसत भी बनाए रखा गया था।

सार्वजनिक सूचना 4/2015-20 दिनांक 6 दिसंबर 2017 के साथ पठित 11 अक्टूबर 2004 के नीति परिपत्र 4/2004-09 के अंतर्गत जारी स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई के उदाहरणात्मक मामले (अ) व (ब) के संबंध में उत्तर मान्य नहीं है, जिसमें ईपीसीजी योजना के अंतर्गत केवल होटल उद्योग को फर्नीचर के आयात की अनुमति है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा का तर्क, ईपीसीजी योजना के अंतर्गत अपात्र वस्तुओं की अनुमति देने पर था, न कि निर्यात दायित्व की पूर्ति पर।

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई को छोड़कर डीजीएफटी (जून 2024) द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 4

यह सत्यापित करने के लिए आईटी प्रणाली में आवश्यक सत्यापन किए जाएं कि क्या कोई अयोग्य/प्रतिबंधित वस्तु आयात की गई है, आवेदकों के पास अमान्य पैन हैं आदि । डीजीएफटी ऐसे प्राधिकार जारी होने को सक्रिय रूप से रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र और बेहतर पर्यवेक्षण को संस्थागत बनाए।

डीजीएफटी ने (अक्टूबर 2023) कहा कि जुलाई 2020 से चरणबद्ध तरीके से नई आईटी प्रणाली लागू की गई है जिसमें पैन आधारित आईईसी सत्यापन लागू किया गया है और मैनुअल सत्यापन बंद कर दिया गया है। दिसंबर 2020 में शुरू किए गए नए ईपीसीजी मॉड्यूल में अयोग्य वस्तुओं की मैपिंग की आवश्यकता है जो विवरण आधारित है और इसमें एक आइटम के लिए एक से अधिक आईटीसी (एचएस) कोड शामिल हो सकते हैं। डीजीएफटी ऐसी वस्तुओं के एचएस कोड की मैपिंग के बाद अयोग्य/प्रतिबंधित वस्तुओं को संहिताबद्ध करने का कार्य करता है। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

2.6 दस्तावेजों का सत्यापन

एचबीपी के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्राधिकार जारी करने से पहले आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है। डीजीएफटी, आवेदन की प्राप्ति एवं प्रसंस्करण हेतु एक नई ऑनलाइन एवं केंद्रीकृत प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है (नवंबर 2020)।

हालांकि यह पाया गया कि ऑनलाइन प्रणाली प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों अर्थात, आरसीएमसी, सीए प्रमाणपत्र, चालान, आदि की सत्यता की जांच नहीं करता है, लेकिन प्रस्तुत करने से पहले दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए केवल संकेत देता है।

836 चयनित प्राधिकारों की समीक्षा से पता चला है कि ₹159.89 करोड़ के डीएसवी वाले चार आरएओं के 19 मामलों[9] में, पूर्ण/अनिवार्य दस्तावेजों **(अनुलग्नक 1.6 (ए))** को अपलोड किए बिना आवेदन स्वीकार किए गए थे, एवं चार आरएओं के 11 मामलों[10] में ₹240.56 करोड़ के डीएसवी वाले, गलत दस्तावेज स्वीकार किए गए थे **(अनुलग्नक 1.6 (बी)),** जो ऑनलाइन प्रणाली में सत्यापन नियंत्रणों/सॉफ्ट अलर्ट की कमी को दर्शाता है, जोकि असंबंधित/अयोग्य/प्रतिबंधित पूंजीगत माल, निर्दिष्ट निर्यात दायित्व का गलत निर्धारण आदि के आयात के जोखिम से भरा हुआ है।

इसके अलावा, ₹108.02 करोड़ के डीएसवी वाले दो आरएओं के तीन मामलों[11] में, आवेदकों को तकनीकी कमियों के कारण ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आरए में भौतिक रूप से आवेदनों को जमा करना शुरू किया गया। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

क्षेत्रीय प्राधिकरण इंदौर

क्षेत्रीय प्राधिकरण इंदौर ने मैसर्स ए15 लि. को अपूर्ण/गलत संबंध प्रमाणपत्र के आधार पर प्राधिकार जारी किया।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई

मैसर्स ए16 लिमिटेड ने अनुवर्ती प्रभारों के लिए उत्प्रेरक[12] से संबंधित पूंजीगत माल के आयात के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ईपीसीजी प्राधिकारों के लिए आवेदन किया। परिशिष्ट-5ए के अनुसार, सनदी अभियंता (सीई) ने यह कहते हुए प्रमाण पत्र जारी किया (सितंबर 2018) कि उत्प्रेरक को ईपीसीजी योजना के अंतर्गत 'प्रारंभिक प्रभार के लिए' आयात किया गया था, जबकि उसी परिशिष्ट-5ए के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 में, सीई ने बताया कि आयातित उत्प्रेरक का उपयोग 'अनुवर्ती प्रभारों के लिए' किया जाना था। इस प्रकार, डीजीएफटी ने फर्म को

---

[9]आरए बेंगलुरु (12 मामले), आरए कानपुर (3 मामले), आरए कोच्चि (1 केस), आरए कोलकाता (3 मामले)।

[10]आरए इंदौर (1 केस), आरए कोलकाता (1 केस), आरए मुंबई (3 केस), आरए पुणे (6 केस)।

[11]आरए बेंगलुरु (2 मामले), आरए कोलकाता (1 केस)।

[12]ऐसा उपकरण या पुर्जे जो विद्यमान मशीनरी के निष्पादन को बढ़ाने के लिए उसका नवीनीकरण करने के लिए अभिप्रेत हों

तकनीकी विवरण मांगने का निर्देश दिया (नवंबर 2018) क्योंकि उन्होंने मूल मशीनरी की खरीद के लिए जारी किए गए प्रारंभिक प्राधिकार के 13 वर्षों के बाद उत्प्रेरक के आयात के लिए आवेदन किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो विभाग ने इस संबंध में कोई डीएल जारी किया एवं न ही प्राधिकार धारक ने कोई तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया।

विभाग ने बताया (मई 2023) कि प्राधिकार धारक ने एफटीपी के अनुसार केवल अनुवर्ती प्रभार के लिए प्राधिकार प्राप्त किया है और प्रारंभिक प्रभार के अनुसार उत्प्रेरक का विवरण गलत उल्लेख किया गया था।

तथ्य यह है कि आरए मुंबई ने डीजीएफटी के निर्देशानुसार उत्प्रेरक के उपयोग के तकनीकी विवरण और उचित सत्यापन प्राप्त किए बिना तथा सीई प्रमाणपत्र में असंगतता देखने के बावजूद उसी दिन प्राधिकार जारी कर दिया।

क्षेत्रीय प्राधिकरण पुणे

छ: मामलों में, कपड़ा उद्योग में लगी फर्मों ने गलत तरीके से अभियांत्रिक उत्पादों के अंतर्गत आयात मशीनरी के रूप में प्राधिकार के लिए आवेदन किया। प्राधिकार "सामान्य कपड़ा उद्योग" के बजाय 'अभियांत्रिक उत्पादों' के अंतर्गत जारी किए गए थे।

डीजीएफटी से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापार सुगमता के अंतर्गत आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन प्रणाली के सुविधा उपायों की समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं करती है, लेकिन केवल प्रस्तुत करने से पहले दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए अनुबोधन करती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि भले ही कुछ अनिवार्य दस्तावेज अपलोड न किए गए हों, फिर भी प्रणाली, ऑनलाइन प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट की कमी को दर्शाते हुए प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है, जो दुरुपयोग के जोखिम अर्थात असंबंधित/अयोग्य/प्रतिबंधित पूंजीगत माल का आयात करना, निर्दिष्ट निर्यात दायित्व का गलत निर्धारण, आदि से भरा हुआ है।

2.7 आवश्यक विवरण के बिना जारी किए गए प्राधिकार

2.7.1 संयंत्र /मशीनरी जिसके लिए पुर्जे आवश्यक हैं के विवरणों का उल्लेख न करना

एचबीपी के पैरा 5.06 के अनुसार, पुर्जों के आयात के मामले में, ईपीसीजी प्राधिकार संयंत्र/मशीनरी जिसके लिए पुर्जों की आवश्यकता है का विवरण, प्राधिकार के अंतर्गत अनुमत डीएसवी का मूल्य, आयात किए गए माल का विवरण, निर्यात दायित्व का मूल्य का विवरण आदि इंगित करेगा।

यह देखा गया कि ₹1.68 करोड़ के डीएसवी के साथ क्षेत्रीय प्राधिकरण बेंगलुरु के छः मामलों में, प्राधिकार में न तो संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण एवं न ही निर्यात उत्पादों एवं निर्यात दायित्व के विवरण का उल्लेख किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

2.7.2 अग्रिम रिलीज ऑर्डर (एआरओ) में अपेक्षित विवरण न होना

एचबीपी के प्रावधानों के अनुसार, घरेलू खरीद के मामले में, अग्रिम रिलीज ऑर्डर (एआरओ) में आवश्यक विवरण होना चाहिए।

यह देखा गया कि एआरओ में ₹0.14 करोड़ के डीएसवी के साथ क्षेत्रीय प्राधिकरण वाराणसी से संबंधित एक मामले में खरीदी जाने वाली वस्तु का नाम, विवरण एवं मूल्य नहीं था।

अग्रिम रिलीज ऑर्डर के साथ, एक निर्यातक जो एक वैध प्राधिकार धारक है, प्रत्यक्ष आयात के बजाय स्वदेशी स्रोतों अर्थात ईओयू, सेज, एसटीपी, ईएचटीपी, ईपीजेड इकाइयों के माध्यम से इनपुट प्राप्त कर सकता है। लेन-देन विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा में हो सकते हैं। अग्रिम रिलीज ऑर्डर के अंतर्गत आपूर्ति के लिए, नियोक्ता शुल्कों का प्रतिदाय प्राप्त कर सकते हैं, यदि भुगतान किया गया हो। मद के विवरण के अभाव में, सही मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है, एवं बाद की तिथि में दुरुपयोग की संभावना है।

सहायक निर्माता का समर्थन, निर्यात उत्पाद का विवरण, प्राधिकारों में निर्यात दायित्व और साथ ही घरेलू खरीद के मामलों में अग्रिम रिलीज ऑर्डर (एआरओ) जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के बिना प्राधिकार जारी करना योजना के तहत

अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के डायवर्जन और परिणामस्वरूप गैर-लेखा/निगरानी द्वारा दुरुपयोग के जोखिम से भरा है। डीजीएफटी आईटी प्रणालियों की समीक्षा की जानी चाहिए और अनिवार्य आवश्यकताओं/सूचना के बिना प्राधिकार जारी करने को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)

सिफारिश सं. 5

आवेदकों और प्राधिकार धारकों (एएच) द्वारा की गई घोषणाओं के सत्यापन के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जा सकता है और गलत घोषणा करने वाले आवेदकों/एएच से निपटने के लिए कड़े निवारक लागू किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) को मौजूदा प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए या आवश्यक विवरण के बिना प्राधिकार जारी करने में निष्क्रियता और आवेदकों एवं एएच द्वारा दायर घोषणाओं/दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित नहीं करने के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

डीजीएफटी ने (अक्टूबर 2023) कहा कि स्व-घोषणा के आधार पर योजना को लागू करने के प्रयास के साथ एक विश्वास आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। जहाँ भी संभव हो, भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया जा रहा है और गलत बयानी, धोखाधड़ी आदि से निपटने के लिए एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में कड़े प्रावधान उपलब्ध हैं।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामले संकेत देते हैं कि एफटीपी के बताए गए प्रावधानों को ऑनलाइन प्रणाली में पर्याप्त रूप से मैप नहीं किया गया है और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रेडेंशियल या दस्तावेजों का आरए द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया जाता है और अनिवार्य दस्तावेज जमा किए बिना भी प्राधिकार जारी किए जा रहे हैं।

2.8 प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे प्राधिकार जारी करना

डीजीएफटी के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (एफटीडीओ)/सहायक डीजीएफटी के पास ₹2 करोड़ के डीएसवी, उप डीजीएफटी को ₹25 करोड़ तक के डीएसवी एवं संयुक्त

डीजीएफटी को ₹50 करोड़ तक के डीएसवी तक ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने की शक्ति है। हालांकि, ₹50 करोड़ से अधिक एवं ₹100 करोड़ तक के डीएसवी के ईपीसीजी प्राधिकारों के आवेदनों को ईपीसीजी समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता होती है एवं ₹100 करोड़ से अधिक के ईपीसीजी प्राधिकारों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री/वित्त मंत्री के अनुमोदन से मुख्यालय में ईपीसीजी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

836 चयनित प्राधिकारों की समीक्षा से ₹209.10 करोड़ के डीएसवी वाले दो क्षेत्रीय प्राधिकरण के चार मामलों[13] को जारी करने में वित्तीय शक्तियों के अननुपालन का पता चला।

कुछ उदाहरणों को यहां दर्शाया गया है:

सीएलए दिल्ली

सीएलए दिल्ली ने संयुक्त डीजीएफटी के बजाय उप डीजीएफटी का अनुमोदन लेने के बाद ₹37.89 करोड़ के डीएसवी के साथ मैसर्स ए17 लि. को प्राधिकार जारी किया।

इसी प्रकार, मैसर्स ए18 लिमिटेड को ईपीसीजी समिति को फाइल भेजे बिना संयुक्त डीजीएफटी के अनुमोदन से क्रमशः ₹116.34 करोड़ एवं ₹53.61 करोड़ के डीएसवी के साथ दो प्राधिकार जारी किए गए थे।

डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2023) कि ईपीसीजी प्राधिकार चूक के कारण जारी किए गए थे जिनकी बाद में जांच की गई थी एवं कार्योत्तर आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

भले ही डीजीएफटी ने प्राधिकार की आवेदन प्राप्ति एवं प्रसंस्करण के लिए एक नई ऑनलाइन एवं केंद्रीकृत डीजीएफटी प्रणाली में स्थानांतरित (नवंबर 2020) कर दिया था, जिससे इस तरह के मुद्दों को चिह्नित करने की उम्मीद की जाती है, हालांकि, लाइसेंस प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के बाद भी, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे प्राधिकार जारी किए जा रहे हैं, ऐसे मामलों को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

---

[13] **सीएलए दिल्ली (3 मामले), आरए मुंबई (1 मामला)।**

सिफारिश सं. 6

प्राधिकार जारी करने में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणाली में आवश्यक वैधीकरण अवरोध किए जाने चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि दिसंबर 2020 में शुरू किए गए नए ईपीसीजी मॉड्यूल में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए इनबिल्ट मैपिंग है और अयोग्य वस्तुओं की मैपिंग की जानी है जो विवरण आधारित है और इसमें एकल आइटम के लिए एक से अधिक आईटीसी (एचएस) कोड शामिल हो सकते हैं।

नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

2.9 ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने में विलंब

एचबीपी 2015-20 के पैरा 9.10 में निर्धारित किया गया है कि ईपीसीजी प्राधिकार आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर जारी किया जाना है। डीजीएफटी सिटीजन चार्टर दस्तावेज़ में भी यही समय सीमा लागू की गई है। इसके अलावा, डीजीएफटी ने टीएन 20/2019-20 के माध्यम से दोहराया कि किसी विशेष एए/ईपीसीजी प्राधिकारों के मोचन के लिए कई डीएल जारी करने के बजाय एक समेकित दोष पत्र (डीएल) जारी किया जाए।

836 चयनित ईपीसीजी प्राधिकारों की समीक्षा में 17 क्षेत्रीय प्राधिकारों के 379[14] मामलों (45.33 *प्रतिशत*) में विलंब का पता चला, जैसा कि नीचे दिया गया है (**अनुलग्नक** 1.7 (**ए**))

तालिका 2.1: प्राधिकार जारी करने में विलंब

विलंब दिनों में	मामलों की संख्या
1 - 30 दिन	364
31 से 90 दिन	9

[14]**आरए अहमदाबाद (72 मामले), आरए बेंगलुरु (42 मामले), आरए चेन्नई (5 मामले), आरए कोयंबटूर (8 मामले), सीएलए दिल्ली (3 मामले), आरए इंदौर (10 मामले), आरए हैदराबाद (16 मामले), आरए जयपुर (51 मामले), आरए कानपुर (1 मामला), आरए कोलकाता (2 मामले), आरए लुधियाना (5 मामले), आरए मुंबई (25 मामले), आरए पानीपत (5 मामले), आरए पुणे (8 मामले), आरए सूरत (115 मामले), आरए वाराणसी (2 मामले), आरए विशाखापत्तनम (9 मामले)।**

विलंब दिनों में	मामलों की संख्या
90 से अधिक दिन	6
कुल	**379**

प्राधिकार जारी करने से पहले, क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता/ शुद्धता को सत्यापित करना चाहिए एवं आवेदक को कोई भी कमी सूचित करने के लिए एक डीएल (तीन दिनों के भीतर) जारी करना चाहिए एवं आवेदक से संतोषजनक प्रतिक्रिया के बाद प्राधिकार जारी किया जाए।

कुल 379 विलंबित मामलों में से 51 में आवेदन अधूरे थे, जिसके लिए डीएल तीन दिनों के भीतर जारी किया जाना था। यह देखा गया कि पांच क्षेत्रीय प्राधिकरणों **(अनुलग्नक 1.7 (बी))** में 51 मामलों[15] में डीएल जारी करने में विलंब हुआ था। प्राधिकार जारी करने के लिए तीन दिनों के निर्धारित समय की गणना जारी किए गए डीएल को संतोषजनक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की तिथि से की गई थी। शेष 328 विलंबित मामलों में, कोई डीएल जारी नहीं किया गया था एवं प्राधिकार जारी करने में विलंब के कोई स्पष्ट कारण नहीं थे, जो तीन कार्य दिवसों में जारी किए जाने चाहिए थे।

इसके अलावा, यह 51 मामलों में से सात[16] मामलों (दो क्षेत्रीय प्राधिकरणों में) में देखा गया था, आवेदकों को कई डीएल जारी किए गए थे। कई डीएल जारी करना, डीजीएफटी परिपत्र का उल्लंघन करता है जिसमें बताया गया है कि कई हिस्सों में डीएल जारी करने के बजाय एक समेकित डीएल को जारी किया जाना है।

हालांकि यह देखा गया कि नवंबर 2020 से प्राधिकार जारी करने के ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित के बाद प्राधिकार जारी करने की समय सीमा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए एचबीपी/एफटीपी में निर्धारित समयसीमा का क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा सख्ती से

---

[15] आरए बेंगलुरु (17 मामले), आरए इंदौर (17 मामले), आरए मुंबई (13 मामले), आरए पुणे (2 मामले), आरए विशाखापत्तनम (2 मामले).

[16] आरए मुंबई (5 मामले), आरए पुणे (2 मामले)

अनुपालन नहीं किया जाता है। ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने में होने वाला विलंब, प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभाग के प्रयास को प्रभावित करता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं.7

डीजीएफटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करके ईपीसीजी प्राधिकारों को जारी करने के लिए निर्धारित समयसीमा का सख्ती से अनुपालन किया जाए। अनेक कमी पत्र जारी करने के बजाय एक ही बार में सभी कमियों/चूक को कवर करते हुए कमी पत्र जारी करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए आवश्यक नियम एफटीपी/एचबीपी में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और सामान्य रूप से उनका पालन और उनका निपटारा किया जाता है बशर्ते आवेदन सभी तरह से पूर्ण हों और निर्धारित दस्तावेजों के साथ हों। सर्वर संचालित स्वचालित नियम आधारित प्रणाली के माध्यम से प्राधिकार जारी करने की सुविधा भी विकास के अधीन है, जिसमें कमी पत्र जारी करने में देरी को संहिताबद्ध और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। नई प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव सीएजी की सिफारिश को पूरा करेंगे।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई देरी के मामले इंगित करते हैं कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान प्राधिकार और कमी पत्र जारी करने में निर्धारित समयसीमा का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है, इसलिए, इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

2.10 एक आयातक को कई ईपीसीजी प्राधिकार जारी करना

हालांकि एक ही आईईसी धारकों को कई प्राधिकार जारी करने पर मौजूदा प्रावधानों में कोई प्रतिबंध नहीं है, मोचन न किए गए पहले प्राधिकारों के दायित्वों की पूर्ति की प्रगति पर सूचना प्राप्त किए बिना बाद के प्राधिकार जारी करना एक प्रभावी, डेटा-संचालित निगरानी तंत्र के अभाव में एक जोखिम कारक है। प्रणाली निर्यात

दायित्व अवधि के पूर्ण होने के बाद मोचन न किए गए अनेक प्राधिकारों से संबंधित में कोई सतर्कता नहीं दिखाता है। यह उन प्राधिकारों की अवधि समाप्ति के बाद मार्च 2021 के अंत तक अपरिवर्तित रहने वाले एक लाख से अधिक प्राधिकारों की पृष्ठभूमि में अधिक महत्व रखता है।

डीजीएफटी डेटा के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि निम्नानुसार कई प्राधिकार जारी किए गए हैं:

तालिका 2.2: कई प्राधिकार जारी करना

क्र.सं.	एक ही इकाई को जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या	ऐसी इकाईयों की संख्या
1.	100-200	235
2.	201-300	76
3.	301-1,000	38
4.	1,000 से अधिक	6

बाद में चर्चा किए गए प्राधिकारों के मोचन पर लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि इस जानकारी को समग्र निगरानी ढांचे के एक भाग के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।

सरकार को राजस्व की हानि के संदर्भ में सम्मिलित जोखिम पर प्रकाश डालने वाले कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

क्षेत्रीय प्राधिकरण बेंगलुरु

क्षेत्रीय प्राधिकरण बेंगलुरु ने वर्ष 2007 से 2016 की अवधि के दौरान मैसर्स ए19 प्राइवेट लिमिटेड को ₹9.04 करोड़ के डीएसवी के साथ 23 प्राधिकार जारी किए, जो छः या आठ वर्षों की अवधि के भीतर ₹58.69 करोड़ के निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के अधीन थे। प्राधिकार धारक ने किसी भी प्राधिकार के संबंध में न तो कोई वार्षिक निर्यात निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एवं न ही क्षेत्रीय प्राधिकरण को कोई ब्लॉक-वार पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा ₹9.04 करोड़ के डीएसवी की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई ने मैसर्स ए20 लिमिटेड को ₹35.27 करोड़ के डीएसवी के लिए 164 प्राधिकार (फरवरी 2000 से अप्रैल 2017) जारी किए जिसमें होटल के माध्यम से सेवाओं के निर्यात द्वारा छः या आठ वर्षों के भीतर पूर्ण किए जाने वाले ₹206.57 करोड़ के बराबर मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने का दायित्व था। निर्यात दायित्व को निर्धारित वार्षिक औसत से अधिक हासिल किया जाना था। इन प्राधिकारों में से केवल 27 प्राधिकारों का ही मोचन किया गया था। शेष 137 में से छः प्राधिकारों को विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना गया था एवं ₹8.04 करोड़ के निर्यात दायित्व के साथ ₹1.09 करोड़ के डीएसवी वाले इन सभी छः मामलों को निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद बिना मोचन के रखा गया था। लेकिन, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) केवल दो मामलों में ही जारी किया गया था तथा केवल एक मामले के संबंध में सीमा शुल्क विभाग में समानांतर कार्रवाई शुरू की गई थी।

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई ने बताया कि सभी मामलों में सावधानी पत्र/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए हैं, जिनमें से चार मामलों का अधिनिर्णयन किया गया है एवं 137 मामलों में, प्राधिकार धारक ने एईओ बनाए रखने से छूट के लिए डीजीएफटी, नई दिल्ली में ईपीसीजी समिति से संपर्क किया है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सीएलए दिल्ली

सीएलए दिल्ली ने वर्ष 2008 से 2012 की अवधि के दौरान ₹237.51 करोड़ के डीएसवी के लिए मैसर्स ए21 को 32 प्राधिकार जारी किए जो आठ वर्ष की अवधि के भीतर ₹1,900.11 करोड़ के निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के अधीन थे। यह देखा गया कि प्राधिकार धारक ने जारी किए गए किसी भी प्राधिकार के संबंध में न तो कोई वार्षिक निर्यात निष्पादन रिपोर्ट एवं न ही कोई ब्लॉक-वार पूर्णता रिपोर्ट सीएलए दिल्ली को प्रस्तुत की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹604.14 करोड़ की हानि हुई थी।

एक अन्य मामलें में, यह देखा गया कि सीएलए दिल्ली ने ₹81.04 करोड़ के डीएसवी के साथ मैसर्स ए22 को एक प्राधिकार जारी किया, जबकि 611 प्राधिकार जो सीएलए द्वारा प्राधिकार जारी करने की तिथि तक लंबित थे।

यह इंगित किए जाने पर, सीएलए दिल्ली ने बताया (जुलाई 2022) कि आयातक निर्यातक कोड धारक को जारी किए जाने वाले ईपीसीजी प्राधिकारों की संख्या के संबंध में एचबीपी/नीति में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। एक आईईसी धारक अपनी आवश्यकता के अनुसार ईपीसीजी प्राधिकार ले सकता है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि एक इकाई को प्राधिकार जारी करना जिसने पहले ही चूक की हो भविष्य में चूक के जोखिम को और बढ़ा दिया है एवं ऐसी इकाईयों के लिए निगरानी तंत्र अत्यधिक अपर्याप्त है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोलकाता

लेखापरीक्षा ने दस मामलों की पहचान की जहां चार प्राधिकार धारक को कई-कई प्राधिकार रेंज 6 से 29 तक, जारी किए गए थे, भले ही पिछले जारी किए गए प्राधिकारों की पूर्ति ना हुई हो। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोलकाता ने ₹10.71 करोड़ के डीएसवी के प्रति पूंजीगत माल के आयात के लिए मैसर्स ए23 को प्राधिकार जारी किया (20 मई 2014), जो प्राधिकार जारी करने की तिथि से छः वर्ष की अवधि में पूर्ण किए जाने के लिए ₹1,306.54 करोड़ तक की राशि पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में प्राप्त निर्यात के औसत स्तर से अधिक ₹64.26 करोड़ के डीएसवी के छः गुना के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति के अधीन है।

संवीक्षा से पता चला कि प्राधिकार धारक ने दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद भी निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए या तो पहले ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना ₹10.71 करोड़ के काल्पनिक डीएसवी के साथ स्वदेशी रूप से माल की खरीद की थी। डीजीएफटी निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र की वेबसाइट से यह भी पुष्टि की गई थी कि फर्म को कोई निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। हालांकि प्राधिकार की निर्यात दायित्व अवधि

मई 2020 में समाप्त हो गई, क्षेत्रीय प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया।

डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2023) कि फर्म ने गलत फ़ाइल संख्या के साथ मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है (नवंबर 2021)। बाद में मोचन आवेदन का पता लगाया गया एवं 22 जून 2023 को दोष पत्र जारी किया गया।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई

लेखापरीक्षा ने चार प्राधिकार धारकों की पहचान की जिनको पूर्व में जारी प्राधिकारों की गैर-पूर्ति की विधिवत निगरानी के बिना 160 से 980 तक अनेक प्राधिकार जारी किए गए थे।

यह देखा गया कि प्राधिकार धारक ने निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद भी पहले जारी किए गए प्राधिकारों के मोचन के लिए एएनएफ 5बी प्रस्तुत नहीं किया था। इससे निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी निर्यात दायित्व की गैर-पूर्ति के कारण ₹390.16 करोड़ (डीएसवी की सीमा तक) का जोखिम बन गया।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि ईपीसीजी योजना के अंतर्गत फर्मों को जारी किए जाने वाले ईपीसीजी प्राधिकारों की संख्या पर कोई प्रतिबंध/सीमा नहीं है। आईईसी धारक द्वारा दिए गए आवेदनों की संख्या आवेदकों की व्यावसायिक जरूरतों द्वारा निर्देशित है एवं जो एफटीपी के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है।

एक प्रभावी, डेटा-संचालित निगरानी तंत्र के अभाव में दुरुपयोग होने के जोखिम से पहले के प्राधिकारों के दायित्वों की पूर्ति प्रगति पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित किए बिना बाद के प्राधिकारों को निर्गत किया जाना जारी है।

डीजीएफटी को एफटीपी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संचालित निगरानी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता है। पहले के मोचन न किए गए प्राधिकारों के दायित्वों की प्रगति की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना बाद के प्राधिकारों को जारी करना, को एक जोखिम कारक माना जाना चाहिए।

सिफारिश सं.8

डीजीएफटी एक ही इकाई को कई प्राधिकार जारी करते समय जोखिम आधारित मूल्यांकन मॉडल को कारक बना सकता है ताकि पहले के प्राधिकारों में चूक करने वाली संस्थाओं का अधिक सावधानी से मूल्यांकन किया जा सके। क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) यह सुनिश्चित करें कि पहले के लंबित प्राधिकार वास्तविक मामले हैं या ऐसे मामलों को नियमित करें या आरए की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

डीजीएफटी ने (अक्टूबर 2023) कहा कि स्टेटस धारकों द्वारा कई प्राधिकरण मुख्य रूप से लंबे इंस्टॉलेशन समय वाली बड़ी परियोजनाओं की स्थापना हेतु लिए जाते हैं। निर्यात करने वाली संस्थाओं (जो कई प्राधिकार लेती हैं) का कई समय अंतराल पर मूल्यांकन करने का सुझाव अच्छी तरह से लिया गया है और इसे नियत समय में आरएमएस ढांचे के तहत कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा। हालाँकि, किसी एक संस्था को कई प्राधिकरण जारी करना उचित परिश्रम और संस्था के निर्यात के ट्रैक रिकॉर्ड और पिछले प्रदर्शन की पुष्टि करने के बाद होता है।

पहले के प्राधिकरणों के दायित्वों की प्रगति की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना बाद के प्राधिकरण जारी करना जोखिम कारक माना जाना चाहिए।

2.11 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निर्दिष्ट निर्यात दायित्व का गलत निर्धारण, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए एक ही औसत निर्यात दायित्व एवं एक ही वित्तीय वर्षों के लिए अलग-अलग औसत निर्यात दायित्व को निर्धारित किया जाना पाया तथा स्थिति में परिवर्तन या डीएसवी के वास्तविक उपयोग के कारण इसका अद्यतन न होना निर्यात दायित्व की पूर्ति के निगरानी न किए जाने को दर्शाता है। आवधिक रिटर्न ही आरएओं के पास निर्यात दायित्व निर्धारण की सम्यक निगरानी एवं इसकी पूर्ति के लिए एकमात्र साधन हैं एवं निर्यात दायित्व पूर्ति पर नियमित रिटर्न के लिए जोर देने अथवा फाईल न करने वालों के प्रति दंडात्मक उपायों को लागू करने में आरएओं की ओर से निष्क्रियता के कारण विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं दे रहा है जहां निर्दिष्ट निर्यात दायित्व/औसत निर्यात दायित्व गलत तरीके से निर्धारित किए गए हैं एवं योजना के अंतर्गत अनुमत लंबी परिपक्वता अवधि

के बाद अद्यतन नहीं किए गए हैं तथा मोचन के लिए बचे हुए हैं या निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) तंत्र के कार्यान्वयन को पाया, जिसे निर्यातकों को प्राधिकार की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए जाना जाता है, ताकि डीईएल के अंतर्गत इकाईयों को रखने एवं कई स्थगन आदेश जारी करने में विलंब के साथ अप्रभावी हो। जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से देखा गया है, बिना कोई कारण दर्ज किए स्थगन आदेश जारी किए गए थे एवं स्थगन आदेश जारी किए बिना डीईएल स्थिति धारक को प्राधिकार जारी किए गए थे। किसी निर्यातक को जारी किए जा सकने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इकाई को स्थगित करने के लिए कोई एसओपी/तंत्र निर्धारित नहीं है। स्थगन देना एवं वह भी कई बार, अनेक मामलों में डीईएल में इकाई को रखने के उद्देश्य को विफल करता है। एफटीपी की शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए इकाई हेतु स्थगन एक निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली को एक इकाई की पूर्ण जानकारी देनी चाहिए अर्थात जब डीईएल के अंतर्गत रखा गया हो, जब स्थगन दिया गया हो, इकाई द्वारा एफटीपी का उल्लंघन आदि। यह जानकारी सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध होनी चाहिए। यह निगरानी करना कि ऐसी इकाईयां एफटीपी के प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं, इन्हें निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापार सुगमता के अंतर्गत आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन प्रणाली के सुविधा उपायों की समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं करती है, लेकिन केवल प्रस्तुत करने से पहले दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रेरित करती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि भले ही कुछ अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हों, फिर भी प्रणाली ऑनलाइन प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट की कमी को दर्शाते हुए प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है, जो दुरुपयोग के जोखिमों से भरा हुआ है, जैसे कि आयात करना असंबंधित/अपात्र/ प्रतिबंधित पूंजीगत माल, निर्दिष्ट निर्यात दायित्व का गलत निर्धारण, आदि।

सहायक निर्माता का समर्थन, निर्यात उत्पाद का विवरण, प्राधिकारों में निर्यात दायित्व और साथ ही घरेलू खरीद के मामलों में अग्रिम रिलीज ऑर्डर (एआरओ) जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के बिना प्राधिकार जारी करना योजना के तहत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के डायवर्जन और परिणामस्वरूप गैर-लेखा/निगरानी द्वारा दुरुपयोग के जोखिम से भरा है। डीजीएफटी आईटी प्रणालियों की समीक्षा की जानी चाहिए और अनिवार्य आवश्यकताओं/सूचना के बिना प्राधिकार जारी करने को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हालांकि डीजीएफटी, प्राधिकार हेतु आवेदन प्राप्ति एवं प्रसंस्करण के लिए एक नई ऑनलाइन एवं केंद्रीकृत डीजीएफटी प्रणाली में स्थानांतरित (नवंबर 2020) हो गया था, जिससे ऐसे मुद्दों को चिह्नित करने की उम्मीद है, हालांकि, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के बाद भी, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे प्राधिकार जारी किए जा रहे हैं, ऐसे मामलों को पूर्व-तथ्य के आधार पर अनुमोदित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए एचबीपी/एफटीपी में निर्धारित समयसीमा का क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता है।

डीजीएफटी के पास एफटीपी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा संचालित निगरानी तंत्र होना चाहिए। पहले के मोचन हेतु शेष प्राधिकारों के दायित्वों की प्रगति की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना बाद के प्राधिकारों को जारी करना, को एक जोखिम कारक माना जाना चाहिए।

अध्याय III
ईपीसीजी प्राधिकारों का उपयोग

ईपीसीजी योजना डीजीएफटी (एमओसीआई) द्वारा प्राधिकार धारकों को इसके मोचन एवं निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकार जारी करने के संबंध में प्रशासित की जाती है**,** जबकि आयातित पूंजीगत माल पर सीमा शुल्क उदग्रहण से छूट की अनुमति देने के लिए सीमा शुल्क पत्तनों पर प्राधिकार के पंजीकरण के साथ-साथ ही प्राधिकारों के प्रति निर्यात का लेखांकन, सीमा शुल्क विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा प्रशासित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया की जांच की एवं हमारे मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख अध्याय II में किया गया था। इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या प्राधिकार धारकों (एएच) एवं विभाग ने ईपीसीजी योजना में निर्धारित शर्तों का पालन किया था जैसे निर्धारित समय के भीतर पूंजीगत माल का आयात एवं स्थापना, पूंजीगत माल की घरेलू उद्गम, प्राधिकारों को जोड़ना, पंजीकृत पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों से आयात, निर्दिष्ट सीमा से अधिक आयात, निर्यात दायित्व का विस्तार आदि।

प्राधिकारों के उपयोग की व्यापक समीक्षा करने के लिए, लेखापरीक्षा ने ₹36,732.24 करोड़ के डीएसवी वाले कुल 3,400 प्राधिकारों के नमूने की विभिन्न श्रेणियों का चयन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोचन किए गए मामले (1,275 प्राधिकारों में ₹24,190.74 करोड़ की डीएसवी के साथ वर्ष 2018-21 के दौरान मोचन किए गए), मोचन न किए गए मामले (1,312 प्राधिकारों में ₹11,385.03 करोड़ के डीएसवी के साथ जो 31 मार्च 2021 को मोचन न किए गए थे, भले ही निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त हो गई थी) एवं वर्ष 2015-18 के दौरान जारी किए गए ₹1156.47 करोड़ के डीएसवी वाले 813 प्राधिकार जिनका प्रथम ब्लॉक 50 *प्रतिशत* निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के दायित्व के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था तथा उसके परिणामों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है**:**

- सीमा शुल्क डेटा के साथ डीजीएफटी एमआईएस रिपोर्ट का मिलान न होना (पैरा 3.1);

- आयात शर्तों का निर्धारित समय के भीतर पूर्ण न होना (पैरा 3.2);
- अतिरिक्त आयातों/आयातित माल स्थानांतरण की निगरानी (पैरा 3.3);
- पूंजीगत माल का घरेलू उद्गम (पैरा 3.4);
- प्राधिकारों का संयोजन (पैरा 3.5);
- पंजीकृत पत्तनों के अलावा अन्य से आयात (पैरा 3.6);
- निर्दिष्ट सीमा से अधिक आयात (पैरा 3.7);
- निर्यात दायित्व का विस्तार (पैरा 3.8)।

3.1 सीमा शुल्क डेटा के साथ डीजीएफटी एमआईएस रिपोर्ट का मिलान न होना

डीजीएफटी की एमआईएस रिपोर्ट के साथ सीमा शुल्क के आंकड़ों के प्रति-सत्यापन से पता चला है कि वर्ष 2018-21 (डीजीएफटी एमआईएस रिपोर्ट) की अवधि के दौरान ₹42,714 करोड़ के डीएसवी वाले 34,777 प्राधिकार जारी किए गए थे, जबकि ₹8,125 करोड़ के डीएसवी वाले केवल 1,778 प्राधिकार एवं ₹1,00,044 करोड़ के सीआईएफ मूल्य का वास्तव में उपयोग किया गया था (सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग डेटा) ।

यद्यपि बड़ी संख्या में प्राधिकार जारी किए गए थे, तथापि इस अवधि के दौरान उपयोग कम था, जो यह दर्शाता है कि प्राधिकारों का समय पर उपयोग नहीं हो रहा था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि डीजीएफटी आईटी प्रणाली जारी, निर्दिष्ट निर्यात दायित्व आदि के संबंध में आंकड़ों का अभिग्रहण करती है, हालांकि, प्राधिकारों के उपयोग पर डेटा, अर्थात, आयात किए गए सीजी/डीएसवी का विवरण डीजीएफटी द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली में कैप्चर नहीं किया गया है एवं ना क्षेत्रीय प्राधिकरण में उपलब्ध थे जैसे कि भौतिक प्राधिकार फाइलों के सत्यापन से देखा गया था। क्षेत्रीय प्राधिकरण सीमा शुल्क डेटा का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं जिसके कारण प्राधिकार के वास्तविक उपयोग की स्थिति क्षेत्रीय प्राधिकरण को ज्ञात नहीं है जब तक कि प्राधिकार धारक स्थापना प्रमाण पत्र (आईसी)/निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.2 आयात शर्तों को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण ना होना

एचबीपी के पैरा 5.04 में निर्धारित किया गया है कि प्राधिकार धारक को 24 महीने के भीतर पूंजीगत माल के आयात को पूर्ण करना होगा एवं आयात पूर्ण होने की तिथि से छः महीने के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र के केंद्रीय उत्पाद शुल्क/माल एवं सेवा कर प्राधिकरण (सीई/जीएसटी) या एक स्वतंत्र सनदी अभियंता (सीई), से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो प्राधिकार धारक के विकल्प पर, प्राधिकार धारक या उसके सहायक निर्माता के कारखाने/परिसर में पूंजीगत माल की स्थापना की पुष्टि करता हो।

3.2.1 आयात निर्धारित समय के भीतर पूर्ण ना होना

यह देखा गया कि चयनित 3,400 प्राधिकारों में से, आयात 24 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर चार क्षेत्रीय प्राधिकरणों में 29 मामलों[17] में ₹1,083.33 करोड़ के डीएसवी के साथ पूर्ण नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने आगे पता लगाया कि क्या क्षेत्रीय प्राधिकरण ने उन मामलों में समय का कोई विस्तार दिया था जहां आयात पूर्ण नहीं किया जा सका एवं यह देखा कि क्षेत्रीय प्राधिकरण ने न तो कोई कार्रवाई शुरू की थी एवं न ही 29 मामलों में से किसी में प्राधिकार रद्द किए गए थे **(अनुलग्नक 2.1)**।

क्षेत्रीय प्राधिकरण पूंजीगत माल के आयात एवं स्थापना प्रमाण पत्र (आईसीएस) को समय पर प्रस्तुत करने की निगरानी नहीं कर रहे थे। हालांकि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कैप्चर किए गए आयात का विवरण संदेश आदान-प्रदान प्रणाली (एमईएस) के माध्यम से क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए प्राप्य है, लेखापरीक्षा ने देखा कि कई क्षेत्रीय प्राधिकरण इस तरह प्राप्त डेटा का विश्लेषण नहीं कर रहे थे ताकि नियत तिथि के बाद जारी किए गए प्राधिकारों के प्रति आयातित पूंजीगत माल की पहचान की जा सके।

[17] **आरए कोयंबटूर (3 मामले), आरए इंदौर (22 मामले), आरए मुंबई (3 मामले), आरए वाराणसी (1 मामला)।**

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.2.2 पूंजीगत माल की स्थापना निर्धारित समय में नहीं करना

यह देखा गया था कि आयातित पूंजीगत माल ₹82.84 करोड़ **(अनुलग्नक 2.2 (ए))** के डीएसवी के साथ पांच क्षेत्रीय प्राधिकरणों के 36 मामलों[18] में निर्धारित समय अवधि के भीतर स्थापित नहीं किया गया था एवं 11 क्षेत्रीय प्राधिकरण में 456 मामलों[19] में ₹1315.67 करोड़ के डीएसवी के साथ, आयात का विवरण, समय का विस्तार या स्थापना क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित मामलों की फाइलों में उपलब्ध नहीं था **(अनुलग्नक 2.2 (बी)**।

ईपीसीजी लाइसेंस जारी करने के बाद 14 वर्षों के बाद भी पूंजीगत माल की स्थापना न करने के एक नमूना मामले पर यहां प्रकाश डाला गया है:

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोच्चि

मैसर्स बी1 लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 के दौरान जारी किए गए पांच *प्रतिशत* के रियायती शुल्क के साथ सात ईपीसीजी प्राधिकारों के अंतर्गत एसिड रिकवरी प्लांट के लिए पूंजीगत माल का आयात किया। आयातित माल का मूल्य ₹185.60 करोड़ था एवं उस पर अधित्यक्त शुल्क ₹17.33 करोड़ था। पूंजीगत माल को तब तक स्थापित नहीं किया गया जब तक कि सीमा शुल्क विभाग ने वर्ष 2010 में ब्याज सहित ₹17.33 करोड़ की शुल्क की मांग ना की एवं क्षेत्रीय प्राधिकरण कोच्चि ने वर्ष 2017 में ₹35 करोड़ का राजकोषीय शास्ति लगाई।

---

[18] सीएलए दिल्ली (1 केस), आरए जयपुर (10 केस), आरए कोच्चि (3 केस), आरए कोलकाता (19 केस), आरए वाराणसी (3 केस)।

[19] आरए अहमदाबाद (48 मामले), आरए बेंगलुरु (114 मामले), सीएलए दिल्ली (35 मामले), आरए इंदौर (5 मामले), आरए कानपुर (21 मामले), आरए कोच्चि (12 मामले), आरए कोलकाता (33 मामले), आरए मुंबई (33 मामले), आरए पुणे (52 मामले), आरए सूरत (39 मामले), आरए वाराणसी (64 मामले)।

फर्म ने वर्ष 2018 तक पूंजीगत माल की स्थापना के लिए समयसीमा एवं मार्च 2021 तक निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे ईपीसीजी समिति द्वारा 1 नवंबर 2018 को रद्द कर दिया गया था।

इसके बाद, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने डीजीएफटी को 01 नवंबर 2018 को ईपीसीजी समिति के निर्णय की समीक्षा करने एवं छः महीने की अतिरिक्त समयसीमा के भीतर आदेश पारित करने के लिए याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2019)। ईपीसीजी समिति द्वारा अक्टूबर 2022 में अपनी 7वीं बैठक में दर्ज की गई समीक्षा याचिका पर विचार किया गया था एवं नोट किया गया था कि ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के 14 से 15 वर्षों के बाद भी, आवेदक कुछ भी निर्यात नहीं कर पाया है। ईपीसीजी योजना के अंतर्गत इतनी लंबी अवधि के लिए निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार पर विचार नहीं किया गया था। तदनुसार, समिति ने उनके अनुरोध को रद्द करने का निर्णय लिया।

सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी की ओर से समय पर कार्रवाई करने में देरी के कारण डीएसवी और लगाया गया जुर्माना वसूल नहीं हो सका।

डीजीएफटी एवं सीबीआईसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.2.3 स्थापना प्रमाणपत्र प्रस्तुत ना करना

सात क्षेत्रीय प्राधिकरण में ₹253.37 करोड़ के डीएसवी वाले 169 मामलों[20] में, हालांकि आयात निर्धारित समयसीमा के भीतर किया गया था, इस प्रकार आयातित पूंजीगत माल का संबंधित स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन मामलों में, निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकार धारक से क्षेत्रीय प्राधिकरण से मिलने तक स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करते समय, क्षेत्रीय प्राधिकरण ने स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब के लिए ₹5,000 का जुर्माना लगाया (**अनुलग्नक 2.2(स)**)।

[20] **आरए चेन्नई (9 मामले), आरए कोयंबटूर (9 मामले), आरए हैदराबाद (68 मामले), आरए कानपुर (7 मामले), आरए कोलकाता (16 मामले), आरए लुधियाना (26 मामले), आरए पानीपत (34 मामले)।**

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.2.4 स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

₹521.28 करोड़ के डीएसवी वाले नौ क्षेत्रीय प्राधिकरणों के 178 मामलों[21] में, स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब हुआ **(अनुलग्नक 2.3)**।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.2.5 अतिरिक्त शर्त

कलपुर्जों के संबंध में, एक अतिरिक्त शर्त (एचबीपी का पैरा 5.05) तीन वर्ष के भीतर स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। कुल 3,400 चयनित नमूनों में से, 86 मामलों में कलपुर्जों का आयात किया गया था एवं ₹8.42 करोड़ के डीएसवी वाले दो क्षेत्रीय प्राधिकरणों के 3 मामलों[22] में अतिरिक्त शर्त को पूर्ण नहीं किया गया था।

क्षेत्रीय प्राधिकरण एवं क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क अधिकारियों को मोचन के दौरान उपरोक्त कमियों की निगरानी एवं समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.3 अतिरिक्त आयातों/आयातित माल के स्थानांतरण की निगरानी

योजना प्राधिकार धारक को पूरी निर्यात दायित्व अवधि के दौरान आयातित पूंजीगत माल को उसके आईईसी एवं पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) में उल्लिखित अन्य इकाइयों में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, जो स्थानांतरण के छः महीने के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को नए स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

---

[21] आरए चेन्नई (9 मामले), आरए कोयंबटूर (41 मामले), आरए कानपुर (3 मामले), आरए कोच्चि (2 मामले), आरए कोलकाता (9 मामले), आरए लुधियाना (23 मामले), आरए मुंबई (13 मामले), आरए पानीपत (73 मामले), आरए विशाखापत्तनम (5 मामले)।

[22] सीएलए दिल्ली (2 मामले), आरए पानीपत (1 मामला)।

यह देखा गया कि नए स्थापना प्रमाण पत्र को ₹0.97 करोड़ के डीएसवी वाले एक मामले में न तो प्राधिकार धारक द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं न ही क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई द्वारा मांगा गया था, भले ही आयातित पूंजीगत माल बाद में स्थानांतरित कर दिया गया था।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई ने बताया (मई 2023) कि प्राधिकार धारक को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए ₹5,000 के दंड के साथ नया स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

लागू करने में कमी, योजना लाभ के दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ है। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सिफारिश सं. 9

डीजीएफटी आयात प्रस्तुत करने, निर्माताओं का विवरण, आयातित माल की स्थापना का स्थान, नेक्सस प्रमाणपत्र घोषित करने और स्थापना प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करने जैसे नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर आयात पूरा नहीं होने और स्थापना प्रमाणपत्रों में देरी/न प्रस्तुत करने पर आरए द्वारा गैर-निगरानी एवं कार्रवाई शुरू न करने के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एफटीपी 2023 के पैरा 2.14 में प्राधिकार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने, ईओ हासिल करने में विफल रहने या डीओआर/डीजीएफटी द्वारा जारी मांग नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित राशि जमा करने में विफल रहने पर एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान है। डीजीएफटी उन दोषी फर्मों को चिह्नित करने के लिए एक प्रणाली विकसित कर रहा है जिन्होंने नियमों का अनुपालन नहीं किया है और अनुपालन के लिए निर्यातक के लिए एसएमएस/ईमेल आधारित प्रणाली संचालित संदेश प्रणाली बना रहा है।

जैसा कि लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों से देखा गया है, उपरोक्त प्रावधानों को आरएओं द्वारा ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है, वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने वालों/स्थापना प्रमाणपत्रों की सूचना न देने वालों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और नियमितीकरण के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क निवारक के रूप में कार्य नहीं करता है, जो डीजीएफटी द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी का संकेत देता है तथा परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके और माफी योजनाओं की आवश्यकता समाप्त हो सके। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

3.4 पूंजीगत माल का घरेलू सोर्सिंग

एचबीपी के पैरा 5.08 में यह निर्धारित किया गया है कि प्राधिकार धारक स्वदेशी रूप से निर्मित पूंजीगत माल को स्रोत बनाने का इरादा रखता है, तो प्रत्यक्ष आयात/अग्रिम रिलीज ऑर्डर (एआरओ) जारी करने के लिए ईपीसीजी प्राधिकार को अमान्य करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरण से अनुरोध करेगा।

इसके अलावा, पैरा 2.29 निर्धारित करता है कि, स्वदेशी स्रोत के मामले में, प्राधिकार धारक सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 58/2004 दिनांक 31 अक्टूबर 2004, समय-समय पर संशोधन के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकरण को बैंक गारंटी/एलयूटी प्रस्तुत करेगा।

सार्वजनिक सूचना संख्या 47/15-2020 के साथ पठित एफटीपी 2015-2020 के पैरा 5.1(डी) यह बताता है कि प्राधिकार जारी करने की तिथि से 24 महीने (शून्य शुल्क ईपीसीजी के लिए नौ महीने एवं एफटीपी 2009-14 के मामले में तीन *प्रतिशत* ईपीसीजी प्राधिकारों के लिए 36 महीने) के लिए आयात के लिए प्राधिकार मान्य होगा। इसके अलावा, ईपीसीजी प्राधिकार के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक सूचना संख्या 1/2009-14 दिनांक 5 जून 2012 में निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय प्राधिकरण, प्राधिकार पर पुष्टि करेगा कि सीमा शुल्क प्राधिकरण संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण से एनओसी या निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही बैंक गारंटी/एलयूटी को जारी /मोचन किया जाएगा। क्षेत्रीय

प्राधिकरण अपनी जानकारी एवं अभिलेख के लिए पंजीकृत पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकार को एक अग्रेषण पत्र के साथ इसकी एक प्रति को पृष्ठांकित करेगा।

3.4.1 प्राधिकार की अवैधता पंजीकरण पत्तन को सूचित न करना

कुल 3,400 प्राधिकारों के नमूने में से, पूँजीगत माल की घरेलू सोर्सिंग 638 मामलों में की गई थी। हालांकि, ₹111.75 करोड़ के डीएसवी वाले तीन क्षेत्रीय प्राधिकरणों के 34 मामलों[23] में, ईपीसीजी प्राधिकारों को या तो अमान्य कर दिया गया था या इस तथ्य को पंजीकरण पत्तन को सूचित नहीं किया गया था **(अनुलग्नक 2.4)**।

नौ महीने की निर्धारित अवधि से अधिक घरेलू स्तर पर पूंजीगत माल की खरीद के उदाहरण भी देखे गए।

डीजीएफटी एवं सीबीआईसी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.4.2 अग्रिम रिलीज ऑर्डर में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹0.14 करोड़ के डीएसवी के साथ क्षेत्रीय प्राधिकरण वाराणसी से संबंधित एक मामले में कोई एआरओ विवरण नहीं था एवं दो मामलों[24] में ₹0.15 करोड़ के डीएसवी के साथ दो क्षेत्रीय प्राधिकरण में, प्राधिकार धारक ने स्वदेशी खरीद करने से पहले एआरओ के लिए उचित रूप में आवेदन नहीं किया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.4.3 अपेक्षित राशि के बैंक गारंटी/बॉन्ड को क्षेत्रीय प्राधिकरण के साथ अनुबंधित नहीं किया गया था

इसके अलावा, ₹5.72 करोड़ के डीएसवी वाले दो क्षेत्रीय प्राधिकरण के नौ मामलों[25] में, अपेक्षित राशि के बैंक गारंटी/बॉन्ड को क्षेत्रीय प्राधिकरण के साथ अनुबंधित नहीं किया गया था। क्षेत्रीय प्राधिकरण सूरत में ₹4.15 करोड़ के डीएसवी वाले मामलों की उच्च संख्या दर्ज की जा रही है।

---

[23]आरए जयपुर (26 मामले), आरए मुंबई (7 मामले), आरए वाराणसी (1 मामला)।

[24]सीएलए दिल्ली (1 केस), आरए वाराणसी (1 केस)।

[25]आरए अहमदाबाद (1 केस), आरए सूरत (8 केस)।

ईपीसीजी लाइसेंस के पंजीकरण के दौरान, बांड राशि की गणना मैनुअल रूप से की जाती है एवं गणना विवरण की प्रति बांड अनुबंधित करते समय आवेदक की भौतिक फ़ाइल में रखी जाती है। लाइसेंस की निगरानी के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी।

पूंजीगत माल की घरेलू खरीद के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने से दोहरे लाभ (आईजीएसटी के भुगतान से छूट प्राप्त करने एवं शुल्क मुक्त आयात करने) का जोखिम है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि क्षेत्रीय प्राधिकरण एवं सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच संदेश आदान-प्रदान प्रणाली (एमईएस) सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालयों में पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालयों में जहां एमईएस पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है, क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालय मैनुअल संचार की पुरानी प्रथा का पालन कर रहे हैं। अप्रमाणीकरण की प्रति डाक के माध्यम से संबंधित पंजीकरण पत्तन पर भेजी जाती थी। पंजीकरण पत्तन तक पहुंची है या नहीं, इसकी निगरानी क्षेत्रीय प्राधिकरण या सीमा शुल्क द्वारा नहीं की जाती है।

डीजीएफटी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

कुछ उदाहरणात्मक मामलों पर प्रकाश डाला गया है:

सीएलए दिल्ली

सीएलए दिल्ली ने मैसर्स बी2 लिमिटेड को निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किया, भले ही प्राधिकार धारक ने अमान्य या एआरओ के लिए आवेदन किए बिना पूंजीगत माल (बैंड नाईफ कटिंग मशीन एवं शक्ति चालित क्लॉथ कटिंग मशीन) को स्वदेशी रूप से प्राप्त किया।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि फर्म से स्पष्टीकरण एवं दस्तावेजी प्रमाण मांगा गया है।

सिफारिश सं. 10

एएच द्वारा सभी घरेलू खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित कर तुरंत पोर्ट तक संचारित करना चाहिए ताकि एएच द्वारा प्राधिकारों के दुरुपयोग से बचा जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि नई आईटी प्रणाली जो पहले ही लागू हो चुकी है, अमान्यता पत्र या आपूर्ति प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रत्यक्ष आयात की आनुपांतिक मात्रा/मूल्य स्वचालित रूप से ईपीसीजी प्राधिकार से कम हो जाएगी और नए आयात मूल्य एपीआई संदेश विनिमय के माध्यम से आइसगेट को सूचित किए जाएंगे। आयात के लिए प्राधिकार को अमान्य करने वाले प्राधिकार पर संशोधन किया गया है। सीएजी की सिफारिश पहले ही लागू की जा चुकी है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों से पता चलता है कि सभी मामलों में अमान्यता पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं या पंजीकरण पत्तन/सीमा शुल्क को सूचित नहीं किया जा रहा है ताकि प्राधिकारों के संभावित दुरुपयोग को समय पर जांचा जा सके। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

3.5 प्राधिकार का संयोजन

एचबीपी का पैरा 5.27 दो या दो से अधिक प्राधिकारों को क्लब करने की अनुमति देता है जहां प्राधिकारों पर लेखांकित निर्यात उत्पाद समान/सदृश्य हैं एवं उसी क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, प्राधिकार के मोचन से पहले क्लबिंग की अनुमति है एवं निर्यात दायित्व अवधि को प्रथम प्राधिकार जारी करने की तिथि से माना जाएगा। प्रथम जारी किए गए प्राधिकार की निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए किसी निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी क्लब किए गए प्राधिकारों के कुल निर्यात दायित्व को क्लब किए गए प्राधिकार के कुल डीएसवी को ध्यान में रखते हुए पुन: निर्धारित किया जाएगा। ईपीसीजी प्राधिकारों के संयोजन के मामले में जहां निर्यात दायित्व को वैकल्पिक उत्पादों के निर्यात द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, क्षेत्रीय प्राधिकरण वैकल्पिक उत्पादों के निर्यात के अनुपात को परिभाषित करेगा

जिसका उपयोग क्लब किए गए प्राधिकारों की निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए किया जा सकता है।

प्राधिकार का संयोजन प्राधिकार धारक को सभी क्लब ईपीसीजी प्राधिकारों के सापेक्ष समग्र निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के लिए एक लाइसेंस से दूसरे लाइसेंस में अतिरिक्त निर्यात के समायोजन का लाभ देती है।

3.5.1 प्राधिकार के मोचन के बावजूद क्लबिंग की अनुमति

कुल 3,400 प्राधिकारों के चयनित नमूने में से, 225 प्राधिकारों के संबंध में क्लबिंग की गई थी एवं यह देखा गया था कि ₹91.29 करोड़ के डीएसवी वाले चार क्षेत्रीय प्राधिकरणों के 29 मामलों[26] में, लाइसेंस को मोचन के बावजूद भी प्राधिकारों को जोड़ने की अनियमित अनुमति थी **(अनुलग्नक 2.5)**।

क्लबिंग प्रावधान प्राधिकार धारक को एक लाइसेंस के अंतर्गत अतिरिक्त निर्यात के समायोजन का लाभ दूसरे प्राधिकार को तभी लेने की अनुमति देता है जब प्राधिकारों का मोचन न किया गया हो। एक बार लाइसेंस का मोचन हो जाने के बाद, उस लाइसेंस के अंतर्गत अतिरिक्त निर्यात को किसी अन्य लाइसेंस के निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। यहां प्राधिकारों के संयोजन की अनुमति दी गई थी जिसमें से एक लाइसेंस का पहले ही मोचन किया जा चुका था, जो अनियमित था। यह प्राधिकार के दुरुपयोग का जोखिम था क्योंकि प्राधिकारों के अंतर्गत निर्दिष्ट निर्यात दायित्व अधूरा रहेगा एवं अन्य प्राधिकारों के अंतर्गत सामान्य निर्यात को इस अधूरे लाइसेंस के सापेक्ष लेखांकित किया गया।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

[26] **आरए कोयंबटूर (9 मामले), आरए हैदराबाद (17 मामले), आरए जयपुर (2 मामले), आरए वाराणसी (1 मामले)।**

3.5.2 क्लब किए गए प्राधिकार पर निर्यात दायित्व अवधि का अनियमित निर्धारण

दो क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹23.03 करोड़ के डीएसवी वाले 10 मामलों[27] में, निर्यात दायित्व अवधि प्रथम प्राधिकार जारी करने की तिथि से निर्धारित नहीं की गई थी। क्लब किए गए प्राधिकारों की निर्यात दायित्व अवधि के गैर-निर्धारण के उदाहरण भी देखे गए।

क्लब किए गए प्राधिकार के इन मामलों में प्रथम प्राधिकार जारी करने की तिथि का गलत उल्लेख या उल्लेख न करना निर्धारित अवधि की गणना को पूर्ण करने के लिए अनुमति देता है जो कठिन हो जाता है एवं निर्यात का जोखिम निर्धारित अवधि से अधिक बढ़ जाता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.5.3 असमान निर्यात उत्पादों के लिए क्लबिंग की अनुमति

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई से संबंधित ₹97.60 करोड़ के डीएसवी वाले पांच मामलों में, क्लबिंग की अनुमति दी गई थी, हालांकि निर्यात उत्पाद समान या सदृश्य थे।

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई

मैसर्स बी3 लिमिटेड के चार प्राधिकारों को वर्ष 2009-10 के दौरान एचएसडी/एटीएफ के निर्यात के लिए जारी किया गया था जिन्हें यार्न/फाइबर के निर्यात के लिए वर्ष 2007 से 2013 तक जारी किए गए 12 अन्य प्राधिकारों के साथ क्लब किया गया था, भले ही प्राधिकारों की निर्यात मदें अलग थी। इसके अलावा, 14 मई 2007 को जारी किए गए सबसे पुराने प्राधिकार को 14 मई 2015 (आठ वर्ष) के भीतर क्लब किया जा सकता है, हालांकि, प्राधिकार धारक ने नवंबर 2016 में पुराने प्राधिकार की निर्यात दायित्व अवधि की तिथि के बाद क्लब के लिए आवेदन किया एवं क्षेत्रीय प्राधिकरण ने क्लब करने की अनुमति दी एवं मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन कर 6 अप्रैल 2018 को निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किया।

[27] **आरए कोलकाता (6 मामले), आरए मुंबई (4 मामले)**

आरए मुंबई ने बताया (सितंबर 2023) कि एफटीपी 2009-14 के तहत जारी किए गए प्राधिकार एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.27 (जी) में दिए गए क्लबिंग के लिए माध्यमिक व्यवस्था के अनुसार उक्त अवधि की नीति द्वारा शासित होंगे।

आरए मुंबई का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि क्लब किए गए प्राधिकार में वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राधिकार भी शामिल हैं।

एक अन्य उदाहरण में, मैसर्स बी3 लिमिटेड को वर्ष 2012-13 के दौरान यार्न/फाइबर के निर्यात के लिए प्राधिकार जारी किया गया जिसे 15 अन्य प्राधिकारों के साथ क्लब करने की अनुमति दी गई थी, भले ही निर्यात उत्पाद अलग-अलग अर्थात यार्न, फाइबर, प्योर टेरेफ्थलिक एसिड (पीटीए), पॉलिस्टर चिप्स (पीईटी) एवं मोटर स्पिरिट (एमएस) थे।

डीजीएफटी ने बताया (अगस्त 2023) कि क्लबिंग एवं मोचन को संसाधित एवं प्राधिकार जारी करने की अवधि में लागू प्रासंगिक नीति के अनुसार स्वीकार किया गया था, जहां निर्यात उत्पाद के समरूप एवं समान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। समरूप/समान उत्पादों के साथ प्राधिकारों का संयोजन की स्थिति एचबीपी 2015-2020 में अन्तर्निदिष्ट की गई थी, न कि एचबीपी 2009-14 में। हालांकि, चूंकि सीमा शुल्क का भी समान प्रश्न था, इसलिए मामले को आगे की पुष्टि के लिए ईपीसीजी समिति को भेजा गया था। लेखापरीक्षा को समिति का निर्णय प्राप्त होने पर अवगत कराया जाएगा।

निर्यात दायित्व अवधि की अनुमति समाप्त होने पर क्लबिंग की अनुमति देने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। समिति का निर्णय प्रतीक्षित है।

सिफारिश सं.11

डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकारों का संयोजन नियमों के अनुसार हो। मोचन किए गए प्राधिकारों या असमान निर्यात उत्पादों का एक साथ संयोजन और निर्यात दायित्व के अनियमित निर्धारण पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि प्राधिकारों को क्लब करने के लिए आवश्यक नियम एफटीपी/एचबीपी में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। आईटी

सिस्टम कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि नियम आधारित वातावरण बना रहे और कोई अंकगणितीय त्रुटि न हो।

नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा बाद के ऑडिट में की जाएगी।

3.6 पंजीकृत पत्तन के अलावा अन्य से आयात

एचबीपी के पैरा 5.04 में यह निर्धारित किया गया है कि प्राधिकार, एकल पंजीकरण पत्तन के साथ जारी किया जाएगा एवं आयात के लिए पैरा 4.37 के अनुसार, पंजीकरण पत्तन के अलावा एक टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाएगा।

टीआरए, माल के विवरण, मूल्य एवं मात्रा के साथ-साथ अधिसूचित समुद्र-पत्तन/हवाई पत्तन के विवरण को दर्शाते हुए जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आयात की अनुमति होगी।

यह पांच क्षेत्रीय प्राधिकरण में ₹999.72 करोड़ के डीएसवी वाले 91 मामलों[28] में देखा गया था कि आयात सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक टीआरए के बिना प्राधिकार धारक द्वारा घोषित पत्तन के अलावा अन्य पत्तन के माध्यम से किया गया था **(अनुलग्नक 2.6)।** कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई एवं पुणे

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई एवं पुणे ने न्हावा शेवा समुद्र (आईएनएनएसए1) में पंजीकृत पत्तन के साथ छः प्राधिकार जारी किए। हालांकि, जैसा कि बीई से देखा गया है, प्राधिकार धारक ने अन्य पत्तन, अर्थात एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आईएनबीओएम4) से सीजी के एक भाग को आयात किया एवं पंजीकृत पत्तन (आईएनएनएसए1) पर प्रस्तुत विभिन्न बॉन्ड संख्याओं को डेबिट कर दिया। छः प्राधिकारों में से दो प्राधिकारों का, आयात दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना क्षेत्रीय प्राधिकरण पुणे द्वारा पहले ही मोचन किया जा चुका था।

---

[28]आरए जयपुर (8 मामले), आरए कोलकाता (3 मामले), आरए लुधियाना (74 मामले), आरए मुंबई (3 मामले), आरए पुणे (3 मामले)।

तालिका 3.1: पंजीकृत पत्तनों के अलावा अन्य से किए गए आयात

प्राधिकार धारक नाम	प्राधिकार तिथि	पंजीकृत पत्तन	आंशिक आयात	बांड डेबिट
मैसर्स बी4 पी लिमिटेड	30.09.2019	आईएनएनएसए1	आईएनबीओएम4	भिन्न
मैसर्स बी5 पी लिमिटेड	27.01.2014	आईएनएनएसए1	आईएनबीओएम4	भिन्न
मैसर्स बी 5पी लिमिटेड	17.06.2014	आईएनएनएसए1	आईएनबीओएम4	भिन्न
मैसर्स बी6 पी लिमिटेड	12.03.2015	आईएनएनएसए1	आईएनबीओएम4	भिन्न
मैसर्स बी7 पी लिमिटेड	06.10.2009	आईएनएनएसए1	आईएनबीओएम4	भिन्न
मैसर्स बी8 पी लिमिटेड	01.01.2016	आईएनएनएसए1	आईएनबीओएम4	भिन्न

वैध टीआरए के बिना लाइसेंस में उल्लिखित पत्तन के अलावा अन्य पत्तनों से पूँजीगत वस्तुओं के आयात में एक ही लाइसेंस जिसमें राजस्व निहित है का उपयोग करके कई पत्तनों से पूँजीगत वस्तुएँ आयात करने वाले प्राधिकार धारक का जोखिम होगा एवं बांड के दुरुपयोग का जोखिम भी है।

सीमा शुल्क अधिकारियों को लाइसेंस पर उल्लिखित पत्तन के अलावा अन्य पत्तनों से पूंजीगत माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक कि प्राधिकार धारक द्वारा टीआरए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जैसे ही तथा जब क्षेत्रीय प्राधिकरण को पता चले कि प्राधिकार धारक ने डीजीएफटी से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, लाइसेंस पर उल्लिखित पत्तन के अलावा अन्य पत्तन से आयात किया था, तो क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार धारक को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। यदि अतिरिक्त आयात देखा जाता है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा एससीएन आदि जारी करने की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद शुल्क, ब्याज एवं दंड की वसूली की जा सकती हैं। यह देखा गया कि इन मामलों में सीमा शुल्क विभाग या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगामी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.7 निर्दिष्ट सीमा से अधिक आयात

एचबीपी के पैरा 5.16 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि प्राधिकार पर इंगित डीएसवी से अधिक माल के आयात के लिए प्राधिकार का उपयोग किया गया है, तो प्राधिकार धारक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा तथा निर्दिष्ट

निर्यात दायित्व को आनुपांतिक रूप से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा**,** डीएसवी एवं आयातित माल की मात्रा उक्त प्राधिकार में निर्दिष्ट सीमा के भीतर होगी।

यदि जारी किए गए प्राधिकार का उपयोग वास्तव में माल के आयात के लिए किया गया है तो:

(क) प्राधिकार पर दर्शाए गए डीएसवी की वृद्धि 10 *प्रतिशत* से अधिक नहीं है, तो प्राधिकार को उस अनुपात में बढ़ा हुआ माना जाएगा। सीमा शुल्क संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखांकन के बिना स्वचालित रूप से ऐसे माल की निकासी की अनुमति देगा।

(ख) यदि उपयोग लाइसेंस में उल्लिखित डीएसवी के 10 *प्रतिशत* से अधिक है, तो प्राधिकार धारक को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस में संशोधन करना होगा।

प्राधिकारों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹205.99 करोड़ के डीएसवी वाले 22 मामलों[29] में, डीएसवी एवं प्राधिकार में उल्लिखित मात्रा से अधिक पूंजीगत माल के आयात पर वास्तविक शुल्क की छूट दी गई **(अनुलग्नक 2.7 (ए)**।

इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय प्राधिकरण में ₹18.63 करोड़ के डीएसवी वाले 23 मामलों[30] में, आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, भले ही आयात मूल्य **(अनुलग्नक 2.7 (बी))** से अधिक हो एवं दो क्षेत्रीय प्राधिकरण में ₹0.71 करोड़ के डीएसवी वाले तीन मामलों[31] में, निर्यात दायित्व में आनुपातिक वृद्धि भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है।

---

[29] आरए बेंगलुरु (3 मामले), सीएलए दिल्ली (4 मामले), आरए कोच्चि (1 मामला), आरए मुंबई (6 मामले), आरए वाराणसी (7 मामले)।

[30] आरए बेंगलुरु (3 मामले), सीएलए दिल्ली (1 मामला), आरए जयपुर (7 मामले), आरए मुंबई (3 मामले), आरए वाराणसी (9 मामले).

[31] आरए बेंगलुरु (2 मामले), सीएलए दिल्ली (1 मामला)।

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोयंबटूर

मैसर्स बी9 लिमिटेड को ₹50.13 करोड़ के डीएसवी के साथ प्राधिकार जारी किया गया (जनवरी 2010) एवं निर्यात दायित्व को पूर्ण करने हेतु ₹230.60 करोड़ की राशि की थी। उक्त प्राधिकार को आयात के लिए अमान्य (मई 2010) कर दिया गया था एवं 75 इनवॉइसों में, मैसर्स बी9ए से खरीद की अनुमति दे दी गई, पूंजीगत वस्तु की खरीद फरवरी 2011 से मार्च 2014 के दौरान की गई थी। नौ महीने की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद इनवॉइस जारी किए गए थे।

जब ब्याज सहित ₹10.91 करोड़ के शुल्क की वसूली के लिए लेखापरीक्षा द्वारा इस अनियमितता को इंगित किया गया था, तो क्षेत्रीय प्राधिकरण कोयंबटूर ने बताया (अक्टूबर 2022) कि निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र सहायक आयुक्त (एसी) द्वारा जारी स्थापना प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया था एवं सभी निर्यात, स्थापना की तिथि के बाद के थे। हालांकि अमान्य पत्र नौ माह के भीतर जारी किया गया था, पर आपूर्ति नौ माह के बाद प्रभावी हुई। फर्म ने क्लबिंग पर निर्यात दायित्व को पूर्ण किया था, जिसमें आयात एवं स्वदेशी खरीद दोनों सम्मिलित थी। नौ माह के बाद की गई खरीद का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि छः गुणा डीएसवी पहले से ही प्राधिकार धारक द्वारा पूर्ण कर दी गई थी। चूकिं निर्यात दायित्व पूर्ण हो गया था, शुल्क एवं ब्याज की वसूली की आवश्यकता नहीं थी।

यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रेंज अधीक्षक द्वारा जारी किए गए स्थापना प्रमाण पत्र पर विचार किया जाए, तो निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं किया गया था क्योंकि किए गए निर्यात, स्थापना की तिथि से पहले के थे। निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए समान एसबी पर विचार करने के लिए, सीमा शुल्क विभाग के सहायक आयुक्त से एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था एवं उसी शिपमेंट को निर्यात दायित्व के लिए गिना गया था जो व्यवस्थित नहीं था। इसके अलावा, विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि आपूर्ति नौ महीने के बाद की गई थी, जिससे खरीद अप्रयोज्य हो गई।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई

यह देखा गया कि छः मामलों में, पूंजीगत माल के आयात पर वास्तविक शुल्क छूट (₹162.18 करोड़) डीएसवी (₹101.12 करोड़) एवं प्राधिकार में उल्लिखित मात्रा से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹61.05 करोड़ की अतिरिक्त राशि का उपयोग हुआ। पांच मामलों में, प्राधिकार धारक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

तालिका 3.2: प्राधिकार में उल्लिखित डीएसवी से अधिक आयात की अनुमति

क्र. सं.	प्राधिकार धारक का नाम	अनुमत डीएसवी (₹करोड़ में)	उपयोग किया गया डीएसवी (₹करोड़ में)	अत्यधिक उपयोग (₹करोड़ में)	% में अधिकता
1	मैसर्स बी 10	92.08	151.34	59.26	64.35
2	मैसर्स बी 11	4.34	5.06	0.73	16.82
3	मैसर्स बी 11	1.66	2.36	0.7	42.17
4	मैसर्स बी 11	2.79	3.12	0.32	11.47
5	मैसर्स बी 12	0.11	0.13	0.02	18.18
6	मैसर्स बी 13	0.14	0.17	0.02	14.29
	कुल	**101.12**	**162.18**	**61.05**	**60.37**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्राधिकार धारक ने, प्राधिकार में अनुमत सीमा से अधिक आयात किया था एवं डीएसवी के अधिक उपयोग की रेंज 11.47 *प्रतिशत* से 64.35 *प्रतिशत* तक थी।

आईसीईएस में सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल को प्राधिकारों के डीएसवी की निगरानी करनी चाहिए एवं अतिरिक्त आयात की निकासी को प्रतिबंधित करना चाहिए जिसे या तो शुल्क के भुगतान या निर्यात दायित्व की वृद्धि के साथ नियमित करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई ने उत्तर दिया (मई 2023) कि मैसर्स बी10 लिमिटेड के मामले में, डीएसवी को बीओ पोर्टल द्वारा बढ़ाया गया था एवं शेष मामलों में फर्मों ने डीएसवी के अधिक उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान किया था।

मैसर्स बी10 लिमिटेड के संबंध में उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्राधिकार धारक को पूंजीगत माल के आयात से पहले लाइसेंस में संशोधन करने की आवश्यकता थी क्योंकि बचत शुल्क का उपयोग अनुमत शुल्क के दस *प्रतिशत* से अधिक है। सीबीआईसी से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोच्चि

मैसर्स बी14 ने कोचीन निवारक आयुक्तालय (आईएनटीआरवी4) के पास ₹4.84 लाख के डीएसवी के साथ एक प्राधिकार पंजीकृत किया, जिसके सापेक्ष डीएसवी का उपयोग ₹5.70 लाख था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.86 लाख (10 *प्रतिशत* से अधिक) का अधिक उपयोग हुआ। सीमा शुल्क ने, क्षेत्रीय प्राधिकरण कोच्चि से अतिरिक्त आयात एवं निर्यात दायित्व में वृद्धि के नियमितीकरण के बिना माल की निकासी की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएओं को डीएसवी उपयोग के तथ्यों की जानकारी तब तक नहीं थी जब तक कि एएच ने लाइसेंस में संशोधन करने या एएनएफ 5बी में मोचन के लिए आवेदन करने के लिए विभाग से संपर्क नहीं किया और उचित निगरानी के लिए आरएओं द्वारा संदेश विनिमय प्रणाली (एमईएस) के माध्यम से आदान-प्रदान किए गए सीमा शुल्क डेटा का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। सीमा शुल्क और डीजीएफटी दोनों द्वारा अतिरिक्त आयातों की निगरानी न करना, गैर-अनुपालन करने वाली फर्मों की सूचना के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई में दोनों विभागों के बीच कमजोर संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध (सितंबर 2023) किया जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया था। आगामी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 12

डीजीएफटी ईपीसीजी प्राधिकारों के वास्तविक आयात/उपयोग की निरंतर निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है। लाइसेंस में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक आयात की अनुमति देने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि यह मुद्दा सीमा शुल्क से संबंधित है। डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए प्राधिकारों का आदान-प्रदान एपीआई संदेश विनिमय के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग को किया जाता है और सीमा शुल्क विभाग द्वारा उपयोग/डेबिट के समय सभी प्रासंगिक डेटा/सूचना आइसगेट पोर्टल पर उपलब्ध होती है। डीजीएफटी ने कमियों को दूर करने और उपयुक्त समाधानों और सिस्टम-स्तरीय जांच के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक प्रणाली कार्यान्वयन की जांच करने के लिए डीओआर के साथ मामला उठाया है।

आरएओं डीएसवी उपयोग के तथ्यों से अनभिज्ञ थे जब तक कि एएच ने लाइसेंस में संशोधन करने या एएनएफ 5बी में मोचन के लिए आवेदन करने के लिए विभाग से संपर्क नहीं किया और उचित निगरानी के लिए आरएओं द्वारा संदेश विनिमय प्रणाली (एमईएस) के माध्यम से आदान-प्रदान किए गए सीमा शुल्क डेटा का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। आईसीईएस में सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल को प्राधिकारों के डीएसवी की निगरानी करनी चाहिए और अतिरिक्त आयात की निकासी को प्रतिबंधित करना चाहिए जिसे शुल्क के भुगतान या ईओ की वृद्धि के साथ नियमित करने की आवश्यकता है।

सीमा शुल्क और डीजीएफटी दोनों द्वारा अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना, सूचना के आदान-प्रदान और गैर-अनुपालन फर्मों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई में दोनों विभागों के बीच कमजोर संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।

सीबीआईसी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.8 निर्यात दायित्व का विस्तार

एचबीपी खंड-I, 2009-14 के 5.17 के साथ पठित पैरा 5.11 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय प्राधिकरण अपूर्ण निर्यात दायित्व पर आनुपातिक डीएसवी के दो *प्रतिशत* के संयोजन-शुल्क के भुगतान पर, निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के अनुदान के लिए एक या अधिक अनुरोध पर विचार कर सकता। इसके अलावा, क्षेत्रीय प्राधिकरण ₹5,000 के अतिरिक्त संयोजन-शुल्क के साथ 180 दिनों तक प्राप्त विस्तार के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकारों के संबंध में, क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक एक वर्ष में दो विस्तारों, जो विस्तार के पहले/दूसरे वर्ष के लिए अपूर्ण निर्यात दायित्व

पर आनुपातिक डीएसवी के क्रमशः पांच *प्रतिशत* एवं दस *प्रतिशत* के बराबर संयोजन-शुल्क के भुगतान पर या विस्तार के पहले/दूसरे वर्ष के लिए प्राधिकार के अंतर्गत लगाए गए कुल निर्यात दायित्व के क्रमशः 10 या 20 *प्रतिशत* की सीमा तक लगाए गए निर्यात दायित्व में वृद्धि पर जैसा भी मामला हो, निर्यातक की पसंद पर विचार किया जाए।

तीन *प्रतिशत* रियायती शुल्क योजना के मामले में, ऊपर उपलब्ध दो वर्ष की अवधि से अधिक निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार पर विचार किया जाए, इस शर्त के साथ कि दो वर्ष तक आगे के विस्तार के लिए कि अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में देय शुल्क का 50 *प्रतिशत* प्राधिकार धारक द्वारा संबंधित आरएलए द्वारा ईपीसीजी प्राधिकार पर विस्तार का समर्थन करने से पहले सीमा शुल्क अधिकारियों को भुगतान किया जाता है। ऐसे मामलों में, किसी संयोजन-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता अथवा अतिरिक्त निर्यात दायित्व लगाया जाता है। यदि फर्म अभी भी निर्यात दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, तो पहले से जमा किए गए शुल्क से निर्यात दायित्व की चूक के लिए देय ब्याज सहित कुल शुल्क से कटौती कर ली जाएगी।

एचबीपी के पैरा 5.23 (ए) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्राधिकार धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूर्ण करने में विफल रहने पर लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करेगा।

3.8.1 निर्यात दायित्व के विस्तार की जांच 1,312 मोचन न किए प्राधिकारों एवं 813 प्राधिकारों जिसके प्रथम ब्लॉक अवधि समाप्त हो गई, के संबंध में की गई थी एवं यह देखा गया था कि आठ क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹652.00 करोड़ के डीएसवी वाले 237 मामलों[32] में, जारी किए गए प्राधिकारों के सापेक्ष पूंजीगत माल का आयात किया गया था, लेकिन निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं किया गया था एवं प्राधिकार धारक ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय के किसी भी विस्तार की मांग नहीं की थी **(अनुलग्नक 2.8 (ए))**।

---

[32] **आरए बेंगलुरु (77 मामले), सीएलए दिल्ली (56 मामले), आरए जयपुर (1 मामला), आरए कानपुर (11 मामले), आरए कोच्चि (4 मामले), आरए कोलकाता (24 मामले), आरए मुंबई (40 मामले), आरए पुणे (24 मामले)।**

प्राधिकारों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रथम एवं द्वितीय विस्तार के लिए, अपूर्ण निर्यात दायित्व पर आनुपातिक डीएसवी के पांच या दस *प्रतिशत* के संयोजन-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था और न ही 10 या 20 *प्रतिशत* जो लागू था के निर्यात दायित्व की वृद्धि की जैसा नीचे दिए विवरित है:

तालिका 3.3: संयोजन-शुल्क न लगाना एवं ईओ में वृद्धि न करना

विस्तार	संयोजन-शुल्क	निर्यात दायित्व	चयनित मामले	लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मामले	मामलों का %
पहला विस्तार	5%	10%	224	116	51.80
दूसरा विस्तार	10%	20%	82	38	46.34

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.8.2 उन 306 मामलों जहां न तो एएच द्वारा विस्तार मांगा गया, ना ही आरए द्वारा प्रदान किया गया, में से, 224 मामले प्रथम ब्लॉक अवधि के पूरा होने के बाद प्रथम समय विस्तार से संबंधित थे एवं शेष 82 मामले द्वितीय विस्तार से संबंधित थे। सात आरए में ₹196.30 करोड़ के डीएसवी वाले 92 मामलों[33] में, प्रथम ब्लॉक विस्तार प्राप्त नहीं किया गया था एवं छह आरए में ₹6,269.40 करोड़ के डीएसवी के साथ 230 मामलों[34] में, दूसरा ब्लॉक विस्तार प्राप्त नहीं किया गया था। **(अनुलग्नक 2.8 (बी एवं सी))**.

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.8.3 इसके अलावा, दो आरएओं में ₹12.74 करोड़ के डीएसवी के साथ 15 मामलों[35] में, पहले/दूसरे विस्तार के लिए आवश्यक ₹10,000 का न्यूनतम संयोजन-शुल्क एकत्र नहीं किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

---

[33] आरए अहमदाबाद (35 मामले), सीएलए दिल्ली (2 मामले), आरए इंदौर (5 मामले), आरए मुंबई (9 मामले), आरए पुणे (12 मामले), आरए सूरत (18 मामले), आरए वाराणसी (11 मामले)।
[34] आरए अहमदाबाद (55 मामले), आरए बेंगलुरु (77 मामले), आरए मुंबई (31 मामले), आरए पुणे (12 मामले), आरए सूरत (48 मामले) आरए वाराणसी (7 मामले)।
[35] बेंगलुरु (2 मामले), वाराणसी (13 मामले)।

3.8.4 तीन *प्रतिशत* रियायती शुल्क योजना से संबंधित 46 प्राधिकारों में से तीन आरएओं में ₹ 1.57 करोड़ के डीएसवी के साथ सात मामलों[36] के संबंध में, यह देखा गया था कि अपूर्ण ईओ पर देय शुल्क के 50 *प्रतिशत* की शर्त को पूरा किए बिना ईओ अवधि में दो साल से अधिक का विस्तार दिया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

3.8.5 224 मामलों में समय विश्लेषण किया गया था जहां एएच द्वारा प्रथम ब्लॉक विस्तार प्राप्त किया जाना था, पता चला कि 224 चयनित मामलों में से चार आरएओं में ₹26.07 करोड़ के डीएसवी के साथ 42 मामलों[37] में, ईओ अवधि में विस्तार के लिए अनुरोध आरए को 90 दिनों **(अनुलग्नक 2.8 (डी))** के बाद एवं चार आरएओं में ₹3.64 करोड़ के डीएसवी वाले 17 मामलों[38] में, ईओ अवधि में विस्तार के लिए अनुरोध आरए को ₹5,000 (**अनुलग्नक 2.8 (ई))** के संयोजन शुल्क के अपेक्षित भुगतान के बिना 90 दिनों से 180 दिनों तक किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

आरए कोलकाता

मैसर्स बी 15 लिमिटेड (अप्रैल 2009) को ₹1.16 करोड़ के डीएसवी के लिए तीन *प्रतिशत* डीएसवी ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया गया था। एएच ने ₹1.10 लाख की राशि के संयोजन-शुल्क के भुगतान के साथ दूसरे ब्लॉक के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए ईओपी विस्तार हेतु आवेदन किया। आरए ने एएच के प्रारंभिक तारीख की समाप्ति से दो वर्ष के लिए ईओपी के विस्तार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ₹1.16 लाख के संयोजन-शुल्क की मांग की जिसमें एएच द्वारा ₹1.10 लाख का भुगतान पहले ही कर दिया गया था एवं ईओपी विस्तार ₹6,041 के भुगतान के बाद प्रदान किया गया था। गणना की विस्तृत जांच से पता चला कि विभाग ने ₹2.20 लाख के स्थान पर ₹1.16 लाख की राशि की संयोजन-शुल्क

---

[36] आरए चेन्नई (1 केस), सीएलए दिल्ली (1 केस), आरए वाराणसी (5 केस)।

[37] आरए बेंगलुरु (5 मामले), सीएलए दिल्ली (17 मामले), आरए कानपुर (3 मामले), आरए वाराणसी (17 मामले)।

[38] आरए बेंगलुरु (2 मामले), सीएलए दिल्ली (1 मामला), आरए कानपुर (1 मामला), आरए वाराणसी (13 मामले)।

की गलत गणना की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹1.04 लाख के संयोजन-शुल्क की कम मांग हो गई थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं एएच को एक पत्र भेजा जिसमें संयोजन-शुल्क के तत्काल भुगतान के लिए कहा गया था।

आरए चेन्नई

मैसर्स बी 16 (पी) लिमिटेड को लाइसेंस जारी करने की तारीख से छह साल के भीतर ₹6.68 करोड़ के ईओ के साथ ₹1.11 करोड़ के डीएसवी के साथ शून्य शुल्क योजना के अंतर्गत ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निर्यात प्रदर्शन न होने के मद्देनजर वार्षिक औसत शून्य निर्धारित किया गया था जैसाकि सीए द्वारा जारी परिशिष्ट 26 में प्रमाणित है। पूँजीगत माल आयात किया गया था (जुलाई 2011) एवं स्थापना प्रमाण पत्र मई 2012 में जारी किया गया था। ईओपी जून 2017 में समाप्त हो गया लेकिन एएच उद्धृत प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ मोचन आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। एएच ने 23 जून 2019 तक 2 साल के विस्तार के लिए आवेदन किया, जिसे ब्लॉक-वार ईओ को पूरा न करने के लिए ₹5.21 लाख के संयोजन-शुल्क के भुगतान पर प्रदान किया गया था।

विस्तारित ईओपी की समाप्ति के बाद भी, एएच ईओ की पूर्ति के लिए मोचन आवेदन जमा करने में विफल रहा एवं गैर-प्रस्तुत करने के मद्देनजर, आरए ने एफटी (डी एंड आर) नियमों के नियम 7 के अंतर्गत (जनवरी 2022) एससीएन जारी किया। एससीएन के जवाब में, एएच ने कहा (जुलाई 2022) कि उन्होंने ईओपी के आगे विस्तार के लिए नीति छूट समिति (पीआरसी) से संपर्क किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तारित अवधि के भीतर ईओ की पूर्ति की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निर्यात आदेश, खरीद अनुलग्नक आदि के रूप में किसी भी उचित आश्वासन के बिना नियमित तरीके से विस्तार दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप विस्तारित अवधि बीत जाने के बाद एएच द्वारा ₹6.68 करोड़ का संपूर्ण ईओ पूरा नहीं किया गया। फलस्वरूप ब्याज सहित ₹1.11 करोड़ का सीमा शुल्क वसूली के लिए बकाया था।

आरए ने कहा कि (अक्टूबर 2022), विस्तार के प्रावधानों के अनुसार, फर्म ने आवश्यक संयोजन-शुल्क के भुगतान पर दो साल के विस्तार के लिए आवेदन किया और इसीलिए ईओपी विस्तार प्रदान किया गया।

लेकिन तथ्य यह है कि विस्तारित ईओपी की समाप्ति के बाद भी, एएच एक भी खेप का निर्यात करने में असमर्थ था एवं पहली बार लाइसेंस धारक होने के नाते आरए को विस्तार के लिए अनुमोदन देने से पहले निर्यात आदेशों आदि के रूप में एएच से न्यूनतम स्तर का आश्वासन प्राप्त करना चाहिए था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सीएलए दिल्ली

मेसर्स बी17 एवं मेसर्स बी18 ने प्रथम ब्लॉक के लिए निर्दिष्ट ईओ को पूरा किए बिना मोचन के लिए आवेदन किया। एएच ने न तो प्रथम ब्लॉक के विस्तार के लिए आवेदन किया एवं न ही संयोजन-शुल्क जमा किया। मोचन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, विभाग ने अन्य दस्तावेजों की मांग करते हुए दोष पत्र जारी किया, लेकिन विस्तार आवेदन प्रस्तुत न करने एवं ब्लॉक वार ईओ को पूरा न करने के लिए संयोजन-शुल्क/दंड के भुगतान के संबंध में चुप रहा। ब्लॉक-वार ईओ को पूरा न करने के लिए एएच से ₹0.22 लाख की राशि वसूल नहीं की गई है।

विभाग ने अपूर्ण अनुपात के लिए संयोजन-शुल्क (ब्याज सहित शुल्क) प्रस्तुत करने के लिए दोष पत्र जारी नहीं किया।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि मैसर्स बी17 के संबंध में वसूली की गई एवं मैसर्स बी18 को वसूली के संबंध में पत्र जारी किया गया।

सिफारिश सं. 13

डीजीएफटी निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात दायित्व की पूर्ति की निगरानी कर सकता है। दोषी प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि ईओ की निगरानी डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ-साथ क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नियमित

आधार पर की जाती है। चूक के मामले में, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, इकाई को एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार डीईएल आदि के तहत रखा जाता है। निगरानी में आसानी के लिए, अब आरए को आईटी आधारित उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मांग नोटिस और एससीएन जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है।

लेखापरीक्षा में, एएच के ब्लॉक-वार ईओ को पूरा न करने, एक्सटेंशन की मांग न करने, संयोजन-शुल्क का भुगतान न करने और बिना सत्यापन के ईओडीसी जारी करने के लिए, विभाग की निष्क्रियता पर टिप्पणी की गई है, जो निगरानी तंत्र को अप्रभावी दर्शाता है और डीजीएफटी द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

3.9 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी आईटी प्रणाली जारी करने, एसईओ आदि के संबंध में डेटा को कैप्चर करती है, हालांकि, प्राधिकारों के उपयोग के आंकडे अर्थात आयातित पूंजीगत वस्तु/बचत शुल्क के विवरण, डीजीएफटी द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली में कैप्चर नहीं किए गए हैं और न आरए के पास उपलब्ध थे जैसा कि भौतिक प्राधिकार फाइलों के सत्यापन से देखा गया है।

आरए पूंजीगत वस्तुओं के आयात एवं समय पर संस्थापन प्रमाण-पत्र (आईसी) प्रस्तुत करने की निगरानी नहीं कर रहे थे। यद्यपि, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए आयात के ब्यौरे संदेश विनिमय प्रणाली (एमईएस) के माध्यम से आरए के लिए प्राप्य हैं, लेखापरीक्षा ने पाया कि कई आरए नियत तारीख के बाद जारी किए गए प्राधिकारों के सापेक्ष आयातित पूंजीगत माल की पहचान करने के लिए इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर रहे थे एवं प्राधिकारों के वास्तविक उपयोग की स्थिति आरए को तब तक ज्ञात नहीं होती जब तक कि एएच स्थापना प्रमाणपत्र (आईसी)/ईओडीसी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देता।

पूंजीगत वस्तुओं की घरेलू खरीद के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का गैर-अनुपालन करने पर दोहरे लाभ (आईजीएसटी के भुगतान से छूट का लाभ उठाने

एवं शुल्क मुक्त वस्तुओं का आयात करने) का जोखिम होता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को डीजीएफटी द्वारा सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। आरए एवं सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच एमईएस सभी आरए कार्यालयों में पूरी तरह कार्यात्मक नहीं था और ऐसे आरए में मैनुअल संचार की पुरानी प्रथा अभी भी जारी थी तथा क्या पंजीकरण पत्तन तक पहुंचने वाले संचार की निगरानी आरए या सीमा शुल्क द्वारा नहीं की गई थी।

एफटीपी/एचबीपी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पंजीकरण पत्तन के अलावा अन्य पत्तनों से पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने से एक ही प्राधिकार जिसमें राजस्व निहित है, का उपयोग करके कई पत्तनों से पूंजीगत वस्तुओं के आयात का जोखिम और बांड के दुरुपयोग का जोखिम होता है। सीमा शुल्क/आरएओं को ऐसे मामलों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए और गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों में, सीमा शुल्क विभाग द्वारा या आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आईसीईएस में सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल से प्राधिकारों के डीएसवी की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है एवं इससे अधिक आयात की निकासी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जिसे शुल्क के भुगतान अथवा निर्यात दायित्व में वृद्धि करके नियमित किए जाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क और डीजीएफटी दोनों द्वारा अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना, सूचना के आदान-प्रदान और गैर-अनुपालन फर्मों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई में दोनों विभागों के बीच कमजोर संस्थागत तंत्र को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तारित अवधि के भीतर ईओ की पूर्ति की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निर्यात आदेश, खरीद संविदाओं, ब्लॉक-वार दायित्व को पूरा करने, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने आदि के रूप में किसी भी उचित आश्वासन के बिना नियमित तरीके से विस्तार प्रदान किए गए थे।

अध्याय IV
अशोधन ईपीसीजी प्राधिकार

लेखापरीक्षा ने प्राधिकार जारी करने एवं उपयोग की प्रक्रिया की जांच की और हमारे मुख्य परिणामों का उल्लेख क्रमशः अध्याय II एवं III में किया गया था। इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने सत्यापित किया कि क्या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा ईओ की निगरानी प्रभावी ढंग से एवं समय पर की जाती है। यह योजना न केवल पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, बल्कि ईओ को पूरा करने के लिए एक लंबी परिपक्कव अवधि प्रदान करती है एवं इसीलिए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ईओ की निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए ₹11,385.06 करोड़ के डीएसवी एवं ₹41,965.56 करोड़ के एसईओ वाले 1,312 प्राधिकारों का चयन किया, जिसके लिए 31 मार्च 2021 को डीजीएफटी डेटा के अनुसार ईओ अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन प्राधिकार को मोचन नहीं हुआ के रूप में दिखाया गया था एवं उसके परिणामों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- मोचन न हुए प्राधिकारों की प्रमात्रा के संबंध में डीजीएफटी डंप डेटा एवं एमआईएस रिपोर्ट का बेमेल होना (पैरा 4.1);
- अशोधन प्राधिकरणों की निगरानी न होना (पैरा 4.2);
- पहले ब्लॉक के पूरा होने के बाद अधूरा रहा ईओ (पैरा 4.3)।

4.1 मोचन न हुए प्राधिकारों की प्रमात्रा के संबंध में डीजीएफटी डंप डेटा एवं एमआईएस रिपोर्ट का बेमेल होना

डीजीएफटी डंप आंकड़ों के अनुसार, मोचन न हुए मामलों में ₹5,09,327 करोड़ के अपूर्ण एसईओ के साथ 1,08,798 प्राधिकार थे, जिनकी 31 मार्च 2021 को ईओ अवधि समाप्त हो गई थी, जबकि इसी अवधि के लिए डीजीएफटी की एमआईएस रिपोर्ट में दर्ज ₹3,36,302 करोड़ के अपूर्ण एसईओ वाले 44,749 प्राधिकार थे।

इस प्रकार, डीजीएफटी की एमआईएस रिपोर्ट एवं डीजीएफटी के डंप डेटा के बीच भारी बेमेल है जो डीजीएफटी के डेटाबेस को अपडेट करने में कमजोरी का संकेत देता है।

यह देखा गया कि एएच एचबीपी एवं एफटीपी में निर्दिष्ट आवधिक रिटर्न जमा नहीं कर रहे है। इसके अलावा, सीमा शुल्क द्वारा आदान-प्रदान किए गए डेटा का विश्लेषण क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा चूककर्ता एएच की पहचान करने एवं निर्धारित कार्रवाई शुरू करने के लिए नहीं किया जा रहा है। इन कारणों से, डीजीएफटी के डेटा में अद्यतन तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो सकती है।

डीजीएफटी की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, ईओ अवधि (2,05,179 प्राधिकारों में) की समाप्ति के बाद कुल प्राधिकारों में से 18 *प्रतिशत* (37,925 प्राधिकारों का) से अधिक बिना मोचन के रहे।

विस्तृत जांच के लिए चयनित 1,312 प्राधिकारों की समीक्षा से पता चला कि प्रदान किए गए डेटा में जिन अधिकांश प्राधिकारों का मोचन नहीं हआ बताया गया था, वे वास्तव में क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालयों द्वारा बनाए गए भौतिक फाइलों के अनुसार या तो मोचन किए हुए पाए या विस्तार दिए गए थे तथा नौ क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹5,938.33 करोड़ के डीएसवी वाले वास्तविक मोचन न किए गए मामले केवल 470[39] थे **(अनुलग्नक 3.1)**।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

4.2 अशोधन प्राधिकरणों की निगरानी न होना

एचबीपी का पैरा 5.23(ए) अनुमत अवधि के भीतर निर्धारित ईओ को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में ब्याज के साथ लागू सीमा शुल्क के भुगतान को निर्दिष्ट करता है। एएच समय के विस्तार की मांग कर सकता है जिसमें विफल रहने पर क्षेत्रीय प्राधिकरण को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना होगा एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी होगी।

डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि ₹5,09,327 करोड़ के एसईओ के साथ 1,08,798 प्राधिकार 31 मार्च 2021 को निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने के बाद बिना मोचन शेष रहे, जैसाकि नीचे सारणी में दिया गया है:

---

[39] **आरए बेंगलुरु (100 मामले), आरए चेन्नई (55 मामले), आरए कोयंबटूर (54 मामले), सीएलए दिल्ली (51 मामले), आरए हैदराबाद (18 मामले), आरए कोच्चि (11 मामले), आरए कोलकाता (48 मामले), आरए मुंबई (74 मामले), आरए पुणे (59 मामले),**

तालिका 4.1 निर्दिष्ट अवधि से अधिक बिना मोचन के प्राधिकारों का अवधि-विश्लेषण

क्र. सं.	अवधि	प्राधिकरण का मोचन नहीं गया	अपूर्ण ईओ (₹ करोड़ में)	डीएसवी (₹ करोड़ में)
1.	10 वर्ष से अधिक	7,912	46,461	9,299
2.	5 से 10 वर्ष	38,203	1,46,346	49,335
3.	1 से 5 वर्ष	44,327	2,29,474	33,405
4.	1 वर्ष से कम	18,356	87,045	14,249
	कुल	**1,08,798**	**5,09,327**	**1,06,288**

निर्दिष्ट समय अवधि एक दशक से भी अधिक समय से लंबित बिना मोचन के प्राधिकारों की पर्याप्त संख्या ईओ पूर्ति की निगरानी में गंभीर कमी को इंगित करती है। हालांकि मौजूदा प्रावधान यह निर्दिष्ट करते हैं कि ईओ को पूरा करने में विफल रहने वाले एएच को ब्याज के साथ डीएसवी वापस करने के लिए कहा जाएगा, यह प्रावधान शायद ही कभी लागू होता है।

यह देखा गया कि यद्यपि ईओ अवधि की समाप्ति के बाद एक लंबी अवधि के लिए 1,312 प्राधिकार बिना मोचन के रहे, क्षेत्रीय प्राधिकरणों ने 14 क्षेत्रीय प्राधिकरणों के ₹5,877.34 करोड़ के डीएसवी वाले 468 मामलों[40] में देरी से एससीएन जारी किए (नवंबर 2022)। चूंकि समय पर कार्रवाई शुरू न करने से राजस्व पर असर पड़ता है, जिसमें चूककर्ता से ब्याज सहित बचत शुल्क राशि की वसूली शामिल है, इसलिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है **(अनुलग्नक 3.2)**।

कुछ उदाहरण के मामले नीचे दिए गए हैं।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई

मैसर्स सी1 ने ₹132.09 करोड़ के डीएसवी एवं ₹920.80 करोड़ के ईओ के साथ 11 बिना मोचन वाले मामलों में से छह में ईओ अवधि के समाप्त होने के बाद

[40] आरए अहमदाबाद (32 मामले), आरए बेंगलुरु (44 मामले), आरए चेन्नई (14 मामले), आरए कोयंबटूर (28 मामले), सीएलए दिल्ली (44 मामले), आरए कानपुर (40 मामले), आरए कोच्चि (7 मामले), आरए कोलकाता (38 मामले), आरए लुधियाना (48 मामले), आरए मुंबई (39 मामले), आरए पानीपत (40 मामले), आरए पुणे (37 मामले), आरए सूरत (46 मामले), आरए वाराणसी (11 मामले)

शोधन आवेदन प्रस्तुत नहीं किए थे, इस तथ्य के बावजूद कि पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया था तथा क्षेत्रीय प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई ने कहा (मई 2023) कि निगरानी अब नए आईटी बेक-ऑफिस के साथ सुव्यवस्थित है एवं जहां एएच द्वारा ईओ दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं, एफटीडीआर अधिनियम के अंतर्गत ई-एससीएन जारी किए जा रहे हैं। मैसर्स सी1 के संबंध में, यह कहा गया था कि एएच ने प्राधिकार की क्लबिंग के लिए आवेदन किया है।

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नै

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई ने मैसर्स सी2 प्रा. लि. (बाद में नाम को संशोधन किया गया मैसर्स सी3 प्रा. लि.) को ₹25.84 करोड़ के ईओ को आठ वर्षों के भीतर पूरा किए जाने, के लिए प्राधिकार जारी किया (जनवरी 2008)। डीजीएफटी, नई दिल्ली ने दो साल के लिए प्रथम-ब्लॉक ईओ अवधि के विस्तार एवं जुलाई 2013 तक स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी। फिर से, एएच ने विस्तार के लिए एवं स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया (अगस्त 2013) जिसे डीजीएफटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था (जुलाई 2013) एवं एएच को ईपीसीजी योजना से बाहर निकलने एवं लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी गई थी।

चार वर्षों के बाद, एएच ने प्रथम-ब्लॉक के अंत में कमी के लिए डीएसवी पर दो *प्रतिशत* के संयोजन-शुल्क के भुगतान पर दिनांक 01 जनवरी 2018 तक एवं दो वर्षों के लिए ईओपी के विस्तार की मांग की एवं विलंबित स्थापना (पूंजीगत वस्तुओं का आयात 11 जनवरी 2008 से 09 फरवरी 2009 तक एवं 26 मार्च 2014 को स्थापित किया गया) की माफी के लिए अनुरोध किया, जिसे ईपीसीजी समिति द्वारा इस शर्त पर अनुमति दी गई थी (जनवरी 2017) कि तीसरे पक्ष का निर्यात नीति परिपत्र सं.03/2015-20 दिनांक 02 सितंबर 2015 के साथ पठित एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.10 (डी) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

यह देखा गया कि ईपीसीजी समिति ने शुरू में जनवरी 2013 में मामले को खारिज कर दिया एवं एएच को सीमा शुल्क एवं ब्याज का भुगतान करने एवं ईपीसीजी योजना से बाहर निकलने का भी सुझाव दिया, जिसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकरण

द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। हालांकि, लगभग चार वर्षों के बाद, एएच के अनुरोध के आधार पर, ईपीसीजी समिति ने अपने स्वयं के निर्णय को संशोधन किया एवं आगे के विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकार किया (जनवरी 2017) एवं स्थापना में देरी के लिए माफी दी।

प्रत्यक्ष एवं तृतीय-पक्ष निर्यातों के माध्यम से ईओ की पूर्ति के लिए मोचन आवेदन प्रस्तुत किया गया था (जनवरी 2018)। डीएसवी द्वारा उपयोग की गई ₹2.97 करोड़ की राशि के आधार पर, ईओ को संशोधन करके ₹23.72 करोड़ कर दिया गया था, हालांकि, एएच केवल ₹4.35 करोड़ (18.35 *प्रतिशत*) तक ईओ को पूरा कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप ₹19.36 करोड़ (81.65 *प्रतिशत*) के ईओ पूर्ति में कमी हुई। ईपीसीजी समिति द्वारा दी गई छूट के बावजूद, एएच केवल आंशिक रूप से ईओ को पूरा कर सका, वह भी तीसरे पक्ष के निर्यात के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना।

जनवरी 2018 में प्रस्तुत मोचन आवेदन 55 महीने (अगस्त 2022 तक) के अंतराल के बावजूद क्षेत्रीय प्राधिकरण, चेन्नई के पास अभी भी लंबित है। क्षेत्रीय प्राधिकरण ने, न तो सतर्कता पत्र/एससीएन जारी करके कोई ठोस कार्रवाई शुरू की एवं न ही एचबीपी वॉल्यूम1 के पैरा 5.17 में निर्दिष्ट कोई पूर्वव्यापी कार्रवाई शुरू की, ताकि लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने में विफलता के लिए ब्याज के साथ सीमा शुल्क के भुगतान द्वारा मामले को नियमित किया जा सके। नतीजतन, लागू ब्याज के साथ ₹2.97 करोड़ के उपयोग किए गए वास्तविक शुल्क का भुगतान एएच द्वारा मामले को नियमित करने के लिए किया जाना बाकी है।

यह योजना न केवल पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, बल्कि आयात दायित्व (ईओ) को पूरा करने के लिए एक लंबी परिपक्कव अवधि प्रदान करती है और इसीलिए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा समग्र निगरानी की जानी चाहिए। समय पर आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करना तथा सीमा शुल्क के साथ आदान-प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना आवश्यक था, ताकि चूककर्ता एएच की पहचान की जा सके तथा एफटीडीआर में निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जा सके। केंद्रीय सर्वर डेटा को नियमित रूप से एमआईएस रिपोर्ट के साथ अपडेट किया जाना एवं मिलान किया जाना है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 14

डीजीएफटी को मोचन नहीं गए मामलों के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि ईओ निगरानी डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ-साथ क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर की जाती है, जहां ईपीसीजी प्राधिकार पंजीकृत है। डिफ़ॉल्ट के मामले में, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाता है, इकाई को एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार डीईएल आदि के तहत रखा जाता है। यह सतत गतिविधि है और कभी-कभी कर्मचारियों की भारी कमी के कारण लंबित हो सकते हैं। डीजीएफटी ने अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी प्राधिकार धारकों द्वारा निर्यात दायित्वों में गैर-अनुपालन को संबोधित करने के लिए एक विशेष एकमुश्त माफी योजना भी अधिसूचित की है। यह योजना जो शुरू में सीमित अवधि यानी 30.09.2023 तक उपलब्ध थी, उसे 31.03.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

यह सिफारिश डीजीएफटी और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईओ की उचित निगरानी करने में निष्क्रियता और समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण की गई थी, जिसके कारण भारी राजस्व निहितार्थ वाले बिना मोचन वाले मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

4.3 प्रथम-ब्लॉक के पूरा होने के बाद ईओ अपूर्ण

एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.14 के अनुसार, एएच, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा ब्लॉक के पूरा होने के तीन महीने के भीतर ईओ की पूर्ति के साथ-साथ औसत निर्यात को क्षेत्रीय प्राधिकरण को सूचित करेगा।

मोचन नहीं गए प्राधिकारों का ब्लॉकवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2 बिना मोचन वाले प्राधिकारों का ब्लॉक-वार विवरण

अवधि	प्राधिकारों की सं.	अपूर्ण ईओ (₹ करोड़ में)	बचत शुल्क (₹ करोड़ में)
दूसरे ब्लॉक के पूरा होने के बाद बिना मोचन के	1,08,798	5,09,327	1,06,288
पहले ब्लॉक के पूरा होने के बाद अपूर्ण ईओ	20,348	91,323	16,500
कुल	**1,29,146**	**6,02,310**	**1,22,788**

पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के बाद प्राधिकार धारकों ने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया, इसलिए निर्यात आय अर्जित नहीं हुई। लेखापरीक्षा ने जांच के लिए 813 मामलों के एक नमूने का चयन किया जहां प्रथम ब्लॉक अवधि समाप्त हो गई एवं एएच ने आवश्यक 50 *प्रतिशत* ईओ को पूरा नहीं किया।

जांच के दौरान, यह देखा गया कि 15 क्षेत्रीय प्राधिकरण में 302 मामलों[41] में डीएसवी एवं अपूर्ण ईओ की राशि क्रमशः ₹642.20 करोड़ एवं ₹1,583.87 करोड़ है तथा उस पर शुल्क प्रभाव ₹321.10 करोड़ है, प्राधिकार धारकों ने ईओ के 50 *प्रतिशत* की पूर्ति के संबंध में प्रथम ब्लॉक के बाद एक वर्ष पूरा होने के पश्चात भी कोई दस्तावेज जमा नहीं किया **(अनुलग्नक 3.3)**। ईओ के विवरण के लिए कोई कार्रवाई/पत्र रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोलकाता

मैसर्स सी4 लिमिटेड ने संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ प्राधिकार हेतु दो साल के लिए दूसरे ब्लॉक में ईओ अवधि के विस्तार के लिए आवेदन किया एवं तदनुसार, दूसरे ब्लॉक के ईओ अवधि को बढ़ाया गया। हालांकि यह देखा गया कि एएच ने प्रथम ब्लॉक के ईओ (न्यूनतम 50 *प्रतिशत*) को पूरा नहीं किया था। क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालय ने, न तो प्रथम ब्लॉक के लिए लागू ब्याज के साथ

[41] आरए अहमदाबाद (35 मामले), आरए बेंगलुरु (47 मामले), आरए चेन्नई (16 मामले), आरए कोयंबटूर (12 मामले), सीएलए दिल्ली (58 मामले), आरए हैदराबाद (31 मामले), आरए इंदौर (10 मामले), आरए कानपुर (11 मामले), आरए कोलकाता (6 मामले), आरए लुधियाना (5 मामले), आरए मुंबई (16 मामले), आरए पानीपत (14 मामले), आरए पुणे (20 मामले), आरए सूरत (18 मामले), आरए विशाखापट्टनम (3 मामले),

सीमा शुल्क के भुगतान पर जोर दिया था एवं न ही दूसरे ब्लॉक अवधि में विस्तार के लिए आवेदन के समय प्रथम ब्लॉक के ईओ को पूरा न करने के लिए नोटिस जारी किया था। एएच ने ₹40.45 करोड़ रुपये के वास्तविक डीएसवी का उपयोग किया था। इस प्रकार, प्रथम ब्लॉक अवधि में ईओ को पूरा न करने के लिए एएच, द्वारा सीमा शुल्क के रूप में ₹20.22 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था।

विभाग ने अवलोकन स्वीकार करते हुए एएच को लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क का तुरंत भुगतान करने के लिए एक पत्र भेजा।

एक अन्य मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹19.94 करोड़ के डीएसवी वाले मैसर्स सी5 लिमिटेड को तीन *प्रतिशत* ईपीसीजी प्राधिकार (जून 2010) जारी किया गया था। फर्म ने वास्तव में इस प्राधिकार के सापेक्ष ₹15.88 करोड़ का उपयोग किया था। इसलिए, फर्म को आठ वर्षों में ₹127.09 करोड़ के एफओबी मूल्य के ईओ को पूरा करना आवश्यक था। हालांकि, फर्म प्रथम ब्लॉक अवधि के दौरान 31.78 *प्रतिशत* ईओ को पूरा कर सकी। यद्धपि, प्रथम ब्लॉक अवधि के ईओ को पूरा करने में कमी थी, फर्म को प्रथम ब्लॉक ईओ अवधि की गैर-पूर्ति के लिए सीमा शुल्क (ब्याज सहित) के भुगतान के बिना ईओडीसी मिला, जो अनियमित था। मामले का 12 जून 2019 को मोचन किया गया। प्रथम ब्लॉक ईओ को पूरा न करने के परिणामस्वरूप लागू ब्याज के साथ ₹2.89 करोड़ का सीमा शुल्क कम लगाया गया।

विभाग ने अवलोकन स्वीकार करते हुए एएच को लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क का तुरंत भुगतान करने के लिए एक पत्र भेजा।

डीजीएफटी के पास सतत् एवं नियमित रूप से ईओ की ब्लॉक-वार निगरानी करने के साथ-साथ एएच द्वारा मोचन आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक देरी के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र होना आवश्यक है। डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

सिफारिश सं.15

डीजीएफटी के पास एक तंत्र होना चाहिए जिसमें क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएओं) को उन मामलों की निगरानी के लिए सतर्कता सूचक जारी कर सके जहां पहले ब्लॉक

के लिए निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया गया है। आरएओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईओ प्रतिबद्धताओं का निर्वहन हो या गैर-अनुपालन के लिए वसूली की जाए।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, एफटीपी, 2023 के पैरा 5.14 में कहा गया है कि एएच प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को ऑनलाइन के माध्यम से निर्यात दायित्व को पूरा करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस तरह की वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में किसी भी देरी को प्रत्येक प्राधिकार के लिए प्रति वर्ष ₹5,000/- के विलंब शुल्क के भुगतान पर नियमित किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एफटीपी प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन आरएओं द्वारा इस पर जोर नहीं दिया जाता है/निगरानी नहीं की जाती है, जिसके कारण एक लाख से अधिक मामले बिना मोचनके रह गए हैं, जिनमें ईओ अवधि समाप्त हो गई है। अनिवार्य आवधिक रिटर्न जमा न करने के लिए एएच के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

4.4 निष्कर्ष

यह योजना न केवल पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, बल्कि निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने के लिए एक लंबी परिपक्कव अवधि भी प्रदान करती है और इसलिए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा इसकी उचित निगरानी की आवश्यकता है।

समय-समय पर रिटर्न जमा करना और सीमा शुल्क के साथ आदान-प्रदान किए गए डेटा का विश्लेषण करने की आवश्यकता थी ताकि चूक करने वाले एएच की पहचान की जा सके और एफटीडीआर में निर्धारित दंड प्रावधानों को लागू किया जा सके। केंद्रीय सर्वर डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए और एमआईएस रिपोर्ट के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

डीजीएफटी के पास सतत् एवं नियमित रूप से ईओ की ब्लॉक-वार निगरानी करने के साथ-साथ एएचएस द्वारा मोचन आवेदन दाखिल करने में अत्यधिक देरी के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र होना आवश्यक है।

अध्याय V
ईपीसीजी प्राधिकारों का मोचन

लेखापरीक्षा ने जारी, उपयोग एवं बिना मोचन वाले प्राधिकारों की प्रक्रिया की जांच की, उन पर परिणामों का उल्लेख क्रमशः अध्याय II, III एवं IV में किया गया है। इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने मोचन प्रक्रिया की समीक्षा की एवं क्या क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा निगरानी प्रभावी ढंग से एवं समय पर की जाती है।

लेखापरीक्षा ने ₹24,190.74 करोड़ के डीएसवी वाले 1,275 नमूना प्राधिकारों का चयन किया, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए समीक्षा अवधि (2018-21) के दौरान मोचन किया गया था एवं उस पर मुख्य परिणामों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है::

- शिपिंग बिलों के बदले शपथ पत्र दाखिल करना (पैरा 5.1);
- औसत निर्यात दायित्व एवं विशिष्ट निर्यात दायित्व दोनों के लिए एक ही शिपिंग बिलों का उपयोग (पैरा 5.2);
- शिपिंग बिलों में सहायक निर्माता के नाम का उल्लेख न करना (पैरा 5.3);
- आवश्यक दस्तावेजों के बिना मोचन आवेदन (पैरा 5.5);
- ईओडीसी के प्रसंस्करण एवं जारी करने में देरी (पैरा 5.6);
- लाइसेंस के मोचन के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा चूक (पैरा 5.7);
- तृतीय पक्ष निर्यात (पैरा 5.8);
- विशिष्ट निर्यात दायित्व/औसत निर्यात दायित्व की अपूर्णता एवं विशिष्ट निर्यात दायित्व के लिए उपयोग किए जाने वाले अयोग्य शिपिंग बिल (पैरा 5.9, 5.10);
- बीआरसी की प्राप्ति में देरी (पैरा 5.11).

5.1 शिपिंग बिलों के बदले शपथपत्र दाखिल करना

सीमा शुल्क अधिसूचना सं.103/2009 जो अधिसूचना सं.16/2015-सीमा शुल्क दिनांक 01 अप्रैल 2015 द्वारा संशोधित है, के साथ पठित एफटीपी 2009-14 का पैरा 5.7.2 निर्दिष्ट करता है कि प्राधिकार संख्या एवं तिथि के साथ पृष्ठांकित शिपिंग बिल्स (एसबी) को निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए माना जाएगा।

डीजीएफटी नीति परिपत्र सं.7/2002 ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए प्रभावित निर्यात से संबंधित शिपिंग बिल पर ईपीसीजी लाइसेंस संख्या का उल्लेख नहीं करने की प्रक्रियात्मक चूक की माफी की अनुमति देता है।

परिशिष्ट-5 सी के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि ऐसे मामलों में शिपिंग बिल्स् में ईपीसीजी प्राधिकार संख्या एवं तिथि नहीं है, किसी विशेष प्राधिकार के सापेक्ष विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए लेखांकित किए गए निर्यात को किसी अन्य ईपीसीजी प्राधिकार के विशिष्ट या औसत ईओ की पूर्ति के लिए लेखांकित नहीं किया गया है/नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीए को यह प्रमाणित करना होगा कि शपथ पत्र में उल्लिखित शिपिंग बिल निःशुल्क शिपिंग बिल/ तीसरे पक्ष के शिपिंग बिल नहीं हैं।

1,275 प्राधिकारों की नमूना जांच से, यह देखा गया कि 13 क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹2114.71 करोड़ **(अनुलग्नक 4.1 (ए))** के एफओबी वाले 207 मामलों[42] के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किए गए थे, ताकि शिपिंग बिलों पर लाइसेंस संख्या/तिथि का उल्लेख न करने की प्रक्रियात्मक चूक में छूट दी जा सके। इस प्रकार, दुर्लभ मामलों में दी जाने वाली छूट समीक्षित मामलों के 16.23 *प्रतिशत* में नियमित रूप से दी जा रही थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय प्राधिकरण सूरत के संबंध में, यह देखा गया था कि छ: मामलों के संबंध में दिए गए शपथपत्र को दूसरे ईपीसीजी लाइसेंस संख्या के साथ पृष्ठांकित किया गया था एवं इसको दोनों प्राधिकारों के निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए विचार किया गया था।

इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹208.70 करोड़ के एफओबी वाले 14 मामलों[43] में, शिपिंग बिल, निःशुल्क शिपिंग बिल/ तीसरे पक्ष के शिपिंग बिल थे एवं डीजीएफटी परिपत्र के अनुसार छूट के पात्र नहीं थे। क्षेत्रीय प्राधिकरण ने इन मामलों में केवल सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरह के प्रमाण

---

[42] आरए अहमदाबाद (3 मामले), आरए बेंगलुरु (32 मामले), आरए चेन्नई (19 मामले), आरए कोयंबटूर (17 मामले), सीएलए दिल्ली (42 मामले), आरए हैदराबाद (19 मामले), आरए कानपुर (23 मामले), आरए लुधियाना (5 मामले), आरए मुंबई (14 मामले), आरए पुणे (18 मामले), आरए सूरत (6 मामले), आरए पानीपत (8 मामले), आरए विशाखापत्तनम (1 मामला)

[43]आरए चेन्नई (8 मामले), आरए कोयंबटूर (3 मामले), आरए हैदराबाद (1 मामला), कानपुर (1 मामला), आरए विशाखापत्तनम (1 मामला))

पत्र की सत्यता की पुष्टि किए बिना मोचन की अनुमति दी, इस तथ्य के बावजूद कि शिपिंग बिल संलग्न थे। इसके परिणामस्वरूप ₹208.70 करोड़ की निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए अपात्र शिपिंग बिल पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण भी देखे जहां प्राधिकार धारक ने शपथपत्र के साथ शिपिंग बिल को संलग्न नहीं किया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

ऐसे ही एक उदाहरण पर नीचे चर्चा की गई है:

क्षेत्रीय प्राधिकरण चेन्नई

17 प्राधिकारों में, प्राधिकार धारक ने शिपिंग बिल में लाइसेंस संख्या के अभाव के लिए शपथपत्र प्रस्तुत किया था। क्षेत्रीय प्राधिकरण ने शपथ पत्र एवं सीए प्रमाण पत्र के आधार पर मोचन की अनुमति दी। इन प्राधिकारों में से, तीन प्राधिकारों में अनियमित रूप से तीसरे पक्ष के शिपिंग बिल शामिल थे। मोचन की अनुमति देते समय, क्षेत्रीय प्राधिकरण सीए प्रमाणपत्र की वैधता को सत्यापित करने में विफल रहा। चूंकि क्षेत्रीय प्राधिकरण ने सीए प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था जो गलत साबित हुआ, विभाग गलत प्रमाणीकरण के लिए आईसीएआई/एनएफआरए के माध्यम से संबंधित सीए के प्रति कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा, पांच प्राधिकारों के संबंध में, शिपिंग बिल की प्रतियां शपथपत्र के साथ संलग्न नहीं थीं।

शिपिंग बिल में प्राधिकार विवरण का लेखांकन करने की अनिवार्य आवश्यकता डीजीएफटी द्वारा कई प्राधिकारों/अन्य योजनाओं के लिए एकसमान निर्यात के कई उपयोग को कम करने के लिए परिकल्पित एक अंतर्निहिति जांच है, हालांकि, क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा इस पर जोर नहीं दिया गया था एवं शपथ पत्र/सीए प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हुए शिपिंग बिल को गलत घोषणा/प्रमाणन करने वाले आवेदकों/सीए के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए परीक्षण जांच के आधार पर भी किसी भी सत्यापन का सहारा लिए बिना निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए माना जाता है।

सिफारिश सं.16

मंत्रालय जुलाई 2002 में जारी हलफनामे स्वीकार करने की प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार कर सकता है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने का खतरा है, विशेष

रूप से एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण और स्वचालित प्रक्रियाओं के युग में। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए और उनकी ओर से विफलता की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि पिछली अवधि में जारी किए गए विनियमन और अन्य परिपत्र वर्तमान आईटी आधारित वातावरण में किस हद तक लागू हैं, इसकी जांच की जाएगी। हालांकि, यह माना जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ होंगी जो आईटी आधारित नियम आधारित वातावरण के लिए अनुकूल नहीं हो सकती हैं और कुछ निर्यातक आधारित घोषणाओं आदि के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, जिन्हें बाद की तारीख में सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए हलफनामों द्वारा समर्थित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई कि मौजूदा प्रावधानों की डीजीएफटी द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है और हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी हलफनामों/वचनों पर भरोसा करने के बजाय कम्प्यूटरीकरण और डेटा आधारित दृष्टिकोण पर अधिक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कम से कम कुछ परीक्षण मामलों में तो इनका सत्यापन भी नहीं किया गया है, ताकि यह आवेदकों द्वारा गलत घोषणा करने पर रोक लगा सके।

5.2 औसत निर्यात दायित्व एवं विशिष्ट निर्यात दायित्व दोनों के लिए एक ही शिपिंग बिलों का उपयोग

एफटीपी 2015-2020 के पैरा 5.04(बी) के अनुसार, निर्यात दायित्व एचबीपी के पैरा 5.13(ए) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर, विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित समग्र निर्यात दायित्व अवधि के भीतर एकसमान एवं सदृश्य उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आवेदक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर से अधिक होगा। औसत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले शिपिंग बिल का उपयोग विशिष्ट निर्यात दायित्व या किसी अन्य योजना की पूर्ति के लिए या एक से अधिक ईपीसीजी लाइसेंस के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि छः क्षेत्रीय प्राधिकरण में ₹34.49 करोड़ के डीएसवी वाले 17 मामलों[44] में, उसी शिपिंग बिल (राशि) का उपयोग औसत निर्यात दायित्व एवं विशिष्ट निर्यात दायित्व दोनों की पूर्ति के लिए किया गया था **(अनुलग्नक 4.2)**। जब एक ही शिपिंग बिल का उपयोग औसत निर्यात दायित्व एवं विशिष्ट निर्यात दायित्व दोनों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो विशिष्ट निर्यात दायित्व की कम पूर्ति का जोखिम होता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

कुछ उदाहरणों पर नीचे प्रकाश डाला गया हैं:

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई

मैसर्स डी1 लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2014-15 में एक प्राधिकार के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा किया एवं विभाग द्वारा निर्धारित उस ही वित्त वर्ष 2014-15 में ₹3,135.08 करोड़ के औसत निर्यात दायित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता थी। विशिष्ट निर्यात दायित्व एवं औसत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए उपयोग किए गए शिपिंग बिल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि प्राधिकार धारक ने विशिष्ट निर्यात दायित्व एवं औसत निर्यात दायित्व दोनों की पूर्ति के लिए उन्ही 46 शिपिंग बिल के एफओबी मूल्य का उपयोग किया था। इसलिए, विशिष्ट निर्यात दायित्व के शिपिंग बिल विवरण से एकसमान 46 शिपिंग बिल को बाहर करने के बाद, विशिष्ट निर्यात दायित्व की लक्षित विशिष्ट निर्यात दायित्व ₹28.06 करोड़ के सापेक्ष विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति पर विचार करने के लिए ₹3.03 करोड़ के मूल्य के लिए केवल एक शिपिंग बिल बचा था, परिणामस्वरूप विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति में कुल कमी ₹25.03 करोड़ के मूल्य की थी एवं इस पर आनुपातिक शुल्क ₹4.17 करोड़ राशि की वसूली की आवश्यकता थी।

---

[44]आरए चेन्नई (1 मामले), हैदराबाद (1 मामले), आरए कानपुर (5 मामले), आरए लुधियाना (4 मामले), आरए मुंबई (5 मामले), आरए वाराणसी (1 मामला)।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि इस मामले को फर्म के साथ उठाया गया था, जिसने एसईओ के लिए उपयोग किए जाने वाले एकसमान शिपिंग बिलों को हटाकर संशोधित एईओ पूर्ति विवरण प्रस्तुत किया है।

क्षेत्रीय प्राधिकरण हैदराबाद

मैसर्स डी2 प्रा. लिमिटेड को ₹0.83 करोड़ के विशिष्ट निर्यात दायित्व के साथ ईपीसीजी प्राधिकार (अक्टूबर 2012) जारी किया गया था एवं औसत निर्यात दायित्व ₹56.49 करोड़ निर्धारित किया गया था। प्राधिकार को 29 अक्टूबर 2020 को मोचन किया गया था। प्राधिकार धारक ने वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए ₹56.92 करोड़ की सीमा तक औसत निर्यात दायित्व को पूरा किया था। हालांकि यह देखा गया कि प्राधिकार धारक ने विशिष्ट निर्यात दायित्व एवं औसत निर्यात दायित्व दोनों की पूर्ति के लिए ₹0.46 करोड़ का एकसमान शिपिंग बिल जमा किया। यह उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में है एवं इसके परिणामस्वरूप औसत निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं किया गया है। उस पर सीमा शुल्क ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि फर्म ने समान शिपिंग बिल हटाने के बाद भी इसे पूर्ण किया। हालांकि, तथ्य यह है कि एक ही शिपिंग बिल का उपयोग औसत निर्यात दायित्व/विशिष्ट निर्यात दायित्व दोनों की गणना के लिए किया गया था एवं प्राधिकार का मोचन करते समय इसकी निगरानी नहीं की गई थी।

5.3 शिपिंग बिलों में सहायक निर्माता के नाम का उल्लेख न करना

एचबीपी के पैरा 5.10 यह निर्धारित करता हैं कि निर्यात दस्तावेज़ पर सहायक निर्माता एवं निर्यातक का नाम इंगित किया जाएगा।

यह देखा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹24.93 करोड़ के डीएसवी के साथ क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई द्वारा मैसर्स डी3 लिमिटेड को जारी 4 प्राधिकरणों[45] में, विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए प्रस्तुत एवं उपयोग किए गए शिपिंग बिलों पर सहायक निर्माता का नाम नहीं दर्शाया गया था। शिपिंग बिल पर सहायक निर्माता के विवरण के अभाव में, क्षेत्रीय प्राधिकरण ने इन मामलों को सहायक

[45] **आरए मुंबई (4 मामले)**

निर्माता की पूंजीगत माल के उपयोग की पुष्टि किए बिना मोचन किया जिसके सापेक्ष निर्यात दायित्व पूरा किया गया था।

क्षेत्रीय प्राधिकरण मुंबई ने बताया (मई 2023) कि एससीएन तीन प्राधिकारों के संबंध में जारी किए गए है।

सहायक निर्माता के नाम के अभाव में, प्राधिकार धारक का उन निर्यातकों के निर्यात का दावा करने का जोखिम है जो विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति के सापेक्ष उसके सहायक निर्माता नहीं हैं।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

5.4 दो अलग-अलग प्राधिकारों के लिए उपयोग किए गए समान शिपिंग बिल

एचबीपी के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त एवं दावा की गई निर्यात आय का उपयोग किसी अन्य ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व को पूर्ण करने हेतु नहीं किया जाएगा।

डीजीएफटी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि एक ही शिपिंग बिल[46] का उपयोग क्षेत्रीय प्राधिकरण पुणे में दो प्राधिकारों द्वारा ₹1.09 करोड़ के एफओबी एवं ₹0.94 करोड़ के डीएसवी वाले कई प्राधिकारों के लिए किया गया था। यह देखा गया कि हालांकि निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए उसी शिपिंग बिल का दावा किया गया था, पर एफओबी मूल्य का दावा भिन्न था। हालांकि, बीआरसी के अनुसार वसूल की गई राशि ₹0.56 करोड़ थी जबकि प्राधिकार धारक ने ₹0.58 करोड़ का दावा किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹0.02 करोड़ के निर्यात दायित्व का अधिक दावा किया गया।

जब एक ही शिपिंग बिल का उपयोग विभिन्न प्राधिकारों के लिए किया जाता है, तो प्राधिकारों में आनुपातिक एफओबी मूल्य की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है एवं निर्यात दायित्व की कम पूर्ति का परिणामी जोखिम होता है। क्षेत्रीय प्राधिकरण शिपिंग बिल की ऐसी कोई सूची नहीं रख रहा है जिसका उपयोग कई लाइसेंस धारकों द्वारा किया गया है एवं यह सत्यापित नहीं कर रहे है कि एक ही शिपिंग बिल का उपयोग कई मामलों में किया गया है या नहीं। विभाग ने

[46] **आरए पुणे (2 मामले)।**

ईओडीसी देने से पहले विभिन्न लाइसेंस नंबरों के निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए उपयोग की जा रही बीआरसी राशि के साथ शिपिंग बिल राशि का प्रति-सत्यापन नहीं किया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

5.5 आवश्यक दस्तावेजों के बिना मोचन आवेदन

एचबीपी का पैरा 5.22 प्राधिकार धारक द्वारा मोचन आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित दस्तावेजों को निर्दिष्ट करता है एवं क्षेत्रीय प्राधिकरण प्राधिकार धारक द्वारा अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद ईओडीसी जारी करता है एवं सीमा शुल्क अधिकारियों को एक प्रति अग्रेषित करता है जिनके साथ बीजी/एलयूटी अनुबंधित किया गया है। निर्यात दायित्व की पूर्ति के साक्ष्य के लिए प्राधिकार धारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण देने वाला एक विवरण भी प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। इसके अलावा, क्षेत्रीय प्राधिकरण ऐसे आवेदनों को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर संसाधित करेगा। कमियों, यदि कोई हो, को एक बार में इंगित किया जाएगा। इसके बाद सभी पत्राचार केवल इन कमियों से संबंधित होंगे। नया पत्राचार, यदि आवश्यक हो, 15 दिनों के भीतर होगा। एक बार दस्तावेजों के पूर्ण होने के बाद, निर्यात दायित्व का पूर्ण दस्तावेजों/सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्वहन कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹348.53 करोड़ के डीएसवी वाले 50 मामलों[47] में, मोचन के लिए एएनएफ 5बी आवेदन निर्धारित दस्तावेजों से समर्थित नहीं था। हालांकि, क्षेत्रीय प्राधिकरण ने निर्धारित दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना लाइसेंस के मोचन की अनुमति दी थी **(अनुलग्नक 4.3)**।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

एक मामलें को नीचे दर्शाया गया है:

[47] **आरए कोयंबटूर (2 मामले), आरए जयपुर (30 मामले), आरए कानपुर (1 मामला), कोच्चि (1 मामला), आरए लुधियाना (2 मामले) आरए पुणे (2 मामले) आरए वाराणसी (12 मामले)**

क्षेत्रीय प्राधिकरण जयपुर

30 मोचन किए गए मामलों में, प्राधिकार धारक[48] ने ट्रक, टिपर, डंपर आदि का आयात किया था। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए पंजीकरण दस्तावेज कि ये वाहन प्राधिकार धारक के नाम पर पंजीकृत थे, फॉर्म एएनएफ 5बी के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे; फिर भी, ईओडीसी प्रदान किया गया था। मोचन की अनुमति देने से पहले दोष पत्र जारी करने के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था।

सिफारिश सं. 17

डीजीएफटी को एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जहां ईओ की पूर्ति के लिए अयोग्य एसबी का उपयोग न किया जाए जैसे एईओ व एसईओ की पूर्ति के लिए समान एसबी का उपयोग किया जा रहा है, अयोग्य एसबी का उपयोग किया जा रहा है, मुफ्त/तीसरे पक्ष के एसबी का उपयोग किया जा रहा है, सहायक निर्माता का नाम उल्लेख किया जा रहा है, विभिन्न प्राधिकारों के लिए समान एसबी का उपयोग किया जा रहा है आदि। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है।

डीजीएफटी ने (अक्टूबर 2023) कहा कि प्रत्येक शिपिंग बिल की पात्रता के लिए व्यक्तिगत रूप से जांच करना संभव नहीं है और ईओडीसी को संभालने के लिए एक विश्वास आधारित प्रणाली लागू की जा रही है जो आरएमएस आधार पर काम करेगी। आरएमएस मानदंड केवाईसी मूल्यांकन, पिछले निर्यात प्रदर्शन, क्षेत्रीय गतिशीलता और संवेदनशीलता आदि जैसे विभिन्न मापदंडों से निर्मित होंगे। इसके अलावा, एसबी को अब एपीआई मोड में सीमा शुल्क द्वारा डीजीएफटी सर्वर पर भी प्रेषित किया जा रहा है जिसका उपयोग ईओडीसी मॉड्यूल को लागू करने के लिए भी संभव सीमा तक किया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि औसत ईओ और विशिष्ट ईओ की पूर्ति के लिए समान शिपिंग बिलों का आनुपातिक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी का ऑनलाइन मॉड्यूल यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जाएगा कि शिपिंग बिलों की दोहरी गणना की अनुमति न हो।

---

[48] मैसर्स डी4 लिमिटेड, मैसर्स डी5 (पी) लिमिटेड, मैसर्स डी6 प्राइवेट लिमिटेड।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामले साबित करते हैं कि मौजूदा प्रावधान या तो अप्रभावी हैं या आरएओं द्वारा ईमानदारी से लागू नहीं किए गए हैं और या किसी भी मामले में डीजीएफटी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

5.6 ईओडीसी के प्रसंस्करण एवं जारी करने में देरी

एचबीपी के पैरा 5.22 में यह निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय प्राधिकरण ईओडीसी के लिए आवेदनों को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर संसाधित करेगा। कमियों, यदि कोई हो, को एक बार में इंगित किया जाएगा। इसके बाद सभी पत्राचार केवल इन्ही कमियों से संबंधित होंगे। नया पत्राचार, यदि आवश्यक हो, 15 दिनों के भीतर होगा। एक बार दस्तावेजों के पूर्ण होने के बाद, निर्यात दायित्व का पूर्ण दस्तावेजों/सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्वहन कर दिया जाएगा।

यह देखा गया कि ईओडीसी को 18 क्षेत्रीय प्राधिकरणों **(अनुलग्नक 4.4 (ए))** में ₹2,526.56 करोड़ के डीएसवी वाले 770 मामलों[49] में आवेदन प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया था, 360 दिनों से अधिक के विलंब वाले 83 मामलों का विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 5.1: ईओडीसी जारी करने में विलंब **की सीमा**

क्र. सं.	**विलंबित समय**	**मामलों की सं.**
1.	31- 90 दिन	436
2.	91- 360 दिन	259
3.	360 दिनों से अधिक	83

[49] **आरए अहमदाबाद (64 मामले), आरए बेंगलुरु (26 मामले), आरए चेन्नई (13 मामले), आरए कोयंबटूर (23 मामले), सीएलए दिल्ली (17 मामले), आरए हैदराबाद (27 मामले), आरए इंदौर (60 मामले), आरए जयपुर (50 मामले), आरए कानपुर (44 मामले), आरए कोच्चि (15 मामले), आरए कोलकाता (60 मामले), आरए लुधियाना (2 मामले), आरए मुंबई (37 मामले), आरए पानीपत (64 मामले), आरए पुणे (58 मामले), आरए सूरत (74 मामले), आरए वाराणसी (54 मामले), आरए विशाखापत्तनम (82 मामले)**

इन 770 मामलों में से, नौ क्षेत्रीय प्राधिकरण में ₹638.71 करोड़ के डीएसवी वाले 131 मामलों[50] में, तीस दिनों के भीतर कमी ज्ञापन भी जारी नहीं किए गए थे **(अनुलग्नक 4.4 (बी))**। इसके अलावा, छः क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹366.92 करोड़ के डीएसवी वाले 32 मामलों[51] के संबंध में, एक समेकित ज्ञापन **(अनुलग्नक 4.4 (सी))** में उन्हें कवर करने के बजाय विभिन्न कमियों को कवर करते हुए कई कमी ज्ञापन जारी किए गए थे।

ईओडीसी जारी करने में समयबद्धता के संबंध में 37.3 *प्रतिशत* की उच्च गैर-अनुपालन दर निर्यातकों को कठिनाई का कारण बन सकती है एवं जो व्यापार सुगमता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

एक उदाहरण के बारे में नीचे चर्चा की गई है:

क्षेत्रीय प्राधिकरण कोलकाता

मैसर्स डी7 प्रा.लिमिटेड को सीटीएच 59119000 के अंतर्गत ट्यूबलर बैग (लोहे का दस्ताना) के निर्यात के लिए एक प्राधिकार प्रदान किया गया (अगस्त 2006) था। प्राधिकार धारक ने सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करके ईओडीसी के लिए आवेदन किया था (सितंबर 2007)। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बावजूद, क्षेत्रीय प्राधिकरण कार्यालय ने लाइसेंस के मोचन के लिए आवेदन प्राप्त होने के 13 साल बाद भी ईओडीसी जारी नहीं किया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 18

निर्धारित समय-सीमा के भीतर ईओडीसी प्रदान करने के लिए अधिनियम/नियम के माध्यम से प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर ईओडीसी प्रदान न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है ।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि ईओडीसी के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली लागू की जा रही है जो कई कमी पत्रों से बचने में मदद करेगी। ट्रेड नोटिस संख्या 20/2019-20 दिनांक 26.09.2019 के अनुसार, इस बात पर जोर दिया

---

[50] आरए बेंगलुरु (3 मामले), आरए चेन्नई (8 मामले), सीएलए दिल्ली (13 मामले), आरए हैदराबाद (3 मामले), आरए कानपुर (15 मामले), आरए लुधियाना (1 मामला), आरए मुंबई (23 मामले), आरए पुणे (27 मामले) आरए विशाखापत्तनम (38 मामले)।

[51] आरए चेन्नई (1 मामले), सीएलए दिल्ली (7 मामले), आरए हैदराबाद (5 मामले), आरए कानपुर (3 मामले), आरए मुंबई (10 मामले) आरए पुणे (6 मामले)।

गया है कि आरएओं को मोचन अनुरोधों के मामले में एक समेकित कमी पत्र जारी करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों में कहा गया है कि मौजूदा प्रावधान या तो अप्रभावी हैं या आरएओं द्वारा ईमानदारी से लागू नहीं किए गए हैं और दोनों ही मामलों में ईओडीसी को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

5.7 लाइसेंस के मोचन के दौरान सीमा शुल्क विभाग की खामियां

एचबीपी के पैरा 5.22(बी) में निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय प्राधिकरण, प्राधिकार धारक को ईओडीसी जारी करेगा एवं सीमा शुल्क अधिकारियों को एक प्रति अग्रेषित करेगा जिसके साथ बीजी/एलयूटी अनुबंधित किया गया है। अधिसूचना संख्या 16/2015 - सीमा शुल्क निर्धारित करता है कि जहां किसी विशेष ब्लॉक के निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया जाता है, तो आयातक, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन महीने के भीतर, ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करेगा।

पांच क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹347.14 करोड़ के डीएसवी के साथ 129 बांडों[52] की समीक्षा से पता चला है कि हालांकि निर्यात दायित्व को पूरा करने में विलंब हुआ था, सीमा शुल्क अधिकारियों ने न तो अनुबंधित बांडों (11 *प्रतिशत*) को लागू किया एवं न ही शुल्क एवं ब्याज की वसूली की (**अनुलग्नक 4.5 (ए)**)।

इसके अलावा, दस क्षेत्रीय प्राधिकरणों में ₹926.47 करोड़ के डीएसवी के साथ 160 बांडों[53] में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने ईओडीसी जारी करने के बाद बीजी/बांड को बंद नहीं किया था **(अनुलग्नक 4.5 (बी))**। जैसाकि सीबीआईसी के निर्देशों में निर्दिष्ठ है, समय पर बांड[54] रद्द न करने के परिणामस्वरूप न केवल वास्तविक प्राधिकार धारकों की निधि को रोक दिया जाता है, बल्कि व्यापारियों को असुविधा भी होती है।

---

[52] आरए अहमदाबाद (1 बांड), आरए कोच्चि (12 बांड) आरए मुंबई (37 बांड) आरए पुणे (48 बांड), आरए वाराणसी (31 बांड)।

[53] आरए अहमदाबाद (11 बांड), आरए बेंगलुरु (2 बांड), सीएलए दिल्ली (4 बांड), आरए कानपुर (21 बांड), आरए कोच्चि (1 बांड), आरए कोलकाता (35 बांड), आरए मुंबई (20 बांड), आरए पुणे (37 बांड), आरए सूरत (1 बांड), आरए वाराणसी (28 बांड)

[54] बांड उधारकर्ता एवं ऋणदाता के बीच एक सौदा या करार है जो एएच के भुगतान की गारंटी के रूप में कार्य करता है।

सीबीआईसी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि निर्यात दायित्व को पूर्ति में विलंब अर्थात मामलों या रुग्ण इकाइयों की योग्यता के आधार पर सीमा शुल्क द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए विस्तार, आदि कारणों से प्राधिकारों की मूल ब्लॉक अवधि की तुलना संभव है। अनुलग्नक में दर्शाए गए मामलों के लिए सीमा शुल्क के संबंधित क्षेत्र संरचनाओं से विवरण मांगा गया है एवं 13 बांड में (अहमदाबाद, मुंद्रा एवं चेन्नई आयुक्तालय) बंद है तथा सख्त अनुपालन के लिए क्षेत्र संरचनाओं को निर्देश दोहराये गए है (अगस्त 2023)।

सिफारिश सं. 19

सीबीआईसी के पास एक तंत्र होना चाहिए, जिसके तहत यदि किसी भी ब्लॉक का ईओ निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं होता है, तो बांड को लागू किया जा सकता है और प्राधिकार धारक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर सीमा शुल्क विभाग की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एचबीपी, 2015-20 के पैरा 5.13(सी) के अनुसार, प्रथम ब्लॉक के निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध प्रथम ब्लॉक ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ ही ब्लॉक से संबंधित ईओ के अधूरे हिस्से के अनुपात में डीएसवी पर 2% का संयोजन शुल्क भी देना होगा। डीजीएफटी और सीमा शुल्क अब एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, जहां ईओडीसी को आईटी डेटाबेस के माध्यम से जारी किया जाएगा।

सीबीआईसी ने (अक्टूबर 2023) कहा कि ब्लॉक-वार ईओ की निगरानी के लिए तंत्र पहले से ही मौजूद है और समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों को फिर से संवेदनशील बनाया जाता है।

ब्लॉक-वार ईओ पूर्ति की गैर-निगरानी और उस पर कार्रवाई करने के लिए आरएओं/सीमा शुल्क की निष्क्रियता को उक्त पैरा में उजागर किया गया है, जिसमें डीजीएफटी/सीबीआईसी को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ मौजूदा तंत्र के कार्यान्वयन की समीक्षा और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

5.8 तृतीय पक्ष निर्यात

एचबीपी के पैरा 5.10 में यह प्रावधान है कि तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात के मामले में, निर्यातित दस्तावेज जैसे बीआरसी, निर्यात आदेश तथा इनवॉइस तीसरे पक्ष के निर्यातक के नाम पर होना चाहिए। तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात किए गए माल का निर्माण निर्यात एजेंसी या सहायक निर्माता द्वारा किया जाना चाहिए। केवल, ऐसे निर्यातों के कारण तीसरे पक्ष के निर्यातक के खाते से एएच के खाते में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त आय को ही ईओ की पूर्ति के लिए गिना जाएगा। दिनांक 5 दिसंबर 2017 को या उसके बाद तीसरे पक्ष के निर्यातक द्वारा किए गए सभी शिपमेंट को केवल तीसरे पक्ष के निर्यातक के खाते से एएच के खाते में सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त वास्तविक भुगतान को ईओ में गिना जाएगा।

यह पाया गया कि 1,275 चयनित मामलों में से 384 मामलों में, एएच ने तीसरे पक्ष के माध्यम से ईओ की पूर्ति का प्रस्ताव दिया एवं आरए वाराणसी में ₹9.04 करोड़ के डीएसवी के साथ 11 मामलों[55] में, निर्यात दस्तावेज जैसे एसबी/ निर्यात के बिल आदि में ईपीसीजी प्राधिकार संख्या के साथ एएच एवं सहायक निर्माता दोनों का ही नाम नहीं दर्शाया गया। सहायक निर्माता का नाम एवं प्राधिकार संख्या न बताने से अन्य ईपीसीजी प्राधिकारों के ईओ की पूर्ति के लिए उसी एसबी का उपयोग करने का जोखिम रहता है।

यह पाया गया कि दो आरएओं में ₹2.39 करोड़ के डीएसवी वाले 5 मामलों[56] के संबंध में, हालांकि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि शिपमेंट 05 दिसंबर 2017 के बाद किए गए थे (ऐसे भुगतान को बैंकिंग चैनल के माध्यम से तीसरे पक्ष से एएच के खाते में लाने की आवश्यकता होती है)। ईओ पूर्ति के लिए अप्राप्त निर्यात आय पर विचार करने से ईओ की पूर्ति न होने का अंतर्निहित जोखिम था।

यह पाया गया कि तीन आरएओं में ₹2.10 करोड़ के डीएसवी वाले 6 मामलों[57] के संबंध में यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया था या नहीं, तथा एएच द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

---

[55] **आरए वाराणसी (11 मामले)**

[56] **आरए कोयंबटूर (4 मामले), आरए पुणे (1 मामला)**

[57] **आरए कोयंबटूर (2 मामले), आरए पुणे (2 मामले) आरए वाराणसी (2 मामले)**

कुछ दर्शाए गए उदाहरणों पर यहां चर्चा की गई है:

आरए कोयंबटूर

चार मामलों में, तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त संपूर्ण निर्यात आय को एएच द्वारा ईओ पूर्ति के लिए ले लिया गया, भले ही सामान्य बैंकिंग चैनल के अंतर्गत एएच के खाते में स्थानांतरित की गई राशि कम थी। इसके अलावा, किए गए सभी शिपमेंट 5 दिसंबर 2017 को या उसके बाद किए गए थे।

इसके परिणामस्वरूप ईओ में ₹10.04 करोड़ की कमी आई एवं ₹2.20 करोड़ के आनुपातिक शुल्क की गणना की गई, जिसे ब्याज सहित नियमित करने के लिए इंगित किया गया।

आरए कोयंबटूर ने कहा कि, एक मामले में, मामले को नियमित करने के लिए ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान के लिए पत्र जारी किया गया था एवं अन्य मामलों की जांच की जा रही है।

5.9 एसईओ/एईओ की गैर-पूर्ति

एफटीपी 2015-2020 के पैरा 5.04(बी) में निर्दिष्ट किया गया है कि ईओ विस्तारित अवधि, सहित समग्र ईओ अवधि के भीतर समान एवं सदृश्य उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आवेदक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर से अधिक होगा; यदि कोई हो, एचबीपी के पैरा 5.13(ए) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर। ऐसा औसत समान एवं सदृश्य उत्पादों के लिए पूर्ववर्ती तीन लाइसेंस वर्षों में निर्यात प्रदर्शन का अंकगणितीय माध्य होगा।

14 आरएओं में ₹3967.39 करोड़ की डीएसवी के साथ 117 उदाहरणों[58] में एईओ/एसईओ की कम पूर्ति देखी गई, जिन्हें एईओ/एसईओ की कम/गैर-पूर्ति के बावजूद मोचन कर दिया गया **(अनुलग्नक 4.6)**। ईओ की कम पूर्ति के कारण, एएच को अधूरे ईओ से संबंधित आनुपातिक परित्याग शुल्क के संबंध में अनुचित लाभ होगा।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

---

[58] आरए अहमदाबाद (3 मामले), आरए बेंगलुरु (1 मामला), आरए चेन्नई (1 मामला), आरए कोयंबटूर (2 मामला), आरए हैदराबाद (1 मामला), आरए जयपुर (1 मामला), आरए कानपुर (1 मामला), आरए कोलकाता (22 मामले), आरए लुधियाना (9 मामले), आरए मुंबई (14 मामले), आरए पानीपत (28 मामले), आरए पुणे (8 मामले), आरए सूरत (17 मामले), आरए वाराणसी (8 मामले)।

कुछ दर्शाए गए उदाहरणों पर यहां चर्चा की गई है:

आरए अहमदाबाद

(i) गलत शपथ के आधार पर एसईओ की पूर्ति

आरए अहमदाबाद ने मैसर्स डी8 लिमिटेड को ₹17.71 करोड़ के डीएसवी के साथ एक प्राधिकार (तीन *प्रतिशत* ईपीसीजी) जारी किया (मार्च 2007) एवं तदनुसार आरए ने ₹141.65 करोड़ की राशि के साथ आठ गुना एसईओ निर्धारित किया। हालांकि यह पाया गया कि अन्य ईपीसीजी प्राधिकारों के अंतर्गत किए गए निर्यात को भी प्राधिकारों के एसईओ की पूर्ति के लिए माना गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹112.55 करोड़ तक के ईओ की कम पूर्ति हुई। ₹14.66 करोड़ तक के आनुपातिक सीमा शुल्क के साथ-साथ लागू ब्याज/जुर्माना भी वसूल किया जाना आवश्यक है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि फर्म ने मोचन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते समय एक वचनबद्धता प्रस्तुत की है कि वर्तमान प्राधिकार में उपयोग किए गए शिपिंग/बिल्स का उपयोग निर्यात दायित्व के प्रयोजन के लिए किसी अन्य प्राधिकार में नहीं किया गया है।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ईओडीसी फर्म द्वारा गलत वचनबद्धता के आधार पर जारी किया गया था, इस तथ्य की पुष्टि किए बिना कि अन्य प्राधिकारों के तहत किए गए निर्यात को भी एसईओ की पूर्ति के लिए गिना गया था।

आरए मुंबई व पुणे

(ii) एईओ की कम पूर्ति

क) मैसर्स डी9 लिमिटेड को जारी किए गए पांच प्राधिकारों में एईओ की कम पूर्ति पाई गई। आरए ने वर्ष 2010-11 से संबंधित चार प्राधिकारों को जारी करते हुए तीन अलग-अलग एईओ निर्धारित किए। एक प्राधिकार में आरए ने वर्ष 2009-10 में फर्म के प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस बनने के बाद एईओ को संशोधन किया। फर्म ने वर्ष 2010-11 के लिए ₹8,188.28 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 के लिए ₹6,997.66 करोड़ का एईओ बनाए रखा, न कि दोनों वित्तीय वर्षों के दौरान ₹8,411.04 करोड़ का आपेक्षित एईओ बनाए रखा।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए ₹8,677.80 करोड़ की समान औसत निर्यात अवधि (एईपी) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स डी9 को 5वां प्राधिकार जारी किया गया(2013-14), जबकि एईओ ₹8,514.62 करोड़ निर्धारित किया गया। उसी एएच के एक अन्य प्राधिकार के साथ एईओ के पुन: सत्यापन के बाद, यह पाया गया

कि एईओ ₹12,956.16 करोड़ निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, ₹4,441.54 करोड़ की सीमा तक कम निर्धारण देखा गया। एएच ने ₹10,402.32 करोड़ की सीमा तक एईओ की पूर्ति की एवं विभाग ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन स्थापना प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 13 फरवरी 2020 को डीएल जारी किया गया जिसका आज तक (अप्रैल 2024) अनुपालन नहीं किया गया।

इस प्रकार, एईओ की कम पूर्ति के कारण ₹236.36 करोड़ के उपयोग किए गए डीएसवी को ब्याज सहित वसूल किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, चार प्राधिकारों में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. यद्धपि, आरए मुंबई ने उसी वर्ष जारी किए गए पहले के प्राधिकारों में तय एईओ की पूर्ति की पुष्टि किए बिना मई 2022 में तीसरे प्राधिकार का मोचन किया।

आरए मुंबई ने कहा (मई 2023) कि फर्म एक प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस होने के नाते, एईओ की गणना पिछले पांच वर्षों के निर्यात की गणना करके की जानी थी।

तथ्य यह है कि आवश्यक पांच साल के निर्यात के आंकड़ों के बजाय एक ही फर्म को जारी किए गए प्राधिकारों के लिए अलग-अलग एईओ तय किए गए थे, भले ही प्राधिकार जारी करने से पहले आरए को प्रीमियर ट्रेडिंग स्थिति पता थी।

ख) मैसर्स डी10 लिमिटेड के मामले में, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए एईपी को क्रमशः ₹283.77 करोड़ एवं ₹253 करोड़ के लिए संशोधित किया गया था एवं इसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, वर्ष 2014-15 में दो प्राधिकार जारी करते समय, आरए ने तीन पूर्ववर्ती वर्षों (2011-12 से 2013-14) के निर्यात को अपनाकर एईओ निर्धारित करते समय वर्ष 2013-14 के संशोधित एईपी पर विचार नहीं किया। इसलिए, एएच ने ₹259.21 करोड़ के सही एईओ की तुलना में केवल ₹255.64 करोड़ का एईओ पूरा किया, जिससे ₹3.57 करोड़ के एईओ की कम पूर्ति हुई।

आरए पुणे से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

ग) मैसर्स डी11 लिमिटेड के मामले में, वर्ष 2009-10 के लिए आवश्यक एईपी ₹609.97 करोड़ की तुलना में ₹578 करोड़ मूल्य का एईपी बनाए रखा गया; इस प्रकार एएच, वर्ष 2009-10 के दौरान एईपी बनाए रखने में विफल रहा। हालांकि, आरए पुणे ने वर्ष 2009-10 के लिए एईपी पूर्ति की पुष्टि किए बिना मामले का मोचन किया। उपरोक्त के विपरीत, उसी एएच के एक समान मामले में, विभाग ने डीएल जारी किया एवं मामले के मोचन से इनकार कर दिया क्योंकि एएच वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए एईपी बनाए रखने में विफल रहा।

आरए पुणे से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

(iii) वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति सत्यापित बिना प्राधिकारों का मोचन करना

एएच ने अपने एक कारखाने पर आयातित पूंजीगत वस्तुओं को स्थापित किया तथा एसईओ की पूर्ति के लिए दूसरे स्थान की फैक्ट्री इकाई से निर्यात किया जैसाकि तालिका 5.2 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, आयातित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से ईओ की पूर्ति का औचित्य स्थापित नहीं किया जा सका। तथापि, विभाग ने आयातित पूंजीगत वस्तुओं की वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति का सत्यापन किए बिना ही इन मामलों का मोचन किया।

तालिका 5.2: अन्य इकाइयों के माध्यम से किए निर्यात से एसईओ की पूर्ति

आरए	एएच का नाम	स्थापना का स्थान	वह स्थान जहाँ से एसबी के अनुसार एसईओ की पूर्ति की गई
पुणे	मेसर्स डी10	हरियाणा	नासिक
पुणे	मेसर्स डी10	नासिक	हरियाणा
मुंबई	मेसर्स डी12	वडोदरा	सिलवासा
मुंबई	मेसर्स डी13	महाराष्ट्र	कर्नाटक
मुंबई	मेसर्स डी13	महाराष्ट्र	कर्नाटक

आरए मुंबई ने कहा (मई 2023) कि ईपीसीजी प्राधिकार के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं से निर्यात वस्तुओं के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एएच को प्राधिकार जारी करने की तारीख से निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने की अनुमति है।

आरए का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नीति प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं द्वारा एसईओ को पूरा किया जाना आवश्यक है जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार प्रदान किया गया है।

iv) अपात्र (ईपीसीजी प्राधिकार में उपलब्ध नहीं) वस्तुओं के निर्यात द्वारा मोचन

मैसर्स डी14 लिमिटेड ने जारी प्राधिकार के लिए (जनवरी 2016) एसईओ की पूर्ति के लिए प्राधिकार में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का निर्यात किया था। यह पाया गया कि एएच को लाइसेंस इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि वह ऊनी वस्त्रों, पॉलिएस्टर मिश्रित/विस्कोस, लिनन आदि के निर्यात द्वारा एसईओ की पूर्ति करेगा। हालांकि, एएच ने कथित निर्यात के लिए तीन इनवॉइसों के साथ एसईओ की पूर्ति की एवं तीन में से दो इनवॉइस टसर सिल्क ऊन मिश्रित कपड़े के निर्यात के लिए थे, जिन्हें हटा दिया गया था तथा लाइसेंस के शर्त पत्र

में उनका उल्लेख नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹0.40 करोड़ की राशि के एसईओ की पूर्ति नही हुई, जिससे ₹0.09 करोड़ के आनुपातिक डीएसवी की हानि हुई।

आरए मुंबई ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि एएच ने निर्यात उत्पादों के आधार पर ईओ की पूर्ति की है, जिसका संबंध पूंजीगत वस्तुओं से है, जो सीई द्वारा विधिवत प्रमाणित है एवं इसलिए किया गया निर्यात सही था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यात किए गए उत्पाद अर्थात टसर सिल्क ऊन मिश्रित कपड़े लाइसेंस की शर्त पत्र में नहीं हैं एवं एचएस कोड भी स्वीकृत निर्यात से अलग था।

आरए कोलकाता

(v) एसएसआई इकाई को दी गई एईओ की गलत छूट के परिणामस्वरूप ईओ की पूर्ति न होना

एसएसआई प्रमाण-पत्र धारक मैसर्स डी15 को ₹0.47 करोड़ के डीएसवी के साथ तीन *प्रतिशत* ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया गया, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं से निर्मित $7,43,328 के एफओबी मूल्य के लिए निर्यात करने की बाध्यता के साथ-साथ ₹3.73 करोड़ का एईओ बनाए रखने की बाध्यता भी शामिल थी।

एएच ने ₹0.37 करोड़ के डीएसवी के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था एवं उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित किया था। आरए ने एसईओ की पूर्ति के लिए फर्म को ईओडीसी जारी किया (मई 2018), इस तथ्य के बावजूद कि फर्म ने अपने एईओ का निर्वहन नहीं किया था। दिनांक 16 दिसंबर 2014 को प्रथम ब्लॉक की ईओ अवधि समाप्त होने के बाद फर्म ने कहा कि उन्हें एईओ के रखरखाव के बारे में पता नहीं था एवं एवं कुटीर एवं लघु क्षेत्र होने का दावा करते हुए एचबीपी खण्ड1 2009-14 के पैरा 5.7.6 के अनुसार एईओ से छूट का अनुरोध किया। आरए ने फर्म द्वारा अनुरोध के अनुसार छूट प्रदान की।

विकास आयुक्त (एमएसएमई), भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार, लघु क्षेत्र के लिए निवेश सीमा ₹0.25 करोड़ है। बीई की जांच से पता चला कि फर्म की आयातित मशीनरी का कुल निर्धारण योग्य मूल्य ₹1.58 करोड़ था, जो परियोजना के अंतर्गत अति लघु इकाइयों के लिए निवेश सीमा से अधिक था एवं एचबीपी

खण्ड1 (2004-2009) के पैरा 5.7.6 के शिथिल प्रावधानों को लागू नहीं करती है। हालांकि, आरए ने 24 दिसंबर 2014 को एसएसआई एवं छोटे क्षेत्र के मानदंडों की पुष्टि किए बिना, ₹3.73 करोड़ के प्राधिकार के एईओ को माफ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। इस गैर-अनुपालन पर आयात की तारीख से लागू ब्याज सहित ₹0.37 करोड़ के आनुपातिक डीएसवी की वसूली बनती है।

(vi) एक अन्य मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स डी16 प्रा. लि. को वर्ष 2012 में चार प्राधिकार जारी किए गए थे। तत्पश्चात, एएच के अनुरोध पर, निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के प्रकार को बदल दिया गया एवं प्राधिकारों में संशोधन किया गया। तदनुसार, एएच ने संशोधित उत्पादों के निर्यात द्वारा अपने एसईओ के साथ-साथ एईओ को भी पूरा किया। हालांकि, विभाग ने संशोधित उत्पादों को शामिल करके एईओ को फिर से निर्धारित नहीं किया। इस चूक को ठीक किए बिना ईओडीसी प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप एईओ के साथ-साथ एसईओ में कमी आई एवं लागू ब्याज के साथ ₹1.41 करोड़ का कम शुल्क उद्ग्रहीत किया गया।

(vii) मैसर्स डी16 प्रा. लि. ने दिनांक 25 मार्च 2013 को जारी प्राधिकार के लिए घोषणा की थी कि उसने ₹64.71 करोड़ के निर्धारित एईओ के मुकाबले ₹65.55 करोड़ का एईओ बनाए रखा है। फर्म ने मोचन के समय, एएनएफ-5बी फॉर्म में यूएसडी एवं भारतीय मुद्रा (₹) के संदर्भ में वर्षवार औसत निर्यात प्रदर्शन घोषित किया। यह पाया गया कि एईओ गणना में एसबी के एफओबी मूल्य को यूएसडी से भारतीय मुद्रा (₹) में परिवर्तित करने के दौरान, फर्म ने अधिसूचित दर की तुलना में अधिक विनिमय दर लागू की थी जिसके कारण भारतीय मुद्रा में दी गई राशि (₹) में महत्वपूर्ण अंतर था। इसके परिणामस्वरूप अधिक एफओबी मूल्य उत्पन्न हुआ एवं एईओ के साथ-साथ एसईओ में परिणामी कमी के साथ अतिशयोक्तिपूर्ण औसत निष्पादन विवरण प्राप्त हुआ, जिसके लिए लागू ब्याज के साथ ₹0.22 करोड़ के सीमा शुल्क के भुगतान द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता थी। इसी फर्म के संबंध में ₹0.24 करोड़ की शुल्क वसूली वाली इस प्रकार की अभ्युक्ति पाई गई।

(viii) दूसरे मामले में, मैसर्स डी17 प्रा. लि. के सात ईपीसीजी प्राधिकारों में, एईओ का अनुचित निर्धारण पाया गया। दिनांक 04 फरवरी 2015 को शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार 'फर्म' को ₹0.29 करोड़ के डीएसवी के सापेक्ष पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए सीए प्रमाण पत्र के आधार पर ₹5.14 करोड़ के एईओ के साथ जारी किया गया था।

हालांकि, फर्म के अनुरोध पर, एईओ को पुन: निर्धारित किया गया एवं संशोधित सीए प्रमाणपत्र के आधार पर प्राधिकार के मोचन के समय इसे घटाकर ₹2.86 करोड़ कर दिया गया, जिसमें लाइसेंस वर्ष 2013-2014 का निर्यात प्रदर्शन नकारात्मक अर्थात ₹7.58 करोड़ दिखाया गया । यह नकारात्मक राशि पिछले दो लाइसेंस वर्षों के निर्यात प्रदर्शन से घटा दी गई थी। यह एईओ में कमी को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप एसईओ की पूर्ति नहीं हुई और इसके लिए लागू ब्याज के साथ ₹0.29 करोड़ की आनुपातिक परित्यक्त शुल्क राशि की वसूली की आवश्यकता है। छह मामलों में इसी तरह की टिप्पणियों में ₹0.68 करोड़ की परित्यक्त शुल्क राशि शामिल थी

मैसर्स डी17 प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में विभाग ने मामले के नियमितीकरण के लिए लागू ब्याज सहित सीमा शुल्क का तत्काल भुगतान करने के लिए एक पत्र जारी किया।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

आरए बेंगलुरु

(ix) आरए बेंगलुरु ने एसईओ की कम पूर्ति के बावजूद मैसर्स डी18 लिमिटेड को जारी किए गए प्राधिकार को मोचन की अनुमति दी। फॉर्म एएनएफ 5बी के अनुसार, एएच ने ₹34.89 करोड़ के डीएसवी के साथ पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया एवं विदेशी मुद्रा में केवल 95.01 *प्रतिशत* की सीमा तक एसईओ की पूर्ति की।

हालांकि, यह पाया गया कि एएच ने वास्तव में ₹36.27 करोड़ के डीएसवी के लिए चार अलग-अलग पत्तनों से पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया एवं इसलिए एसईओ की पूर्ति विदेशी मुद्रा में केवल 92.24 *प्रतिशत* हुई। आरए, फाइल में उपलब्ध होने के बावजूद आयात विवरण को सत्यापित करने में विफल रहा एवं

फॉर्म एएनएफ 5बी में घोषित जानकारी पर भरोसा करते हुए ईओडीसी जारी किया। एएच ₹2.54 करोड़ के आनुपातिक डीएसवी एवं लागू ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि फर्म को वसूली पत्र जारी किया गया।

5.10 एसईओ की पूर्ति के लिए उपयोग किए गए अपात्र शिपिंग बिल

यह पांच आरएओं में ₹244.77 करोड़ के डीएसवी वाले 34 मामलों[59] में देखा गया एवं एसईओ को ₹1788.97 करोड़ की पूरा किया जाना था, अयोग्य शिपिंग बिल जैसे कि पूंजीगत वस्तुओं की स्थापना से पहले के एसबी, लाइसेंस से पहले की स्थापना, लाइसेंस में उल्लेखित नहीं की गई वस्तुएं आदि को एसईओ की पूर्ति के लिए माना गया **(अनुलग्नक 4.7)**।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

5.11 बीआरसी की प्राप्ति में देरी

विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (माल एवं सेवाओं का निर्यात), 2000 की धारा 9 यह निर्धारित करती है की वस्तुओं या सेवाओं का पूर्ण निर्यात मूल्य निर्यात की तारिख से नौ महीने के भीतर प्राप्त किया जाएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2020 को जारी आरबीआई परिपत्र 27 द्वारा निर्यात आय की वसूली के लिए समय अवधि को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया। हालाँकि, यह छूट केवल 31 जुलाई 2020 तक या उससे पहले किए गए निर्यात पर लागू है।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 24,766 एसबी **(अनुलग्नक 4.8)** के संबंध में निर्यात आय नौ महीने से अधिक समय में प्राप्त हुई है। चूंकि उल्लिखित एसबी प्रासंगिक अवधि से संबंधित नहीं हैं, इसलिए इन मामलों में 15 महीने की छूट लागू नहीं थी। ₹28,297.93 करोड़ मूल्य के एफओबी की प्राप्ति नौ महीने की निर्धारित अवधि के बाद हुई। उन मामलों में बीआरसी प्राप्ति का पत्तन-वार ब्यौरा मंत्रालय के साथ साझा किया गया, हालांकि, विलंबित धन प्रेषण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा ना ही कोई निगरानी की गई।

---

[59] **आरए कोयंबटूर (2 मामले), आरए लुधियाना (5 मामले), आरए मुंबई (9 मामले), आरए पुणे (5 मामले), आरए वाराणसी (13 मामले)।**

यह योजना हमारी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु गुणवत्तायुक्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, इसलिए निर्यात आय के विलंबित/अल्प प्रेषण तथा डीजीएफटी द्वारा इसकी गैर-निगरानी की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 20

डीजीएफटी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वास्तविक विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर भी नजर रखनी चाहिए। चूककर्ता प्राधिकार धारकों पर समय से कार्रवाई न करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है तथा वांछित वसूली की जा सकती है

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

5.12 निष्कर्ष

एसबी में प्राधिकार विवरण का लेखांकन करने की अनिवार्य आवश्यकता एक अंतर्निहित जांच है, जिसे डीजीएफटी द्वारा कई प्राधिकारों/अन्य योजनाओं के लिए एक ही निर्यात के कई-कई बार उपयोग को रोकने के लिए परिकल्पित किया गया है, हालांकि, आरए द्वारा इस पर जोर नहीं दिया गया एवं हलफनामा/सीए प्रमाण-पत्र पर भरोसा करते हुए एसबी को गलत घोषणाएं/प्रमाणपत्र देने वाले आवेदकों/सीए हेतु निवारक के रूप में कार्य करने के लिए परीक्षण जांच आधार पर भी बिना किसी सत्यापन का सहारा लिए ईओ के निर्वहन के लिए माना जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया कि ईओ की निगरानी एवं ईओडीसी जारी करने की प्रक्रिया के लिए नियंत्रण वातावरण में कमी है एवं डीजीएफटी द्वारा इसकी समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति की पुष्टि किए बिना प्राधिकारों का मोचन, अपात्र वस्तुओं (प्राधिकार में उपलब्ध नहीं) के निर्यात द्वारा मोचन, अपात्र एसबी, एईओ/एसईओ आवश्यकताओं की पूर्ति न करने, एसएसआई इकाई को एईओ की गलत छूट की अनुमति के अलावा ईओडीसी जारी करने में देरी, एईओ/एसईओ दोनों के लिए एक ही एसबी का उपयोग, तीसरे पक्ष के निर्यात

एवं सहायक निर्माताओं के संबंध में गैर-अनुपालन एवं प्राधिकार विवरण के साथ एसबी का लेखांकन करने के मामले पाए गए।

अध्याय VI
अंतर विभागीय समन्वय एवं प्रणालीगत मुद्दे

यह योजना हमारी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु गुणवत्तायुक्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, इसलिए निर्यात आय के विलंबित/अल्प प्रेषण तथा डीजीएफटी द्वारा इसकी गैर-निगरानी की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

ईपीसीजी योजना को प्राधिकार जारी करने, इसके मोचन एवं एएच को ईओडीसी जारी करने के संबंध में डीजीएफटी (एमओसीआई) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जबकि आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क के आरोपण से छूट की अनुमति देने के लिए सीमा शुल्क पत्तनों पर प्राधिकार के पंजीकरण के साथ-साथ प्राधिकारों के सापेक्ष निर्यात का लेखा-जोखा सीमा शुल्क विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारों के प्रासंगिक विवरण जैसे पूंजीगत वस्तुओं एवं निर्यात उत्पाद(ओं) का विवरण, आरसीएमसी, एईओ, एसईओ, पूंजीगत वस्तुओं की स्थापना, बीआरसी, एआरओ, अमान्यकरण आदि आरए के पास उपलब्ध हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुओं के बीई एवं निर्यातित वस्तुओं के एसबी, मद विवरण एवं वर्गीकरण, अधिसूचना प्राप्त करना, इनवॉइस, बीआरसी आदि का विवरण सीमा शुल्क के पास उपलब्ध है एवं इसलिए योजना के सफल कार्यान्वयन एवं प्रभावी निगरानी के लिए दोनों विभागों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क एवं डीजीएफटी के बीच अंतर-विभागीय समन्वय तंत्र की प्रभावकारिता एवं इसकी निगरानी की जांच की; इस पर प्रमुख परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

- अंतर विभागीय समन्वय एवं निगरानी में समस्याएँ (पैरा 6.1);
- एसईओ के निर्धारण में आईजीएसटी शामिल न करना (पैरा 6.2);
- सीमा शुल्क एवं डीजीएफटी द्वारा ईओ की निगरानी में कमी (पैरा 6.3,6.8 एवं 6.9)
- एमआईएस में अपर्याप्तताएं एवं विसंगतियां (पैरा 6.5 एवं 6.6); एवं

- विविध लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ (पैरा 6.10)।

6.1 अंतर-विभागीय समन्वय एवं निगरानी में समस्याएँ

सीमा शुल्क मैनुअल की धारा 8.2 के अनुसार, आयुक्तों को आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए आरए के साथ आवधिक बैठकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होता है तथा चूककर्ताओं के मामले में, क्षेत्रीय कार्यालय ईओ के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एएच को साधारण नोटिस जारी कर सकते हैं (तालिका 7.1)। इसके अलावा, राजस्व की सुरक्षा के लिए चूक के सभी मामलों में समय पर कार्रवाई शुरू करना आवश्यक है।

तालिका 6.1: डीजीएफटी एवं सीमा शुल्क के बीच आवधिक बैठकें

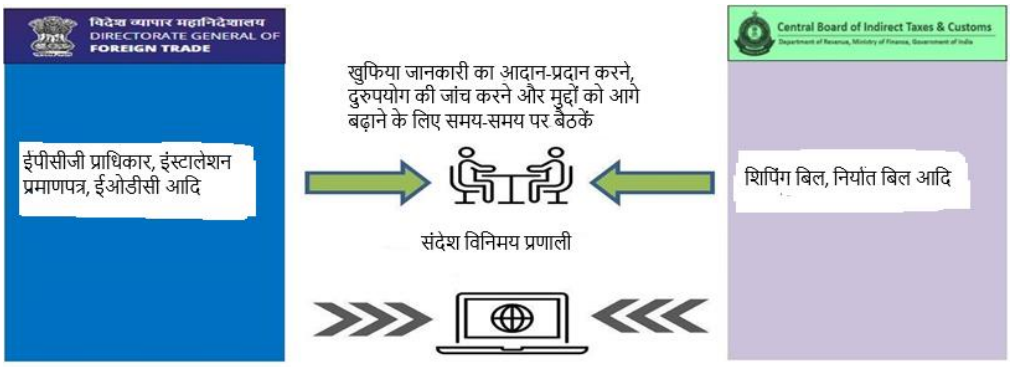

6.1.1 डेटा विनिमय

डीजीएफटी ने अन्य प्रशासनिक विभागों नामत: सीमा शुल्क, बैंक एवं ईपीसी के साथ स्थापित आयात एवं निर्यात प्राधिकारों सहित विभिन्न प्रलेखन संबंधी कार्यकलापों के लिए एक सुरक्षित ईडीआई एमईएस विकसित किया है। इससे निर्यातकों एवं आयातकों का सरकारी विभागों के साथ भौतिक संपर्क कम हो गया है एवं यह लेन-देन लागत में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय है। डीजीएफटी के आरए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों से डेटा एकत्र करते हैं एवं इसे आइसगेट के माध्यम से केंद्रीय रूप से सीमा शुल्क विभाग को प्रेषित करते हैं। फिर संदेशों को आईसीईएस 1.5 के साथ एकीकृत किया जाता है। आईसीईएस एवं डीजीएफटी अनुप्रयोगों के बीच डेटा विनिमय सभी डीजीएफटी निर्यात संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण है।

यह उल्लिखित किया कि ईडीआई के माध्यम से आईसीईएस 1.5 एवं डीजीएफटी के बीच कुल 13 प्रकार के संदेशों का आदान-प्रदान किए गए थे। आईसीईएस एवं डीजीएफटी के बीच आदान-प्रदान किए जाने के लिए सूचीबद्ध 13 प्रकार के संदेशों में से केवल पांच प्रकार के संदेश पांच आरए कार्यालयों में प्रचालन/कार्यात्मक थे।

आदान-प्रदान किए जाने वाले 13 प्रकार के संदेशों की सूची इस प्रकार हैः

1. आईई कोड निर्देशिका डीजीएफटी सीमा शुल्क डीजीसीसी 001
2. आईई कोड पावती सीमा शुल्क डीजीएफटी सीएचडीजी 002
3. लाइसेंस जानकारी डीजीएफटी सीमा शुल्क डीजीसीएच 003
4. लाइसेंस पावती सीमा शुल्क डीजीएफटी सीएचडीजी 004
5. डीईपीबी निर्देशिका डीजीएफटी सीमा शुल्क डीजीसीएच 011
6. अधिसूचना निर्देशिका सीमा शुल्क डीजीएफटी सीएचडीजी 012
7. ईओडीसी प्रमाणपत्र डीजीएफटी सीमा शुल्क डीजीसीएच 013
8. शिपिंग बिल डेटा सीमा शुल्क डीजीएफटी सीएचडीजी 005
9. एसबी पावती डीजीएफटी सीमा शुल्क डीजीसीएच 006
10. सीमा शुल्क डीजीएफटी से संदेश प्राप्त न होना डीजीसीएच 009
11. डीजीएफटी सीमा शुल्क से पावती प्राप्त न होना डीएचडीजी 010
12. बिल ऑफ एंट्री डेटा सीमा शुल्क डीजीएफटी सीएचडीजी 007
13. बीई पावती डीजीएफटी सीमा शुल्क डीजीसीएच 008

यह पाया गया था कि संदेश विनिमय माड्यूल (एमईएम) को तीन आरए (मुम्बई, पुणे एवं कोच्चि) में कार्यान्वित नहीं किया गया था एवं एमईएम के कार्यकरण के संबंध में सूचना अन्य आरए कार्यालयों को नहीं दी गई।

सीबीआईसी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि संस्थागत तंत्र मौजूद है (जनवरी 2011 में जारी निर्देश एवं परिपत्र 16/2017) जिसे सख्त अनुपालन के लिए क्षेत्रीय आयुक्तालयों में दोहराया गया है (अगस्त 2023)। डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 21

डीजीएफटी और सीबीआईसी की आईटी प्रणालियों को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि ईपीसीजी लाइसेंस जारी करने से लेकर मोचन तक की पूरी प्रक्रिया को संबंधित अधिकारियों द्वारा ट्रैक किया जा सके। लाइसेंस जारी करने की सूचना सीमा शुल्क विभाग को दी जाए, आयात व निर्यात की सूचना डीजीएफटी को दी जाए, डीजीएफटी को प्रस्तुत बीई/एसबी को सीमा शुल्क विभाग से क्रॉस सत्यापित किया जाए और ईओडीसी की सूचना सीमा शुल्क विभाग को दी जाए।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि सीएजी के सुझाव पहले ही लागू किए जा चुके हैं और ईपीसीजी प्राधिकार धारक का पूरा जीवन चक्र निर्यातक के साथ-साथ डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए उपलब्ध है। ईपीसीजी प्राधिकार, एसबी और बीई, ईओडीसी आदि के विवरण जारी करने के लिए डीजीएफटी सर्वर और आइसगेट के बीच एपीआई आधारित डेटा का आदान-प्रदान भी किया जा रहा है।

नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

6.1.2 आवधिक बैठकों का संचालन न करना

सीमा शुल्क नियमावली की धारा 8.2 के अनुसार, आयुक्तों को आसूचना का आदान-प्रदान करने, दुरुपयोग रोकने एवं उन मामलों में जहां ईओ अवधि उस तिमाही/पिछली तिमाही में समाप्त हो गई है, ईओ पूर्ति स्थिति जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आरए के साथ आवधिक बैठकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जा सके। चूककर्ताओं के मामले में, क्षेत्रीय कार्यालय एएच को ईओ के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए साधारण नोटिस जारी कर सकता है।

यदि एएच, डीजीएफटी को प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करता है तो मामले को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि डीजीएफटी द्वारा इस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता। इसके अलावा, राजस्व की सुरक्षा के लिए चूक के सभी मामलों में समय पर कार्रवाई शुरू करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2020-21) के दौरान डेटा के आदान-प्रदान के लिए सीमा शुल्क एवं डीजीएफटी के बीच आयोजित आवधिक बैठकों के विवरण

का पता लगाया गया एवं यह पाया गया कि सात कार्यालयों (सीएलए दिल्ली, आरए मुंबई, आरए पुणे, आईसीडी जेआरवाई कानपुर, आईसीडी पनकी कानपुर, आरए कानपुर एवं आरए वाराणसी) में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी और एसीसी मुंबई में दो बैठकें व आरए हैदराबाद एवं एसीसी हैदराबाद में एक-एक बैठक आयोजित की गई थीं। 12 कार्यालयों (आरए अहमदाबाद, आईसीडी खोडियार, एसीसी अहमदाबाद, सीएच मुंद्रा, आरए सूरत, आईसीडी सचिन, आरए बेंगलुरु, आरए लुधियाना, आरए पानीपत, आरए चेन्नई, आरए कोयंबटूर, आरए कोलकाता एवं आरए विशाखापत्तनम) के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि ईओ पूर्ति की स्थिति की निगरानी के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के साथ आवधिक बैठकों के लिए कोई संस्थागत तंत्र औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया था।

सीबीआईसी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि निगरानी तंत्र मौजूद है एवं ज़ोन, आरए के साथ बैठकें कर रहे हैं। बैठकों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय आयुक्तालयों को पुन: अवगत कराया गया गया (अगस्त 2023)।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.1.3 डीजीएफटी स्तर पर बैठकों की निगरानी

डीजीएफटी स्तर पर ईपीसीजी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निगरानी/निरीक्षण तंत्र की जानकारी मांगी गई थी एवं यह कहा गया था (जून 2022) कि पत्तन अधिकारियों की बैठकें एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता डीजीएफटी द्वारा ईपीसीजी योजना/अन्य संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए की जाती है।

इससे संबंधित विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। ईपीसीजी योजना से संबंधित व्यापार मुद्दों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा योजना के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र को संस्थागत बनाया जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (अगस्त 2023) कि ईपीसीजी प्राधिकारों की लंबित ईओडीसी की समीक्षा के लिए डीजीएफटी मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, डीजीएफटी ने ईपीसीजी प्राधिकारों में चूक के एकमुश्त निपटान के लिए पी एन संख्या 02/01.04.2023 के अंतर्गत एक एमनेस्टी योजना अधिसूचित की है।

उचित प्रलेखन (कार्यवृत्त) के साथ बैठकों का समय पर और नियमित संचालन, कार्रवाई योग्य मदों का अनुवर्तन, आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय करने से आंतरिक नियंत्रण वातावरण को मजबूत होगा।

सिफारिश सं. 22

यह सुनिश्चित किया जाए कि डीजीएफटी और सीबीआईसी के बीच बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएं ताकि आसूचना जानकारी, ईओ पूर्ति से संबंधित मुद्दों का अनुसरण कर समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और प्राधिकार धारकों द्वारा की गई किसी भी चूक की जांच की जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि आम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डीजीएफटी और सीबीआईसी के बीच बैठकों के आयोजन के लिए पहले से ही एक तंत्र मौजूद है। ईपीसीजी योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जहां भी आवश्यक हो, सीबीआईसी के साथ नियमित बातचीत के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए जाएंगे। क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरईआईसी) की बैठकें भी नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं।

डीजीएफटी ने पहले की वर्ष 2021 की लेखापरीक्ष रिपोर्ट सं. 10 में की गई इसी तरह की सिफारिश के संबंध में सभी आरए को सीमा शुल्क के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके बावजूद नियमित बैठकों का गैर-आयोजन पाया गया। डीजीएफटी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ अपने निर्देशों की समीक्षा और अनुवर्तन कर सकता है।

सीबीआईसी ने (अक्टूबर 2023) ईओ पूर्ति की निगरानी करने और किसी भी चूक के मामले में सूचना/खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी किए हैं।

ब्लॉक-वार ईओ पूर्ति की गैर-निगरानी और उस पर कार्रवाई करने के लिए सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं की निष्क्रियता को उक्त पैरा में उजागर किया गया है, सीबीआईसी को अपने निगरानी तंत्र की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.1.4 ईओडीसी की सूचना सीमा शुल्क विभाग को न देना

एचबीपी के पैरा 5.22 में कहा गया है कि आरए ईओडीसी की एक प्रति, जिसमें एएच द्वारा ईओ पूर्ति के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण शामिल होगा, उन सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जिनके साथ बीजी/एलयूटी अनुबंधित किया गया है।

छ: आरए में ₹731.92 करोड़ के डीएसवी के 221[60] मामलों में पाया गया, कि ईओडीसी/प्रासंगिक विवरण सीमा शुल्क प्राधिकारियों को ऑनलाइन या डाक के माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए **(अनुलग्नक 5.1)** ।

वेबसाइट को समय पर अद्यतन न किए जाने या संदेश विनिमय प्रणाली के माध्यम से आरए कार्यालय से सीमा शुल्क को डिजिटल संचार न किए जाने के कारण, सीमा शुल्क विभाग मामलों की निगरानी करने में असमर्थ रहा एवं इस प्रकार ईओडीसी को ऑनलाइन लागू करने का उद्देश्य विफल हो गया। कुछ पाए गए उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

आरए कोयंबटूर

मैसर्स ई1 लिमिटेड को पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए शून्य शुल्क योजना के अंतर्गत ₹2.05 करोड़ के डीएसवी के लिए लाइसेंस जारी किया गया (जनवरी 2013), जिसमें डीएसवी के छह गुना के बराबर ₹9.28 करोड़ मूल्य के स्लेटी सूती कपड़े का निर्यात करने का दायित्व छह वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था।

ईओ की अवधि जनवरी 2019 में समाप्त हो गई एवं जुलाई 2019 में आरए, कोयंबटूर द्वारा ईओडीसी जारी किया गया।

---

[60]आरए बेंगलुरु (126 मामले), आरए कोयंबटूर (1 मामला), आरए कोच्चि (42 मामले), आरए मुंबई (17 मामले), आरए पुणे (34 मामले), आरए वाराणसी (1 मामला)।

हालाँकि, कस्टम हाउस, तूतीकोरिन में, जहाँ लाइसेंस पंजीकृत था, विभाग पहले से जारी ईओडीसी से अनभिज्ञ है एवं अभी भी ईओ की पूर्ति के संबंध में एएच से जानकारी मांग रहा था (जनवरी 2021) तथा इस संबंध में जारी दिनांक 26 अप्रैल 2022 के पत्र में 11 मई 2022 को जनसुनवाई (पीएच) भी तय की थी।

यह लाइसेंस की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आरए कोयंबटूर एवं सीमा शुल्क विभाग के बीच उचित समन्वय की कमी को दर्शाता है। ईओडीसी जारी होने के तीन वर्षों के बाद इस तरह के अनावश्यक पत्राचार से अन्यथा बचा जा सकता था।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि पूर्ववर्ती लेगेसी प्रणाली में जारी सभी ईओडीसी अनिवार्य रूप से संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भेजे गए थे। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहाँ ये ईओडीसी संबंधित फाइलों से लिंक नहीं किए गए होंगे। अब, सभी ईओडीसी ऑनलाइन जारी किए जाते हैं, इसलिए ऐसी खामियाँ दूर हो गई हैं।

सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध किया (सितंबर 2023) जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

आरए कोच्चि

आरए कोच्चि में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान मोचन किए गए 42 ईपीसीजी फाइलों की परीक्षण जांच पर यह पाया गया कि निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए इसकी वैधता एवं स्वीकार्यता के सत्यापन के लिए ईओडीसी के साथ-साथ ईओ पूर्ति के समर्थित दस्तावेजों का विवरण किसी भी मामले में सीमा शुल्क विभाग को नहीं भेजा गया था। सीमा शुल्क बांड फाइलों की नमूना जांच में पाया गया कि सीमा शुल्क विभाग किसी भी मामले में बांड फाइलों को बंद करने तथा बैंक गारंटी जारी करने से पहले आरए से ऐसे विवरण नहीं मांग रहे थे। इससे यह संकेत मिलता है कि सीमा शुल्क विभाग ईओ के निर्वहन के लिए आरए में प्रस्तुत ईओडीसी दस्तावेजों की वैधता एवं स्वीकार्यता के संबंध में पर्याप्त जांच नहीं कर रहा था एवं सीमा शुल्क बांड फाइलें केवल ईओडीसी के आधार पर बंद कर दी गईं थी।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि पूर्ववर्ती लेगेसी प्रणाली में जारी किए गए सभी ईओडीसी को अनिवार्य रूप से संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भेजा गया था। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहाँ ये ईओडीसी संबंधित फाइलों से लिंक नहीं किए गए होंगे। अब, सभी ईओडीसी ऑनलाइन जारी किए जाते हैं, इसलिए ऐसी खामियाँ दूर हो गई हैं।

सीबीआईसी ने बंदरगाह-वार डेटा के लिए अनुरोध किया (सितंबर 2023) जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.1.5 सीमा शुल्क द्वारा पते का यादृच्छिक सत्यापन

सीबीआईसी ने मई 2010 में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्राधिकार पर दर्शाए गए पतों को यादृच्छिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। ईडीआई के कार्यान्वयन के साथ, सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस की जानकारी का आदान-प्रदान होता है।

यद्यपि, 13 आरए में ₹4,135.34 करोड़ के डीएसवी के साथ 1,088 मामलों[61] में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास सूचना उपलब्ध है, फिर भी पतों का यादृच्छिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था **(अनुलग्नक 5.2)**।

सीबीआईसी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि यादृच्छिक सत्यापन सभी अधिकृत धारकों के सत्यापन के लिए अनिवार्य नहीं है और यह परिपत्र संख्या 5/2010-सीमा शुल्क दिनांक 16.03.2010 के साथ पठित बोर्ड के दिनांक 18.01.2011 के निर्देशों द्वारा निर्देशित है, जो यादृच्छिक सत्यापन को 5 *प्रतिशत* मामलों तक सीमित रखने का निर्देश देता है।

सीबीआईसी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि समीक्षा में शामिल अवधि (2018-19 से 2020-21) के दौरान जारी किए गए चयनित प्राधिकारों के लिए कोई यादृच्छिक सत्यापन नहीं किया गया था।

---

[61] आरए अहमदाबाद (29 मामले), आरए बेंगलुरु (157 मामले), आरए चेन्नई (62 मामले), आरए कोयंबटूर (40 मामले), सीएलए दिल्ली (82 मामले), आरए इंदौर (37 मामले), आरए जयपुर (2 मामले), आरए कानपुर (137 मामले), आरए कोलकाता (278 मामले), आरए मुंबई (71 मामले), आरए पुणे (105 मामले), आरए सूरत (60 मामले), आरए वाराणसी (28 मामले)।

6.1.6 एमईएस में शिपिंग बिल विवरण अपलोड न करना

ईओ की पूर्ति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाली निर्यात दस्तावेजों को खारिज करने के लिए, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप या निर्यात के बाद ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को पंजीकृत करते समय या सीमा शुल्क गैर-ईडीआई पत्तनों के कथित दस्तावेज के आधार पर ईओडीसी/मोचन पत्रों को संसाधित करते समय, जो एसबी या बीई सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) (अर्थात मैनुअल) पर नहीं हैं, उनकी वास्तविकता को शीघ्रता से सत्यापित किया जाना चाहिए।

प्राधिकारों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि ऐसे एसबी का विवरण उनकी वास्तविकता के सत्यापन के लिए एमईएस में अपलोड नहीं किया गया था।

सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध किया (सितंबर 2023) जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.1.7 शिपिंग बिलों में गैर-लेखांकन

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 103/2009, जिसे अधिसूचना संख्या 16/2015 के अंतर्गत संशोधित किया गया है, में निर्दिष्ट किया गया है कि केवल ऐसे एसबी जिनमें ईपीसीजी प्राधिकार संख्या एवं तारीख का उल्लेख है, उन्हें ईओ के निर्वहन के लिए गिना जाएगा।

आरए कोच्चि में यह पाया गया कि ₹3.55 करोड़ की अनियमितता के शुल्क प्रभाव वाले पांच मामलों में, एसबी के निर्यात टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए आरए द्वारा मोचन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिन्हें ईओ की पूर्ति के लिए ईपीसीजी प्राधिकार संख्या के साथ लेखांकित नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एचए ने सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत करके पीसी-7/2002 का अनुपालन किया है।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है और डीजीएफटी को जुलाई 2002 में जारी किए गए शपथपत्रों को स्वीकार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दुरुपयोग का जोखिम है, विशेष रूप से एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण और स्वचालित प्रक्रियाओं के युग में।

6.1.8 पंजीकरण पत्तन को अप्रमाणीकरण की सूचना न देना

एएच धारक को प्राधिकार में निर्दिष्ट पत्तन पर प्राधिकार को पंजीकृत करना आवश्यक है एवं उसके बाद उक्त प्राधिकार के सापेक्ष सभी आयात केवल उसी पत्तन के माध्यम से किए जाएंगे, जब तक कि एएच किसी अन्य निर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने के लिए संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं करता है। हालाँकि, निर्यात किसी भी निर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

दो आरएओं जिन्होंने पंजीकरण पत्तन से संबंधित अप्रमाणीकरण जारी किया में ₹215.92 करोड़ के डीएसवी वाले 8 मामले[62] में यह पाया गया। हालांकि, डीजीएफटी द्वारा जारी अप्रमाणीकरण के लिए शुल्क मुक्त आयातों को आवश्यक रूप से अवरुद्ध करने के लिए संबंधित सीमा शुल्क पंजीकरण पत्तन को इसकी सूचना नहीं दी गई, जो सीमा शुल्क पत्तन पर आयात के समय एवं घरेलू खरीद के समय दोनों ही समय एएच द्वारा शुल्क छूट के दोहरे लाभ के जोखिम से भरा हुआ है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.2 एसईओ के निर्धारण में आईजीएसटी को शामिल न करना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 5.01 में कहा गया है कि यदि एएच इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं करता है तो आयात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी पर ईओ तय करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एफटीपी के 5.01 (ई) के अनुसार, यदि ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयात पर आईजीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान नकद में किया जाता है, तो ऐसे आईजीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर के भार को निवल बचत शुल्क की गणना में नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि आईटीसी का लाभ न लिया हो एवं एसईओ तदनुसार तय किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, आरए को करदाता द्वारा प्रस्तुत जीएसटी रिटर्न प्राप्य होनी चाहिए या एसबी के संबंध में आईटीसी क्रेडिट के लाभ के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए तंत्र होना

[62] **आरए मुंबई (7 मामले), आरए वाराणसी (1मामला)**

चाहिए, जहां ईपीसीजी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले एएच द्वारा आईजीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करके पूंजीगत माल (सीजी) का आयात किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईओ निर्धारित करने के लिए आईजीएसटी/सीवीडी को बाहर रखने के मामले में सेनवैट/इनपुट क्रेडिट की गैर-प्राप्ति की पुष्टि के लिए विभाग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आईजीएसटी का नकद भुगतान करने के बाद पूंजीगत माल के आयात के नमूना मामलों का संबंधित करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न के साथ प्रति-सत्यापन किया, जिसमें पता चला कि दस आरओं में मोचन के 1,275 मामलों के नमूने में से 84 मामलों में, एएच ने ₹38.68 करोड़ की राशि के आईजीएसटी भुगतान की आईटीसी का लाभ उठाया था, हालांकि, एसईओ में आनुपातिक वृद्धि नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹231.91 करोड़ के एसईओ की कम पूर्ति हुई।

इन 84 मामलों[63] में से, नीचे दर्शाए गए तीन मामलों को जीएसटी डेटा के साथ विस्तृत जांच एवं प्रति-सत्यापन के लिए चुना गया था एवं सभी मामलों में, जीएसटी डेटा के अनुसार प्राप्त आईटीसी को एसईओ **(अनुलग्नक 5.3)** में वृद्धि के लिए नहीं माना गया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

आरए विशाखापत्तनम

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैसर्स ई2 लिमिटेड ने ईपीसीजी लाइसेंस के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात के समय ₹0.32 करोड़ के आईजीएसटी का भुगतान किया था। लाइसेंस का मोचन करते समय, एएच ने निवल बचत शुल्क की गणना के लिए नकद में भुगतान किए गए आईजीएसटी को नहीं लिया था, जिससे एसईओ की पूर्ति उस सीमा तक कम हो गई थी। आरए ने एएच द्वारा आईटीसी

[63] आरए अहमदाबाद (3 मामले), आरए कोयंबटूर (1 मामले), सीएलए दिल्ली (11 मामले), आरए इंदौर (5 मामले), आरए कानपुर (10 मामले), आरए जयपुर (1 मामले), आरए लुधियाना (15 मामले), आरए पानीपत (34 मामले), आरए विशाखापत्तनम (3 मामले)।

का लाभ न उठाने को सुनिश्चित किए बिना डीएसवी से आईजीएसटी भुगतान को बाहर करने के बाद कम एसईओ के साथ लाइसेंस के मोचन की अनुमति दी थी। जीएसटीआर 3बी रिटर्न के साथ आईजीएसटी भुगतान की गई राशि का प्रति-सत्यापन करने पर पता चला कि एएच ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ उठाया था। इसके परिणामस्वरूप ईओ की पूर्ति ₹1.92 करोड़ कम हुई।

आरए जयपुर

मैसर्स ई3 लिमिटेड को ₹2.73 करोड़ के डीएसवी के साथ प्राधिकार (मार्च 2017) जारी किया गया था एवं ईओ ₹16.36 करोड़ निर्धारित किया गया था। प्राधिकार के सापेक्ष उपयोग किया गया डीएसवी ₹3.01 करोड़ था जिसमें आईजीएसटी का भुगतान शामिल था, एवं उपयोग किए गए वास्तविक डीएसवी के आधार पर पूरा किया जाने वाला ईओ ₹18.06 करोड़ था। हालांकि, एएच ने कुल ₹3.01 करोड़ की राशि के रूप में भुगतान की गई आईजीएसटी को छोड़कर ₹1.00 करोड़ के रूप में उपयोग किए गए डीएसवी का दावा किया। एएच द्वारा बीई के विरुद्ध भुगतान किए गए ₹2.01 करोड़ के आईजीएसटी का एएच के जीएसटी रिटर्न के प्रति-सत्यापन से पता चला कि एएच ने जुलाई 2017 के महीने के लिए जीएसटीआर 3बी (4ए) (1) में ₹2.01 करोड़ का आईटीसी लाभ उठाया था। आरए ने फॉर्म एएनएफ 5बी में एएच द्वारा प्रस्तुत की गई डीएसवी पर कम ईओ गणना आधारित लाइसेंस के मोचन की अनुमति दी। मामले का 01 अगस्त 2019 को मोचन किया गया। इस प्रकार, आईटीसी के लाभ की स्थिति को सत्यापित करने में आरए की विफलता के परिणामस्वरूप ईओ की पूर्ति ₹12.06 करोड़ कम हुई क्योंकि आईजीएसटी को डीएसवी में नहीं जोड़ा गया था।

आरए कोयंबटूर

आरए कोयंबटूर ने ₹5.24 करोड़ के डीएसवी के साथ प्राधिकार (नवंबर 2016) जारी किया एवं ईओ ₹31.45 करोड़ निर्धारित किया गया। लाइसेंस के लिए उपयोग किया गया डीएसवी, आईजीएसटी भुगतान सहित ₹3.90 करोड़ था एवं उपयोग किए गए वास्तविक डीएसवी के आधार पर पूरा किया जाने वाला ईओ ₹23.43 करोड़ था। हालांकि, यह पाया गया कि उपयोग किए गए डीएसवी को ₹3.90 करोड़ के भुगतान किए गए आईजीएसटी को छोड़कर ₹2.39 करोड़ के रूप में दिखाया गया था। एएच द्वारा भुगतान किए गए ₹1.51 करोड़ के आईजीएसटी का लाभ

एएच द्वारा जीएसटीआर 3बी(4ए)(1) रिटर्न में लिया गया था, लेकिन एएनएफ 5बी में उपयोग किए गए डीएसवी की गणना में इस पर विचार नहीं किया गया था। मामले का 02/2019 को मोचन किया गया। इस प्रकार, आईटीसी की प्राप्त राशि पर विचार न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹908 करोड़ तक ईओ की पूर्ति कम हुई।

डीजीएफटी ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और कहा (अक्टूबर 2023) कि प्राधिकार धारक ने मुख्य ईओ की गणना के लिए आईजीएसटी भुगतान मूल्य सहित ₹9.44 करोड़ के अतिरिक्त ईओ पूर्ति दिखाते हुए संशोधित ईओ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

सिफारिश सं. 23

डीजीएफटी विशिष्ट निर्यात दायित्व के निर्धारण में आईजीएसटी को शामिल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकता है। एसईओ का सही निर्धारण सुनिश्चित नहीं करने पर आरएओं की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एसईओ का निर्धारण निर्यातक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन डेटा के आधार पर संहिताबद्ध किया गया है, जिसे सहायक दस्तावेज के माध्यम से यथासंभव क्रॉस-सत्यापित किया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों ने संकेत दिया कि मौजूदा प्रावधान या तो अप्रभावी हैं या ईमानदारी से लागू नहीं किए गए हैं।

6.3 सीमा शुल्क विभाग द्वारा ईओ की निगरानी में कमी

परिपत्र[64] के साथ पठित सीमा शुल्क अधिसूचना[65] के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि आयातक को प्राधिकार जारी करने की तारीख से प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर सीमा शुल्क विभाग को ईओ की पूर्ति की सीमा का साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।

---

[64] **सं.16/2017 दिनांक 2 मई 2017.**

[65] **सं.16/2015 दिनांक 1 अप्रैल 2015**

यह पाया गया कि 14 आरएओं **(अनुलग्नक** 5.4) में ₹2,449.91 करोड़ के डीएसवी वाले 748 मामलों[66] में, एएच ने प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर सीमा शुल्क विभाग को ईओ पूर्ति का साक्ष्य पेश नहीं किया था। इस तथ्य के बावजूद कि सीमा शुल्क विभाग के पास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राधिकार के सापेक्ष किए गए आयातों तथा उन प्राधिकारों के सापेक्ष निर्यात आंकड़ों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध थे, विभाग ने एएच पर कोई स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की।

सीबीआईसी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि ब्लॉक-वार ईओ की निगरानी के लिए मौजूदा प्रावधान (परिपत्र 16/2017 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिसूचना 16/2015) मौजूद हैं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन के लिए पुन: अवगत कराया गया है। इसके अलावा, एडवेट (अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषण) के पास ईओ की निगरानी करने एवं जेएनसीएच में की गई स्थानीय पहलों की निगरानी तथा अलर्ट सुविधा के लिए तंत्र है। हालाँकि, डीजीएफटी के पास ईओ को विस्तारित/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है जिसका नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। फिर भी, सीबीआईसी के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को नीति निर्देशों के संबंध में पुन: अवगत कराया गया है एवं लेखापरीक्षा में में दर्शाए गए मामलों के लिए सीमा शुल्क विभाग से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से ब्यौरे मांगे गए।

6.4 डीजीएफटी में मामलों के निपटान में विलंब

एफटीपी 2015-20 के पैरा 2.58 में यह प्रावधान है कि डीजीएफटी सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को एफटीपी या किसी प्रक्रिया के किसी प्रावधान से वास्तविक कठिनाई एवं व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर छूट, छूट या राहत का आदेश दे सकता है या प्रदान कर सकता है, जैसा कि वह उचित या ठीक समझे। ऐसी छूट प्रदान करते समय, डीजीएफटी ऐसी शर्तें लगा सकता है, जैसा कि वह ईपीसीजी समिति से परामर्श करने के बाद उचित

---

[66] **आरए अहमदाबाद (34 मामले), आरए बेंगलुरु (97 मामले), आरए चेन्नई (10 मामले), आरए कोयंबटूर (1 मामले), सीएलए दिल्ली (134 मामले), आरए इंदौर (28 मामले), आरए जयपुर (2 मामले), आरए कानपुर (14 मामले), आरए कोच्चि (54 मामले), कोलकाता (231 मामले), आरए मुंबई (51 मामले), आरए पुणे (67 मामले), आरए सूरत (6 मामले), वाराणसी (19 मामले)।**

समझे, जो एएच से आवेदन स्वीकार करती है, जो पॉलिसी/प्रक्रिया में छूट की मांग करना चाहते हैं।

इसके अलावा, व्यापार सूचना 05/2021-22, दिनांक 19/5/21 के तहत, एफटीपी 2015-2020 के पैरा 2.58 के संदर्भ में पॉलिसी/प्रक्रियाओं में छूट की मांग करने वाले आवेदन स्वीकार करने के लिए एक ऑनलाइन ई-ईपीसीजी समिति मॉड्यूल पेश किया गया था।

ईपीसीजी समिति की बैठकों के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच से पता चला है कि ईपीसीजी समिति के पास वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित 1,178 मामलों में से 312 मामले (26 *प्रतिशत*) अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6.2 : मामलों के निपटान में देरी एवं लंबित मामलें

वर्ष	ईपीसीजी समिति द्वारा प्राप्त मामलों की संख्या	समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए मामलों की कुल संख्या		अन्य (रद्द/ स्थगित)	अंतिम शेष (लंबित मामले)
		अनुमोदित	खारिज कर दिया		
2018-19	526	161	108	87	142
2019-20	407	107	113	89	90
2020-21	245	88	94	20	80
कुल	**1,178**	**356**	**315**	**196**	**312**

डीजीएफटी ने कहा (अगस्त 2023) निर्धारित समय सीमा के भीतर आरए से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण अनुमोदन में देरी को स्वीकार करते हुए सभी आरए को दिनांक 07 जुलाई 2022 के ईमेल के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए। ईपीसीजी समिति लंबित मामलों को निपटाने के प्रयास कर रही है।

सिफारिश सं. 24

डीजीएफटी समयबद्ध और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णयन प्रक्रिया के बेहतर विनियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी और अधिनिर्णयन करने के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि डिमांड नोटिस/एससीएन जारी करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम पहले से ही चालू है जो डिफ़ॉल्ट मामलों को समय

पर निपटाना सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिनिर्णयन प्रक्रिया एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए समयसीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। हालाँकि, डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी जाएगी कि वे नियमित रूप से सुनवाई को स्थगित न करें और कानूनी सलाहकारों को सीमित स्थगन दें।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों में कहा गया है कि मौजूदा प्रावधान या तो अप्रभावी हैं या आरएओं द्वारा ईमानदारी से लागू नहीं किए गए हैं और दोनों ही मामलों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

6.5 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अपर्याप्तता

आरए द्वारा डीजीएफटी मुख्यालय को प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्ट में जारी किए गए, सरेंडर किए गए, मोचन किए गए एवं नियमित किए गए प्राधिकारों का विवरण एवं मोचन के लिए देय लेकिन मोचन नहीं गए प्राधिकारों का विवरण शामिल है। एमआईएस रिपोर्ट में उपयोग किए गए प्राधिकारों से संबंधित जानकारी, जैसे कि आयातित पूंजीगत माल, वास्तविक आयात के लिए सीआईएफ मूल्य, वास्तविक शुल्क छूट, निर्यात का एफओबी मूल्य, वास्तव में अर्जित विदेशी मुद्रा आदि शामिल नहीं थी।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का सुदृढ़ संचालन एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए पहली आवश्यकता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि समय पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग के लिए विभिन्न स्त्रोतों से पर्याप्त एवं उपयुक्त डेटा एकत्र किए जाएं। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में कुछ अपर्याप्तताएं थीं और ऐसी अपर्याप्तता के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

- आरए डीजीएफटी को उन मामलों में की गई कार्रवाई की प्रगति पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है जहां ईपीसीजी प्राधिकारों के I/II ब्लॉक समाप्त हो गए हैं या लाइसेंस की निर्यात दायित्व अवधि समाप्त हो गई है।

- जारी किए गए एससीएन की संख्या, लंबित अधिनिर्णयन आदेश आदि के बारे में सूचना नहीं दी जा रही है।

एचबीपी के प्रावधानों के अनुसार, यदि एएच ईओ को पूरा करने में विफल रहता है या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकारों/उपक्रमों की शर्त को लागू करेगा एवं कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा, जिसमें चूककर्ता निर्यातक को आगे प्राधिकारों देने से इनकार करना शामिल है। हालांकि, एफटीएंडडीआर अधिनियम, 1992 या उसके अंतर्गत बने नियमों या डीजीएफटी द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.6 सांख्यिकीय विवरण में विसंगतियां

क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) नियमित आधार पर डीजीएफटी मुख्यालय को एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें डीजीएफटी अपने डैशबोर्ड के लिए संकलित करता है। जारी किए गए प्राधिकार, अधित्यक्त शुल्क एवं निर्यात के एफओबी मूल्य के संबंध में एमआईएस रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड के आंकड़ों की तुलना वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए एमआईएस वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों से की गई एवं निम्नलिखित देखे गए:

तालिका 6.3: सांख्यिकीय विवरण में विसंगतियां

वर्ष	जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकारों की संख्या		अधित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)		निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	
	डैशबोर्ड	एमआईएस रिपोर्ट	डैशबोर्ड	एमआईएस रिपोर्ट	डैशबोर्ड	एमआईएस रिपोर्ट
2015-16	22,544	22,600	12,618	13,192	78,858	80,186
2016-17	23,101	23,095	13,471	13,895	84,118	82,628
2017-18	15,406	15,228	11,839	12,020	73,051	69,871
2018-19	13,175	12,795	15,902	16,954	96,257	1,02,568
2019-20	11,535	11,332	14,329	13,747	84,357	81,085
2020-21	10,066	10,060	11,800	12,482	58,900	68,512
कुल	**95,827**	**95,110**	**79,959**	**82,290**	**4,75,541**	**4,84,850**

एमआईएस वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अंदर भी, अध्याय II-निर्यात संवर्धन योजना के प्रदर्शन का सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत ईपीसीजी योजना के संबंध में जारी

किए गए प्राधिकारों की संख्या, अधित्यक्त शुल्क एवं निर्यात के एफओबी मूल्य - एवं अध्याय III - निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राधिकार एवं स्क्रिप: अखिल भारतीय स्तर, क्षेत्रवार एवं आरए वार भिन्न थे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 6.4: वर्ष 2020-21 के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट

वर्ष	जारी ईपीसीजी प्राधिकारों की संख्या		अधित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)		निर्यातों का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	
	एमआईएस रिपोर्ट (अध्याय II)	एमआईएस रिपोर्ट (अध्याय III)	एमआईएस रिपोर्ट (अध्याय II)	एमआईएस रिपोर्ट (अध्याय III)	एमआईएस रिपोर्ट (अध्याय II)	एमआईएस रिपोर्ट (अध्याय III)
2015-16	22,600	22,544	13,192	12,618	80,186	78,858
2016-17	23,095	23,101	13,895	13,471	82,628	84,118
2017-18	15,228	15,406	12,020	11,839	69,871	73,051
2018-19	12,795	13,175	16,954	15,902	1,02,568	96,257
2019-20	11,332	11,535	13,747	14,329	81,085	84,357
2020-21	10,060	10,067	12,482	12,484	68,512	68,523
कुल	**95,110**	**95,828**	**82,290**	**80,643**	**4,84,850**	**4,85,164**

डैशबोर्ड एवं एमआईएस वार्षिक रिपोर्ट के बीच तथा एमआईएस वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों के बीच सांख्यिकीय आंकड़ों का उपरोक्त बेमेल यह दर्शाता है कि एमआईएस वार्षिक रिपोर्ट संकलित करते समय आंकड़ों का कोई प्रति-सत्यापन अथवा मिलान नहीं किया जा रहा है एवं इसीलिए लेखापरीक्षा में आंकड़ों की सत्यता स्थापित नहीं की जा सकी, जो अनुचित डेटा रखरखाव एवं डीजीएफटी व आरए के बीच समन्वय की कमी तथा डीजीएफटी द्वारा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

डीजीएफटी ने कहा (अगस्त 2023) कि एमआईएस रिपोर्ट के आंकड़ों में अंतर इस तथ्य के कारण है कि डेटा दो अलग-अलग स्रोतों से संकलित किया जा रहा है। जबकि, ईपीसीजी योजना का पुराना डेटा मासिक आधार पर आरए से प्राप्त आयातों के आधार पर संकलित किया जा रहा है, जबकि अखिल भारतीय तालिका डीजीएफटी के विक्रेता से प्राप्त इनपुट के आधार पर संकलित की जाती है जिसमें एसईजेड के डेटा भी शामिल हैं, जो एमओसीआई डैशबोर्ड का आधार भी बनते हैं। नवीनतम

वार्षिक एमआईएस रिपोर्ट में प्रकाशित डेटा को किसी भी संदर्भ के लिए अंतिम डेटा माना जा सकता है।

एमआईएस रिपोर्ट में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त डेटा एवं विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए अखिल भारतीय डेटा के बीच बेमेल होने से बचा जा सकता है और इसे दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि एमआईएस का मुख्य उद्देश्य पूर्ण एवं सही सूचना देना है। इसके अलावा, उपयोग के विवरण, आवधिक रिटर्न प्रस्तुत न करने, ब्लॉक-वार ईओ की बैठक न करने के लिए की गई कार्रवाई आदि को शामिल करने के लिए रिपोर्ट की समीक्षा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

6.7 ईपीसीजी प्राधिकरणों के मोचन की स्थिति में असमानता

यह देखा गया कि डीजीएफटी से ईओडीसी की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन मोड में सूचना का कोई तरीका नहीं था। वर्तमान में ईओडीसी केवल भौतिक रूप में डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से एएच या अपने कस्टम हाउस एजेंट (सीएचए) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तथापि, जारी ईओडीसी का सत्यापन वेबसाइट-ईओडीसी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है तथा आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है।

डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराए गए मोचन आंकड़ों के विश्लेषण एवं ईओडीसी ऑनलाइन वेबसाइट से प्राप्त मोचन आंकड़ों से पता चला है कि सात आरएओं में ₹1,037.03 करोड़ के डीएसवी वाले 271 प्राधिकारों[67] को ईओडीसी वेबसाइट में मोचन के रूप में दिखाया गया था, जिन्हें डीजीएफटी **अनुलग्नक 5.5 (ए)** के मोचन आंकड़ों में नहीं दिखाया गया था।

इसके अलावा, 11 आरएओं में ₹3,096.74 करोड़ के डीएसवी वाले 226 प्राधिकारों[68] को अपडेट नहीं किया गया था जैसा कि ईओडीसी वेबसाइट **अनुलग्नक 5.5 (बी)** पर मोचन किया गया है।

---

[67] आरए इंदौर (3 मामले), आरए लुधियाना (99 मामले), आरए मुंबई (3 मामले), आरए पानीपत (125 मामले), आरए पुणे (7 मामले), आरए सूरत (12 मामले), आरए वाराणसी (22 मामले)।

[68] आरए अहमदाबाद (26 मामले), आरए बेंगलुरु (2 मामले), सीएलए दिल्ली (27 मामले), आरए जयपुर (53 मामले), आरए कानपुर (1 मामले), आरए कोलकाता (14 मामले), आरए लुधियाना (16 मामले), आरए मुंबई (3 मामले), आरए पुणे (8 मामले), आरए सूरत (43 मामले), आरए वाराणसी (33 मामले)।

ईओडीसी ऑनलाइन को अप्रैल 2018 में डीजीएफटी द्वारा निर्यातकों को ईओडीसी की स्थिति देखने की सुविधा के लिए विकसित किया गया था, एवं इसे आरए कार्यालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमित पैकेज के साथ ठीक से एकीकृत नहीं किया गया था। ईओडीसी ऑनलाइन को जनवरी 2023 में वापस ले लिया गया क्योंकि डीजीएफटी ने एक नया आईटी पैकेज विकसित किया है जिसमें एक अंतर्निहित तंत्र था। ईओडीसी की मैनुअल प्रोसेसिंग के कुछ मामलों की स्थिति ईओडीसी ऑनलाइन में गलत तरीके से दर्शाई गई थी। निर्यातकों को ईओडीसी की प्रति अपलोड करने का विकल्प प्रदान किया गया था, जहां ईओडीसी ऑनलाइन में स्थिति गलत तरीके से दर्शाई गई थी, ताकि आरए इसका ध्यान रख सके।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

ऐसे ही कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

आरए मुंबई एवं पुणे में, डीजीएफटी डेटा की डीजीएफटी के एलईएमआईएस डेटा के साथ तुलना से पता चला कि मोचन मामलों की स्थिति में असमानता थी, अर्थात डीजीएफटी डेटा के 136 मोचन ना किए गए मामलों में से, 10 मामलों का मोचन एलईएमआईएस डेटा में पाया गया। इसी प्रकार, डीजीएफटी आंकड़ों में मोचन किए गए 124 मामलों में से 50 मामलों का मोचन नहीं किया गया एवं 11 मामलों को एलईएमआईएस आंकड़ों के सत्यापन के बाद सरेंडर कर दिया गया।

इसी तरह, आरए कोलकाता में यह पाया गया कि 119 प्राधिकारों का डेटाबेस में मोचन किया गया था लेकिन ईओडीसी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया था।

विभिन्न आईटी प्रणालियों के बीच मोचन किए गए/ मोचन ना किए गए प्राधिकारों का बेमेल होना इंगित करता है कि आईटी प्रणालियों एवं इसके एकीकरण और डेटा प्रबंधन में कमियां थीं तथा पारदर्शिता व निगरानी के संबंध में चिंताएं भी हैं जिनका समाधान किए जाने तथा पर्याप्त रूप से समझने की आवश्यकता है।

आरए मुंबई ने कहा (मई 2023) कि बीओ पोर्टल की शुरुआत से पहले एलईएमआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था एवं वर्तमान में ईओडीसी/ मोचन करना वास्तविक समय में सीमा शुल्क में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

6.8 आरए द्वारा प्राधिकारों एवं ईओ पूर्ति की शर्तों की कमजोर निगरानी

एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 11 व धारा 13 के अनुसार, में अधिनिर्णयन प्राधिकारी को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत एससीएन जारी करने के बाद लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा ईओ को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।

लेखापरीक्षा ने आरए के लिए स्थापित तंत्र की समीक्षा की ताकि यह देखा जा सके कि एएच द्वारा प्राधिकार एवं ईओ की पूर्ति की शर्तों का अनुपालन किया गया है या नहीं, यह जांच की गई कि क्या एससीएन/ अधिनिर्णयन आदेशों की सूची विधिवत रखी गई है, एससीएन/ अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में कितना समय लगा एवं क्या कोई वसूली तंत्र स्थापित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम में या उसके अंतर्गत एससीएन जारी करने एवं उसके बाद के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। एससीएन/ अधिनिर्णयन आदेश जारी करने के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा के अभाव में, आरए लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन या ईओ की पूर्ति करने में विफलता के मामले में समय पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप एससीएन जारी करने/ अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में अत्यधिक विलंब होता है।

एचबीपी के प्रावधानों के अनुसार, यदि एएच ईओ की पूर्ति करने में विफल होता है या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार/शपथ-पत्र की शर्त को लागू करेगा एवं कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा, जिसमें चूककर्ता निर्यातक को आगे प्राधिकार देने से इनकार करना शामिल है। हालांकि, एफटीएंडडीआर अधिनियम, 1992 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या डीजीएफटी द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

कार्रवाई आरंभ करने के लिए पहला कदम एससीएन जारी करना, सहायक दस्तावेजों के साथ उत्तर प्राप्त करना, उत्तर एवं दस्तावेजों की जांच करना है, यदि उचित

समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी उचित आदेश पारित करेगा।

समय पर कार्रवाई शुरू न होने से राजस्व पर असर पड़ता है, जिसमें ब्याज के साथ-साथ डीएसवी की वसूली भी शामिल है, जो निगरानी तंत्र की कमजोरी को भी दर्शाता है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.9 डीजीएफटी द्वारा ईओ की निगरानी

एएच को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक संबंधित आरए को डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा ईओ की पूर्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी अनुमति है। संबंधित आरए आंशिक ईओ पूर्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, बशर्ते निर्यात प्रदर्शन निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए आनुपातिक रूप से पर्याप्त हो।

यह प्रावधान आरए को प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से नियमित आधार पर ईओ की पूर्ति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। पाया गया कि आरए ने प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति की निगरानी के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। विभिन्न आरए कार्यालयों में नमूना मामलों के सत्यापन से पता चला कि जाँचे गए सभी मामलों में, प्रगति रिपोर्ट प्राधिकार फाइलों में उपलब्ध नहीं थी।

नियमित रिटर्न्स पर जोर देने अथवा फाइल न करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय लागू करने के लिए आरए की ओर से निष्क्रियता कमजोर निगरानी तंत्र को इंगित करती है एवं परिणामस्वरूप विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है जिनका ईओ की पूर्ति करने के लिए अनुमत लंबी परिपक्वता अवधि के बाद मोचन नहीं किया गया है।

इन आवधिक रिटर्न का उद्देश्य प्रभावी निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों को निरंतर आधार पर अपडेट करना था और इसलिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा इस पर जोर दिया जाना चाहिए था। क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा डीजीएफटी को भेजी जाने वाली एमआईएस रिपोर्ट में गैर-फाइलरों के तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए था ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 25

निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति की वार्षिक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की आसान निगरानी के लिए इसे ऑनलाइन बनाया जा सकता है और भौतिक रिपोर्टिंग की मौजूदा प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि हर साल 30 जून तक ईओ की पूर्ति की रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान मौजूद है। वार्षिक रिपोर्टिंग के लिए आईटी मॉड्यूल पहले से ही चालू है। सीएजी के सुझाव को पहले ही लागू किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामलों में कहा गया है कि मौजूदा प्रावधानों को आरए द्वारा ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है एवं ईओ की पूर्ति पर अनिवार्य वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने और परिणामस्वरूप आरए द्वारा गैर-निगरानी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा डीजीएफटी को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि डीजीएफटी को भेजी गई एमआईएस रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट नहीं की जा रही है। नई प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति और इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

6.10 विविध लेखापरीक्षा टिप्पणियां

6.10.1 डीजीएफटी के कार्मिक स्वरूप की समीक्षा

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी मुख्यालय के साथ-साथ अपने क्षेत्रीय आयुक्तालयों (आरए) में कार्मिकों के स्वरूप एवं रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की, ताकि ईपीसीजी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी को सुनिश्चित करने में डीजीएफटी के सामर्थ्यता को प्रभावित करने की क्षमता वाले कार्मिकों की कमी की सीमा का पता लगाया जा सके।

यह पाया गया कि आरए कार्यालयों में कार्यात्मक पदों पर 76 *प्रतिशत* पद रिक्त थे। ईपीसीजी कार्यभार का लगभग 50 *प्रतिशत* संभालने वाले शीर्ष पांच आरए[69] कार्यालयों के संबंध में कार्मिकों की सीमा 27.79 *प्रतिशत* थी।

[69] **आरए चेन्नई, सीएलए दिल्ली, आरए कोलकाता, आरए मुंबई एवं आरए सूरत।**

तालिका 6.5: आरए कार्यालयों में स्वीकृत संख्या की तुलना में पीआईपी

क्र. सं.	संवर्ग	स्वीकृत संख्या (एसएस)	तैनात कार्मिक (पीआईपी)
1.	अपर महानिदेशक	**10**	**7**
2.	संयुक्त महानिदेशक	**29**	**21**
3.	उप महानिदेशक	**38**	**22**
4.	उप निदेशक	**2**	**1**
5.	सहायक महानिदेशक	**41**	**30**
6.	विदेश व्यापार विकास अधिकारी	**76**	**63**
7.	अनुभाग अधिकारी	**135**	**40**
8.	सहायक/पर्यवेक्षक	**310**	**59**
9.	यूडीसी / क्लर्क / ऑपरेटर	**877**	**179**
	कुल	**1,518**	**422**

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, डीजीएफटी मुख्यालय एवं आरए दोनों में कार्मिकों की भारी कमी थी एवं पर्याप्त संख्या में संचयित रिक्तियां थीं, जिससे न केवल ईपीसीजी बल्कि एफटीपी के अंतर्गत अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। तथापि, यह देखा गया कि डीजीएफटी ने एफटीडीओ (विदेश व्यापार विकास अधिकारी) के स्तर तक युवा पेशेवरों और परामर्शदाताओं को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

सिफारिश सं. 26

डीजीएफटी को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि डीजीएफटी ईपीसीजी योजना के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.10.2 निर्यात आय की प्राप्ति में विलंब

आरए अहमदाबाद में, यह देखा गया कि दो एएच के संबंध में निर्यात आय आरबीआई द्वारा निर्धारित नौ महीनों के भीतर प्राप्त नहीं की जा सकी, जिसमें छह दिनों से लेकर 607 दिनों तक का विलंब हुआ। प्रस्तुत फ़ाइल में प्राप्ति में विलंब का कोई कारण नहीं पाया गया। एफटी (डी एंड आर) अधिनियम के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई भी फ़ाइल में उपलब्ध नहीं थी।

डीजीएफटी ने कहा (अगस्त 2023) कि निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी आरबीआई द्वारा उनके नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। आरबीआई विभिन्न आधारों पर प्राप्ति की अवधि में विस्तार की अनुमति दे रहा है एवं निर्यातक निर्यात आय की प्राप्ति के बाद निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए इस कार्यालय से संपर्क करते हैं।

यह योजना हमारी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है और इसलिए निर्यात आय में किसी भी देरी/कम/गैर-प्राप्ति की निगरानी डीजीएफटी द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए, बजाय इसके कि इस पहलू की पुष्टि के लिए एएच द्वारा ईओडीसी के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा की जाए। डीजीएफटी प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए बैंक प्राप्ति के डेटा तक वास्तविक समय तक पहुंच के लिए सीमा शुल्क के समान ईडीपीएमएस पहुंच का अनुरोध कर सकता है।

6.10.3 ईपीसीजी योजना के अंतर्गत एसईजेड इकाई को डीटीए इकाई में परिवर्तित कर पूंजीगत वस्तुओं की अनियमित शुल्क मुक्त निकासी

मैसर्स ई4 लिमिटेड, जिसे आरए अहमदाबाद द्वारा ₹3.23 करोड़ (बाद में बढ़ाकर ₹74.88 करोड़) के डीएसवी के साथ प्राधिकार जारी किया गया था (नवंबर 2009), ने एसईजेड इकाई को डीटीए इकाई में बदलने का विकल्प चुना। विकास आयुक्त ने मैसर्स ई5 लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा आपूर्ति की गई ₹600 करोड़ की पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यांकन के आधार पर 'अंतिम निकास आदेश' जारी किया (फरवरी 2010)। हालाँकि, पूंजीगत वस्तुओं में ₹267.48 करोड़ मूल्य

के सिविल संरचना को शामिल किया गया है, जिन्हें एफटीपी के अंतर्गत वैध पूंजीगत वस्तुओं के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।

विभाग ने इस पर विचार किया एवं ₹360 करोड़ की राशि के निवल संयंत्र एवं मशीनरी (सिविल संरचना सहित) के मूल्यह्रास मूल्य पर ईपीसीजी प्राधिकार जारी किया। एफटीपी के अनुसार वैध पूंजीगत वस्तुओं में ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने के लिए सिविल संरचना, सीमेंट, स्टील शामिल नहीं होना चाहिए।

निर्दिष्ट अधिकारी कार्यालय, ई4 एसईजेड (अक्टूबर 2020) द्वारा जारी 'इन-प्रिंसिपल एग्जिट ऑर्डर' में उल्लेख किया गया था कि ₹360 करोड़ (20.74 *प्रतिशत*) के पूंजीगत माल के मूल्यह्रास मूल्य पर ₹74.88 करोड़ डीएसवी की गणना की गई है। सिविल संरचना को छोड़कर, यह राशि ₹74.88 करोड़ के स्थान पर ₹31.38 करोड़ (₹151.30 करोड़ का 20.74 *प्रतिशत*) होती है। यदि विभाग ने अयोग्य पूंजी को अस्वीकृत कर दिया होता, तो फर्म को लागू शुल्क के भुगतान पर उस पूंजीगत माल को बेचना पड़ता। इसके परिणामस्वरूप ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत एसईजेड इकाई को डीटीए इकाई में परिवतत करने के लिए ₹43 करोड़ (₹74.88 करोड़ - ₹31.38 करोड़) की पूंजीगत वस्तुओं की अनियमित शुल्क मुक्त निकासी हुई। ईपीसीजी प्राधिकार हालांकि नवंबर 2009 में जारी किया गया था, लेकिन अभी भी ईओडीसी के लिए लंबित है। विभाग को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए लागू ब्याज के साथ डीएसवी वसूल करना चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एसईजेड के विकास आयुक्त द्वारा जारी अंतिम निकास आदेश पर विचार करते हुए कार्यालय द्वारा प्राधाकार जारी किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ज्ञापन स्पष्टीकरण एवं अनुपालन के लिए फर्म को भेज दिया गया है।

6.10.4 लोहे के छर्रों के निर्यात पर प्रतिबंध के दौरान लाइसेंस जारी करना

कर्नाटक सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 से लौह अयस्क एवं लौह अयस्क छर्रों पर प्रतिबंध लगा दिया एवं निर्यात एवं आयात वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 26 (क्रम संख्या 104) के अनुसार, सीटीएच 26011210 के अंतर्गत वस्तुओं का निर्यात "केआईओसीएल

लिमिटेड द्वारा निर्मित लौह अयस्क छर्रों का निर्यात केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर या केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर द्वारा अधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा किया जाना है।

हालांकि यह देखा गया कि मैसर्स ई6 प्राइवेट लिमिटेड को ₹3.17 करोड़ (संशोधन कर ₹4.26 करोड़) के डीएसवी के साथ एक प्राधिकार (मई 2012) जारी किया गया था, जिसमें आयरन ऑक्साइड पेलेट का निर्यात दायित्व ₹25.40 करोड़ (संशोधन कर ₹34.14 करोड़) था। एएच ने चेन्नई सी (आईएनएमएए1) के माध्यम से ₹4.26 करोड़ के डीएसवी के लिए पूंजीगत माल आयात किया था।

विभाग ने प्रतिबंधित वस्तुओं के प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए लाइसेंस जारी किया।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.10.5 अयोग्य निर्यात

एफटीपी 2004-09 के पैरा 5.4 में कहा गया है कि ईओ को, योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं (सीजी) के उपयोग से निर्मित या उत्पादित किए जाने में सक्षम वस्तुओं के निर्यात से पूरा किया जाएगा।

मैसर्स ई7 लिमिटेड को तीन *प्रतिशत* योजना के अंतर्गत प्राधिकार जारी किया गया (फरवरी 2009) तथा लाइसेंस में उल्लिखित निर्यात मद "ग्लास कंटेनर्स" सीटीएच-7010 के स्थान पर "व्हाइट क्रिस्टल शुगर" सीटीएच-1701 के निर्यात द्वारा तीसरे पक्ष के निर्यात के माध्यम से एसईओ को पूरा किया गया।

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी नेक्सस सर्टिफिकेट के अनुसार, आयातित रिफ्रैक्टरीज का उपयोग कांच को पिघलाने, पिघले हुए कांच को फुलाने एवं कांच के कंटेनरों के निर्माण के लिए किया जाता है। निर्यातक कांच की बोतलों एवं कांच के कंटेनरों के निर्यात के लिए निर्माता निर्यातक के रूप में रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (सीएपीईएक्सआईएल) के साथ पंजीकृत भी है।

परिणामस्वरूप, एएच को ब्याज सहित ₹7.81 करोड़ का सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। आरए ईओ की अनियमित पूर्ति के लिए चेतावनी पत्र/एससीएन जारी करने में भी विफल रहा एवं एएच को ब्याज सहित सीमा शुल्क का भुगतान करने

के लिए सूचित करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू करने में भी विफल रहा। एएच द्वारा मोचन अयोग्य निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद आठ वर्ष बीत गए, लेकिन लाइसेंस का अभी तक मोचन नहीं किया गया है।

डीजीएफटी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि फर्म वैकल्पिक उत्पादों के माध्यम से निर्यात दायित्व की पूर्ति का दावा कर रही है। एफटीडीआर एक्ट के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा रही है।

6.10.6 गलत मोचन

प्राधिकार के साथ जारी शर्त पत्र के पैरा 2 के अनुसार, आयातित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से ईओ को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, एफटीपी 2009-14 के पैरा 5.4 के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं का आयात ईओ पूरा होने तक वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगा।

आरए कोयम्बटूर ने मैसर्स ई8 प्राइवेट लिमिटेड को "मशीनरी के विभिन्न भागों" के निर्यात के दायित्व के साथ ₹2.39 करोड़ के डीएसवी के साथ पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्राधिकार जारी किया एवं उपयोग किए गए वास्तविक डीएसवी के आधार पर, ईओ का संशोधन कर ₹14.35 करोड़ कर दिया गया एवं बनाए रखा जाने वाला वार्षिक औसत ₹149.18 करोड़ तय किया गया।

जनवरी 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान पूंजीगत वस्तुएं (नौ मशीनें) स्थापित की गईं एवं इनका उपयोग विभिन्न मशीनरी भागों के निर्माण एवं निर्यात के लिए किया जाना था। लाइसेंस का मोचन किया गया एवं 04 फरवरी 2022 को ईओडीसी जारी किया गया।

निर्यात 30 जून 2017 से 03 अगस्त 2017 (एलईओ तिथि) की अवधि के दौरान किए गए थे। नौ मशीनों में से, केवल तीन निर्यात से पहले स्थापित की गई थीं एवं शेष छह मशीनें 3 अगस्त 2017 के बाद स्थापित की गई थीं। इस प्रकार, इन शिपमेंट के सापेक्ष माल के निर्माण एवं निर्यात के लिए इनका उपयोग नहीं किया गया। चूंकि ये एसबी, छह मशीनों की स्थापना से पहले फाइल किए गए थे, इसलिए इन शिपिंग बिलों के सापेक्षक् ईओ को इन शिपमेंट से पहले स्थापित की गई उन तीन मशीनों के संबंध में एसईओ की पूर्ति के लिए गिना जा सकता है। चूंकि एएच, यह संतोषजनक रूप से साबित नहीं कर पाया है कि मोचन के

समय इन छह मशीनरी में से निर्यात किया गया था, इसलिए इन मशीनरी के सापेक्ष ₹1.20 करोड़ के उपयोग किए गए डीएसवी को ब्याज सहित वसूल किया जाना है।

डीजीएफटी ने बताया (अक्टूबर 2023) कि फर्म ने ईओ पूर्ति के लिए प्राधिकार में अनुमत नौ मशीनरी में से तीन मशीनरी के आयात की तारीख के बाद किए गए निर्यात को स्वीकार कर लिया है। इन मशीनरी को निर्यात उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा, फर्म एक स्थापित इकाई है जिसका निर्यात कारोबार अच्छा है। ईपीसीजी योजना का उद्देश्य निर्यातकों को अपने उत्पादन को बढ़ावा देने एवं देश में अतिरिक्त मुक्त विदेशी मुद्रा लाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति देना है। इस संदर्भ में, विगत वर्षों में प्राप्त निर्यात के स्तर को बनाए रखने के लिए प्राधिकार में औसत निर्यात दायित्व तय किया जाता है तथा मुख्य ईओ को औसत निर्यात दायित्व से और अधिक लिया जाता है।

उत्तर इस कारण स्वीकार्य नहीं है कि निर्यात अनिवार्य रूप से आयातित पूंजीगत माल से ही किया जाना है; यहां तक कि मोचन दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जांच सूची में भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या निर्यात मशीनरी की स्थापना की तिथि के बाद किया गया है, जिससे लेखापरीक्षा का तर्क सही सिद्ध होगा।

इसी प्रकार सीएलए दिल्ली में यह पाया गया कि चार मामलों में एएच द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की स्थापना से पहले ही ईओ को पूरा कर लिया गया था।

विभाग ने लाइसेंस की शर्त पत्र में लगाई गई शर्तों के उल्लंघन में उपरोक्त प्राधिकारों का मोचन किया। उपरोक्त प्राधिकारों में एएच द्वारा वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ता स्थिति के नियम का भी उल्लंघन किया गया था।

आरए ने बताया (अगस्त 2022) कि मैसर्स ई9 के मामले में, ईओपी (निर्यात दायित्व अवधि) प्राधिकार जारी करने की तारीख से शुरू हुई है, न कि पूंजीगत वस्तुओं की स्थापना के बाद से शुरू हुई है। पॉलिसी के पैरा 5.01 (सी) के अंतर्गत निर्यात दायित्व की तारीख लाइसेंस जारी करने की तारीख से मानी जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर विभाग द्वारा शर्त पत्र में बताई गई शर्त के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा जो उत्तर दिया गया है वह एफटीपी 2015-

20 के अंतर्गत है, जबकि लाइसेंस एफटीपी 2004-09 के अंतर्गत जारी किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.10.7 प्राधिकार जारी होने से पहले पूंजीगत वस्तुओं का आयात

मैसर्स ई10 को ₹0.29 करोड़ के डीएसवी एवं ₹2.30 करोड़ के ईओ के साथ प्राधिकार जारी किया गया (13 जनवरी 2010)। हालांकि यह पाया गया कि एएच ने प्राधिकार जारी होने से पहले 7 दिसंबर 2009 को पूंजीगत माल आयात किया था, जो अनियमित है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)। सीबीआईसी ने पत्तन-वार डेटा के लिए अनुरोध किया (सितंबर 2023) जिसे अक्टूबर 2023 में साझा किया गया। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.11 दस्तावेज प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा के दौरान, विस्तृत जांच के लिए चुने गए मामलों के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध एवं अनुस्मारक जारी किए गए थे। 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में ₹2,225.22 करोड़ के डीएसवी मूल्य वाले 214[70] प्राधिकारों की सूची, जिन्हें लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण **अनुलग्नक 5.6** में दिया गया है।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2024)।

6.11 निष्कर्ष

उचित दस्तावेजीकरण (मिनट्स) के साथ बैठकों का समय पर और नियमित संचालन, कार्रवाई योग्य मदों का अनुवर्तन, क्षेत्रीय प्राधिकरणों/सीमा शुल्क की ओर से निष्क्रियता के लिए जवाबदेही तय करने से आंतरिक नियंत्रण वातावरण मजबूत होगा।

---

[70] आरए बेंगलुरु (67 मामले), आरए चेन्नई (26 मामले), आरए कोयंबटूर (18 मामले), सीएलए दिल्ली (15 मामले), आरए हैदराबाद (2 मामले), आरए जयपुर (5 मामले), आरए कोलकाता (31 मामले), आरए लुधियाना (27 मामले), आरए मुंबई (2 मामले), आरए पानीपत (4 मामले), आरए पुणे (7 मामले), आरए सूरत (10 मामले)।

ईपीसीजी योजना से संबंधित व्यापार मुद्दों को इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से अंतिम रूप देने की आवश्यकता है और योजना के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र को संस्थागत बनाया जा सकता है।

विभिन्न आईटी प्रणालियों के बीच मोचन किए गए/मोचन ना किए गए प्राधिकारों का बेमेल होना इंगित करता है कि आईटी प्रणालियों एवं इसके एकीकरण और डेटा प्रबंधन की सीमाएं थीं तथा पारदर्शिता व निगरानी के संबंध में चिंताएं भी हैं जिनका समाधान किए जाने तथा पर्याप्त रूप से समझने की आवश्यकता है।

आरए की ओर से, नियमित रिटर्न के लिए जोर देने या रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय करने में निष्क्रियता देखी गई, जो कमजोर निगरानी तंत्र को दर्शाता है एवं परिणामस्वरूप विभाग को ईओ की पूर्ति करने के लिए दी गई लंबी अवधि के बाद भी शेष मामलों के बारे में जानकारी नहीं थी।

इन आवधिक रिटर्न का उद्देश्य प्रभावी निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों को निरंतर आधार पर अपडेट करना था और इसलिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा इस पर जोर दिया जाना चाहिए था। क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा डीजीएफटी को भेजी जाने वाली एमआईएस रिपोर्ट में गैर-फाइलरों के तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए था ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात आय की समय पर प्राप्ति की निगरानी डीजीएफटी द्वारा नहीं की गई थी। यह योजना हमारी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है और इसलिए निर्यात आय में किसी भी देरी/कम/गैर-प्राप्ति की निगरानी डीजीएफटी द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए, बजाय इसके कि इस पहलू की पुष्टि के लिए एएच द्वारा ईओडीसी के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा की जाए। डीजीएफटी प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए बैंक प्राप्ति के डेटा तक वास्तविक समय तक पहुंच के लिए सीमा शुल्क के समान ईडीपीएमएस पहुंच का अनुरोध कर सकता है।

डीजीएफटी मुख्यालय और आरएओं दोनों में स्टाफ की भारी कमी थी और पर्याप्त संख्या में संचयित रिक्तियां थीं, जिससे ईपीसीजी प्राधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन

और निगरानी को सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

नई दिल्ली **(सुबु आर.)**
दिनांक: 19 नवम्बर 2024 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 19 नवम्बर 2024 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अध्याय II: ईपीसीजी प्राधिकरण जारी करना

अनुलग्नक 1.1								
पैरा 2.1: विशिष्ट निर्यात दायित्व (एसईओ) की गलत गणना (करोड़)								
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	मामलों की संख्या	निर्धारित एसईओ	एसईओ निर्धारित किया जाना है	अंतर	अतिरिक्त निर्धारण	कम निर्धारण
1	बेंगलुरु	7	2	310.82	62.59	-248.23	248.23	
2	बेंगलुरु	7	1	34.40	210.10	175.70		175.70
3	दिल्ली	5	9	9.37	15.26	5.89		5.89
4	इंदौर	56	3	9.11	17.31	8.20		8.2
5	कोलकाता	2	12	534.61	695.82	161.21		161.2
6	लुधियाना	30	2	39.03	52.63	13.60		13.60
7	पानीपत	33	5	1.29	2.10	0.81		0.81
8	कानपुर	6	10	7.38	40.99	33.61		33.60
9	विशाखापट्टनम	26	2	0.22	0.50	0.28		0.28
10	पुणे	31	15	10.46	14.08	3.62		3.62
	कुल		**61**	**956.69**	**1111.38**		**248.23**	**402.90**

अनुलग्नक 1.2								
पैरा 2.2: एईओ की गलत गणना (करोड़)								
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	मामलों की संख्या	निर्धारित एईओ	एईओ को निर्धारित किया जाना है	अंतर	कम निर्धारण	अतिरिक्त निर्धारण
1	बेंगलुरु	7	19	5017.33	3043.73	-1973.60		1973.60
2	बेंगलुरु	7	30	6692.57	14019.54	7326.97	7326.97	
3	हैदराबाद	9	8	34082.54	34965.77	883.23	883.23	
4	दिल्ली	5	7	1038.28	4395.14	3356.86	3356.86	
5	चेन्नई	4	4	0.00	16508.89	16508.89	16508.89	
6	कोयम्बटूर	32	2	46.04	69.05	23.01	23.01	
7	अहमदाबाद	8	10	0	1950.39	1950.39	1950.39	
8	सूरत	52	8	0	4791.62	4791.62	4791.62	
9	पुणे	31	11	2410.76	0	-2410.76	0	
10	कानपुर	6	4	116.65	131.37	14.72	14.72	
11	कोलकाता	2	7	11385.96	12132.67	746.71	746.71	
12	लुधियाना	30	1	0.09	0.26	0.17	0.17	
13	पानीपत	33	5	564.3	664.98	100.68	100.68	
14	मुंबई	3	13	85393.04	0	-85393.04	0	
	कुल		**129**				**35703.25**	**1973.60**

अनुलग्नक 1.3									
पैरा 2.3: गलत टैरिफ दर को अपनाना									
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	मामलों की संख्या	डीएसवी (करोड़)	निर्धारित	निर्धारित किया जाना है	अंतर	कम निर्धारण (करोड़)	अतिरिक्त निर्धारण (करोड़)
1	दिल्ली	5	2	5.05	5.05	5.34	0.29	0.29	
2	कोलकाता	2	3	16.03	11.54	34.19	22.65	22.65	
			8	12.51	75.57	69.61	-5.96		5.96
3	कोच्चि	10	2	0.41	0.41	0.52	0.11	0.11	
	कुल		**15**	**34**	**29.51**	**109.66**		**23.05**	**5.96**

अनुलग्नक 1.4(क)				
पैरा 2.4.1: डीईएल के अंतर्गत रखे गए आवेदकों को ईपीसीजी प्राधिकरण जारी किए गए				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरणों की संख्या	जीएसवी (करोड़)
1	बेंगलुरु	7	42	125.12
2	पुणे	31	9	4.06
3	विशाखापत्तनम	26	1	0.10
4	लुधियाना	30	20	11.67
5	पानीपत	33	1	0.06
	कुल		**73**	**141.01**

अनुलग्नक 1.4(ख)				
पैरा 2.4.1: एकाधिक स्थगन आदेश				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरणों की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	बेंगलुरु	7	14	9.82
2	मुंबई	3	12	63.82
3	पुणे	31	9	12.13
	कुल		**35**	**85.77**

अनुलग्नक 1.5				
पैरा 2.5.2 अपात्र वस्तुओं का आयात				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	चेन्नई	4	3	97.82
2	बेंगलुरु	7	19	71.07
3	मुंबई	3	4	0.28
4	वाराणसी	15	4	0.8
5	कानपुर	6	1	0.48
6	लुधियाना	30	3	0.24
7	अहमदाबाद	8	1	0.34
	कुल		**35**	**171.03**

अनुलग्नक 1.6 (क)				
अनुच्छेद 2.6: दस्तावेजों का सत्यापन				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	कोलकाता	2	3	4.41
2	कोच्चि	10	1	1.27
3	बेंगलुरु	7	12	153.56
4	कानपुर	6	3	0.65
	कुल		**19**	**159.89**

अनुलग्नक 1.6(ख)				
अनुच्छेद 2.6: दस्तावेजों की सत्यता				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	ड्यूटी की बचत (करोड़)
1	इंदौर	56	1	1.70
2	मुंबई	3	3	230.96
3	पुणे	31	6	6.48
4	कोलकाता	2	1	1.42
	कुल		**11**	**240.56**

अनुलग्नक 1.7(क)				
पैरा 2.9: प्राधिकरण जारी करने में विलंब				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	देरी की सीमा
1	दिल्ली	5	3	1 - 30 दिन
2	कोलकाता	2	2	1 - 30 दिन
3	चेन्नई	4	5	1 - 30 दिन
4	कोयम्बटूर	32	8	1 - 30 दिन
5	मुंबई	3	23	1 - 30 दिन
			2	31 से 90 दिन
6	पुणे	31	8	1 - 30 दिन
7	वाराणसी	15	1	1 - 30 दिन
			1	31 से 90 दिन
8	अहमदाबाद	8	70	1 - 30 दिन
			2	31 से 90 दिन
9	सूरत	52	110	1 - 30 दिन
			2	31 से 90 दिन
			3	90 दिन से ज्यादा
10	कानपुर	6	1	1 - 30 दिन
11	इंदौर	56	10	1 - 30 दिन
12	लुधियाना	30	5	1 - 30 दिन
13	पानीपत	33	4	1 - 30 दिन
			1	90 दिन से ज्यादा
14	हैदराबाद	9	15	1 - 30 दिन
			1	31 से 90 दिन
15	विशाखापट्टनम	26	9	1 - 30 दिन
16	बेंगलुरु	7	42	1 - 30 दिन
17	जयपुर	13	48	1 - 30 दिन
			1	31 से 90 दिन
			2	90 दिन से ज्यादा
	कुल		**379**	

अनुलग्नक 1.7(ख)				
पैरा 2.9: डेफिशिएंसी लेटर (डीएल) जारी करने में देरी				
क्रम संख्या	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**देरी सीमा**
1	इंदौर	56	12	1 - 30 दिन
			5	31-90 दिन
2	मुंबई	3	11	1 - 30 दिन
			2	31-90 दिन
3	पुणे	31	2	1 - 30 दिन
4	विशाखापट्टनम	26	2	1 - 30 दिन
5	बेंगलुरु	7	16	1 - 30 दिन
			1	31-90 दिन
	कुल		**51**	

अध्याय III: ईपीसीजी प्राधिकरणों का उपयोग

अनुलग्नक 2.1				
पैरा 3.2.1 निर्धारित अवधि के भीतर आयात पूरा नहीं किया गया				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	कोयम्बटूर	32	3	0.08
2	वाराणसी	15	1	0.37
3	इंदौर	56	22	21.48
4	मुंबई	3	3	1061.40
		Total	**29**	**1083.33**

अनुलग्नक 2.2(क)				
पैरा 3.2.2 निर्धारित अवधि के भीतर आयातित पूंजीगत माल संस्थापित नहीं किया गया				
क्र सं	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	1	0.04
2	कोलकाता	2	19	32.87
3	कोच्चि	10	3	14.65
4	वाराणसी	15	3	1.66
5	जयपुर	13	10	33.61
	कुल		**36**	**82.84**

अनुलग्नक 2.2 (ख)				
पैरा 3.2.2: आयात का विवरण, समय का विस्तार या स्थापना आरए द्वारा बनाए रखा मामला फाइल में उपलब्ध नहीं था				
क्र सं	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	35	81.42
2	मुंबई	3	33	320.64
3	पुणे	31	52	39.93
4	कोलकाता	2	33	182.36
5	वाराणसी	15	64	50.36
6	कानपुर	6	21	14.83
7	सूरत	52	39	19.88
8	अहमदाबाद	8	48	106.53
9	इंदौर	56	5	7.05
10	कोच्चि	53	1	0.23
		10	11	2.36
12	बेंगलुरु	7	114	490.07
	कुल		**456**	**1315.67**

अनुलग्नक 2.2 (ग)				
पैरा 3.2.3: स्थापना प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया				
क्र सं	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	हैदराबाद	9	68	152.25
2	कोलकाता	2	16	34.83
3	कानपुर	6	7	5.17
4	लुधियाना	30	26	10.03
5	चेन्नई	4	9	4.64
6	कोयम्बटूर	32	7	18.34
	कोयम्बटूर	35	2	0.18
7	पानीपत	33	34	27.93
	कुल		**169**	**253.37**

अनुलग्नक 2.3				
पैरा 3.2.4: विलंबित जमा				
क्र सं	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	कोच्चि	53	1	0.15
		10	1	3.03
2	चेन्नई	4	9	16.13
3	कोयम्बटूर	35	10	7.93
		32	31	34.48
4	मुंबई	3	13	53.51
5	कोलकाता	2	9	3.54
6	कानपुर	6	3	0.71
7	विशाखापट्टनम	26	5	0.73
8	लुधियाना	30	23	6.13
9	पानीपत	33	73	394.95
	कुल		**178**	**521.28**

अनुलग्नक 2.4				
पैरा 3.4.1: शुल्क मुक्त आयात के लिए प्राधिकार अमान्य नहीं है एवं न ही पंजीकरण के बंदरगाह को सूचित किया गया है				
क्र सं	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	वाराणसी	15	1	0.08
2	जयपुर	13	26	90.16
3	मुंबई	3	7	21.51
	कुल		**34**	**111.75**

अनुलग्नक 2.5				
अनुच्छेद 3.5.1: क्लबिंग के लिए अनुमत भुनाया गया प्राधिकरण				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	कोयम्बटूर	32	9	0.87
2	वाराणसी	15	1	0.11
3	जयपुर	13	2	18.76
4	हैदराबाद	9	17	71.56
	कुल		**29**	**91.29**

अनुलग्नक 2.6				
पैरा 3.6: सीमा शुल्क से आवश्यक अनुमति के बिना अन्य बंदरगाहों के माध्यम से किए गए आयात				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	कोलकाता	2	3	0.90
2	लुधियाना	30	74	65.03
3	जयपुर	13	8	70.52
4	मुंबई	3	3	862.89
5	पुणे	31	3	0.38
	कुल		**91**	**999.72**

अनुलग्नक 2.7 (क)				
पैरा 3.7 विनिदष्ट सीमा से अधिक आयात				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	वाराणसी	15	7	3.54
2	कोच्चि	53	1	0.05
3	बेंगलुरु	7	3	0.74
4	दिल्ली	5	4	50.39
5	मुंबई	3	6	101.13
6	कोयम्बटूर	32	1	50.13
	कुल		**22**	**205.99**

अनुलग्नक 2.7 (ख)				
पैरा 3.7 आयात बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया गया				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	बेंगलुरु	7	3	0.74
2	मुंबई	3	3	4.57
3	वाराणसी	15	9	3.86
4	जयपुर	13	7	9.38
5	दिल्ली	5	1	0.07
	कुल		**23**	**18.63**

अनुलग्नक 2.8 (क)				
पैरा 3.8.1: ईओ को पूरा नहीं किया गया था एवं एएच ने समय बढ़ाने की मांग नहीं की				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	56	13.27
2	कोच्चि	10	4	5.08
3	बेंगलुरु	7	77	407.94
4	मुंबई	3	40	107.83
5	कानपुर	6	11	10.02
6	जयपुर	13	1	3.99
7	पुणे	31	24	40.51
8	कोलकाता	2	24	63.36
	कुल		**237**	**652.00**

अनुलग्नक 2.8 (ख)				
पैरा 3.8.2: पहला ब्लॉक विस्तार नहीं लिया गया				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	2	14.34
2	इंदौर	56	5	3.11
3	वाराणसी	15	11	12.51
4	अहमदाबाद	8	35	111.71
5	सूरत	52	18	9.34
6	मुंबई	3	9	22.11
7	पुणे	31	12	23.17
	कुल		**92**	**196.30**

अनुलग्नक 2.8 (ग)				
पैरा 3.8.2: दूसरा ब्लॉक विस्तार नहीं लिया गया				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	बेंगलुरु	7	77	407.94
2	वाराणसी	15	7	10.52
3	अहमदाबाद	8	55	1025.21
4	सूरत	52	48	4466.97
5	मुंबई	3	31	357.92
6	पुणे	31	12	0.84
	कुल		**230**	**6269.40**

अनुलग्नक 2.8 (घ)				
पैरा 3.8.5: ईओ अवधि में विस्तार के लिए 90 दिनों के भीतर अनुरोध नहीं किया गया था				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	17	10.84
2	बेंगलुरु	7	5	4.12
3	वाराणसी	15	17	10.16
4	कानपुर	6	3	0.94
	कुल		**42**	**26.07**

अनुलग्नक 2.8 (ड़)				
पैरा 3.8.5: ईओ अवधि में विस्तार के लिए आरए को 90 से 180 दिनों से ज्यादा अनुरोध किया गया था				
क्रम संख्या	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	1	0.09
2	बेंगलुरु	7	2	1.20
3	वाराणसी	15	13	2.31
4	कानपुर	6	1	0.04
	कुल		**17**	**3.64**

अध्याय IV: अप्रतिदेय ईपीसीजी प्राधिकरण

अनुलग्नक 3.1					
पैरा 4.1 अप्रतिदेय लाइसेंसों पर डीजीएफटी की डम्प डाटा एवं एमआईएस रिपोर्ट के बीच बेमेल					
क्रमांक	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**मामलों की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**	**ईओ लगाया गया (करोड़)**
1	दिल्ली	5	51	352.86	3923.61
2	कोलकाता	2	48	253.81	1422.32
3	कोच्चि	10	11	2.08	16.00
4	चेन्नई	4	55	473.90	3139.38
5	कोयम्बटूर	32	54	94.17	634.93
6	बेंगलुरु	7	100	609.27	3562.58
7	हैदराबाद	9	18	30.22	140.11
8	मुंबई	3	74	4009.05	29980.90
9	पुणे	31	59	112.97	849.43
	कुल		**470**	**5938.33**	**43669.26**

अनुलग्नक 3.2				
पैरा 4.2: अप्रतिदेय प्राधिकरणों की गैर-निगरानी				
क्र.सं.	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	दिल्ली	5	44	299.93
2	कोच्चि	10	7	0.69
3	चेन्नई	4	14	335.42
4	कोयम्बटूर	32	28	38.98
5	बेंगलुरु	7	44	282.53
6	वाराणसी	15	11	12.95
7	कानपुर	6	40	43.38
8	अहमदाबाद	8	32	233.80
9	सूरत	52	46	3837.09
10	लुधियाना	30	48	13.66
11	पानीपत	33	40	188.57
12	कोलकाता	2	38	165.61
13	मुंबई	3	39	413.71
14	पुणे	31	37	11.02
	कुल		**468**	**5877.34**

अनुलग्नक 3.3							
पैरा 4.3: पहले ब्लॉक के पूरा होने के बाद अधूरा ईओ							
क्रम संख्य	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)	लगाया गया ईओ (करोड़)	प्रथम ब्लॉक (करोड़)	शुल्क प्रभाव (करोड़)
1	दिल्ली	5	58	149.07	894.4	447.2	74.53
2	इंदौर	56	10	5.67	34.02	17.01	2.83
3	कोलकाता	2	6	115.7	92.3	46.15	57.85
4	चेन्नई	4	16	15.9	95.14	47.6	7.9
5	कोयम्बटूर	32	12	7.57	45.41	22.8	3.78
6	बेंगलुरु	7	47	64.35	351.94	175.97	32.2
7	मुंबई	3	16	51.26	307.56	153.8	25.63
8	पुणे	31	20	6.48	37.87	18.93	3.24
9	कानपुर	6	11	33.53	201.2	100.6	16.8
10	विशाखापट्टनम	26	3	0.65	3.85	1.92	0.32
11	अहमदाबाद	8	35	111.71	660.15	330.07	55.85
12	सूरत	52	18	15.77	56.11	28.05	7.9
13	लुधियाना	30	5	3.08	18.5	9.25	1.54
14	पानीपत	33	14	31.3	187.84	93.84	15.65
15	हैदराबाद	9	31	30.16	181.37	90.68	15.08
	कुल		**302**	**642.20**	**3167.66**	**1583.87**	**321.10**

अध्याय V: ईपीसीजी प्राधिकरणों का विमोचन

अनुलग्नक 4.1 (क)				
पैरा 5.1: शिपिंग बिलों के बदले शपथ पत्र दायर करना				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	एफओबी (करोड़)
1	चेन्नई	4	19	397.87
2	कोयम्बटूर	32	17	75.15
3	मुंबई	3	14	646.75
4	कानपुर	6	23	19.52
5	हैदराबाद	9	19	149.12
6	अहमदाबाद	8	3	3.22
7	सूरत	52	6	621.67
8	विशाखापत्तनम	26	1	1.7
9	दिल्ली	5	42	17.02
10	बेंगलुरु	7	32	42.22
11	पुणे	31	18	71.31
12	लुधियाना	30	5	3.28
13	पानीपत	33	8	65.88
	कुल		**207**	**2114.71**

अनुलग्नक 4.2					
पैरा 5.2: एईओ एवं एसईओ दोनों के लिए समान शिपिंग बिलों का उपयोग					
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)	एफओबी (करोड़)
1	चेन्नई	4	1	0.12	0.66
2	वाराणसी	15	1	1.32	7.89
3	कानपुर	6	5	0.92	5.41
4	हैदराबाद	9	1	0.11	0.83
5	लुधियाना	30	4	8.02	51.49
6	मुंबई	3	5	24.00	144.02
	कुल		**17**	**34.49**	**210.3**

अनुलग्नक 4.3				
पैरा 5.5: आवश्यक दस्तावेजों के बिना विशोधन आवेदन				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	कोच्चि	10	1	0.024
2	कोयम्बटूर	32	2	5.63
3	पुणे	31	2	0.24
4	वाराणसी	15	12	2.47
5	कानपुर	6	1	0.28
6	जयपुर	13	30	339.79
7	लुधियाना	30	2	0.1
	कुल		**50**	**348.53**

अनुलग्नक 4.4 (क)				
पैरा 5.6 ईओडीसी की कार्रवाई करने एवं उसे जारी करने में विलंब				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	दिल्ली	5	17	22.21
2	इंदौर	56	60	41.5
3	कोलकाता	2	60	297.52
4	कोच्चि	10	15	6.80
5	चेन्नई	4	13	19.4
6	कोयम्बटूर	32	23	14.25
7	मुंबई	3	37	1147.63
8	पुणे	31	58	216.20
9	वाराणसी	15	54	7.80
10	कानपुर	6	44	12.40
11	जयपुर	13	50	226.2
12	बेंगलुरु	7	26	0
13	अहमदाबाद	8	64	70.38
14	सूरत	52	74	222.92
15	विशाखापट्टनम	26	82	39.84
16	लुधियाना	30	2	1.21
17	पानीपत	33	64	67.26
18	हैदराबाद	9	27	113.04
	कुल		**770**	**2526.56**

अनुलग्नक 4.4 (ख)				
पैरा 5.6 डीएल जारी करने में विलंब				
क्र.सं.	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	दिल्ली	5	13	70.07
2	चेन्नई	4	8	15.53
3	बेंगलुरु	7	3	0.60
4	मुंबई	3	23	414.83
5	पुणे	31	27	112.36
6	कानपुर	6	15	6.99
7	विशाखापट्टनम	26	38	16.95
8	हैदराबाद	9	3	1.34
9	लुधियाना	30	1	0.043
	कुल		**131**	**638.71**

अनुलग्नक 4.4 (ग)				
पैरा 5.6: विभिन्न त्रुटि ज्ञापन				
क्रम संख्या	**आरए**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	चेन्नई	4	1	0.69
2	पुणे	31	6	52.33
3	मुंबई	3	10	207.46
4	हैदराबाद	9	5	92.75
5	दिल्ली	5	7	12.03
6	कानपुर	6	3	1.66
	कुल		**32**	**366.92**

अनुलग्नक 4.5 (क)				
पैरा 5.7: लाइसेंस के विशोधन के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा चूक				
क्र.सं.	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	कोच्चि	10	12	9.01
2	वाराणसी	15	31	15.17
3	अहमदाबाद	8	1	45.32
4	मुंबई	3	37	215.72
5	पुणे	31	48	61.92
	कुल		**129**	**347.14**

अनुलग्नक 4.5 (ख)				
पैरा 5.7 सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने ईओडीसी जारी होने के बाद बीजी/बॉण्ड को बंद नहीं किया था				
क्र.सं.	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	दिल्ली	5	4	0.96
2	कोलकाता	2	35	93.13
3	कोच्चि	10	1	2.13
4	बेंगलुरु	7	2	34.95
5	वाराणसी	15	28	17.93
6	कानपुर	6	21	7.94
7	अहमदाबाद	8	11	19.02
8	सूरत	52	1	0.2
9	मुंबई	3	20	574.17
10	पुणे	31	37	176.04
	कुल		**160**	**926.47**

अनुलग्नक 4.6					
पैरा 5.9: एसईओ/एईओ की गैर-पूर्ति					
क्र.सं.	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरण की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**	**ईओ लगाया गया (करोड़)**
1	कोलकाता	2	23	32.03	319.71
2	कोयम्बटूर	32	2	10.79	85.7
3	चेन्नई	4	1	5.21	31.49
4	बेंगलुरु	7	1	85.00	510
5	वाराणसी	15	8	5.11	35.05
6	कानपुर	6	1	0.20	0.45
7	हैदराबाद	9	1	1.30	7.74
8	जयपुर	13	1	0.07	0.57
9	अहमदाबाद	8	3	18.70	147.34
10	सूरत	52	17	958.50	7666.57
11	लुधियाना	30	9	13.35	92.89
12	पानीपत	33	28	285.80	2289.40
13	मुंबई	3	14	2539.12	20187.33
14	पुणे	31	8	12.21	96.39
	कुल		**117**	**3967.39**	**31470.63**

अनुलग्नक 4.7					
पैरा 5.10: एसईओ की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले अयोग्य शिपिंग बिल					
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	डीएसवी (करोड़)	ईओ लगाया गया (करोड़)
1	पुणे	31	5	0.72	4.79
2	मुंबई	3	9	237.66	1741.96
3	वाराणसी	15	13	5.14	35.15
4	लुधियाना	30	5	1.02	6.02
5	कोयम्बटूर	32	2	0.23	1.05
	कुल		**34**	**244.77**	**1788.97**

अनुलग्नक 4.8				
पैरा 5.11: निर्यात प्राप्तियों की विलंबित वसूली				
क्र.सं.	आरए नाम	आरए कोड	प्राधिकरण की संख्या	बीआरसी राशि (करोड़)
1	सूरत	52	3310	6434.48
2	पुणे	31	3062	1626.48
3	जयपुर	13	9446	6825.32
4	कोयम्बटूर	35	2320	462.44
5	विशाखापट्टनम	26	1042	738.35
6	वाराणसी	15	698	133.32
7	कोच्चि	10	932	225.21
8	लुधियाना	30	2773	829.16
9	कोलकाता	2	243	9723.22
10	पानीपत	33	890	1267.55
11	दिल्ली	5	25	1.47
12	चेन्नई	4	4	3.05
13	मुंबई	3	21	27.89
	कुल		**24766**	**28297.93**

अध्याय VI: अंतर विभागीय समन्वय एवं प्रणालीगत मुद्दे

अनुलग्नक 5.1				
पैरा 6.1.4 एमईएस में ईओडीसी संसूचित/अपलोड नहीं किया गया				
क्रमांक	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**मामलों की संख्या**	**डीएसवी (करोड़)**
1	बेंगलुरु	7	126	90.72
2	कोयम्बटूर	32	1	2.05
3	कोच्चि	10	42	21.66
4	मुंबई	3	17	442.55
5	पुणे	31	34	174.78
6	वाराणसी	15	1	0.16
	कुल		**221**	**731.92**

अनुलग्नक 5.2				
पैरा 6.1.5: सीमा शुल्क द्वारा आकस्मिक सत्यापन				
क्रमांक नहीं.	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**मामलों की संख्या**	**डीएसवी (करोड़ में)**
1	अहमदाबाद	8	29	67.83
2	बेंगलुरु	7	157	782.16
3	चेन्नई	4	62	163.65
4	कोयम्बटूर	32	40	77.14
5	दिल्ली	5	82	95.75
6	इंदौर	56	37	33.82
7	जयपुर	13	2	0.17
8	कानपुर	6	137	66.81
9	कोलकाता	2	278	597.22
10	मुंबई	3	71	1711.2
11	पुणे	31	105	517.62
12	सूरत	52	60	10.9
13	वाराणसी	15	28	11.07
	कुल		**1088**	**4135.34**

अनुलग्नक 5.3					
पैरा 6.2: एसईओ के निर्धारण में आईजीएसटी को शामिल न करना					
क्रमांक	आरए नाम	आरए कोड	मामलों की संख्या	आईजीएसटी राशि (करोड़ में)	गैर/लघु पूर्ति ईओ (करोड़ में)
1	कोयम्बटूर	32	1	1.51	9.08
2	दिल्ली	5	11	1.62	9.71
3	कानपुर	6	10	2.5	14.99
4	विशाखापट्टनम	26	3	0.35	1.92
5	जयपुर	13	1	2.01	12.06
6	अहमदाबाद	8	3	1.26	7.56
7	लुधियाना	30	15	11.12	66.67
8	पानीपत	33	34	8.42	50.5
9	इंदौर	56	5	1.23	7.46
10	हैदराबाद	9	1	8.66	51.96
	कुल		**84**	**38.68**	**231.91**

अनुलग्नक 5.4				
पैरा 6.4 सीमाशुल्क विभाग द्वारा ईओ की निगरानी न करना				
क्रमांक	आरए नाम	आरए कोड	मामलों की संख्या	डीएसवी (करोड़)
1	इंदौर	56	28	24.74
2	दिल्ली	5	134	109.56
3	कोलकाता	2	231	459.04
4	कोच्चि	10	54	27.65
5	कोयम्बटूर	32	1	0.72
6	चेन्नई	4	10	44.17
7	बैंगलुरु	7	97	377.85
8	कानपुर	6	14	13.35
9	जयपुर	13	2	0.17
10	अहमदाबाद	8	34	152.55
11	सूरत	52	6	0.81
12	वाराणसी	15	19	2.66
13	मुंबई	3	51	1084.71
14	पुणे	31	67	151.93
	कुल		**748**	**2449.91**

अनुलग्नक 5.5 (क)				
पैरा 6.7: ईओडीसी वेबसाइट में दिखाए गए भुनाए गए मामले डीडीजीएफटी विशोधन डेटा में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं				
क्रमांक	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरणों की संख्या**	**डीएसवी (करोड़ में)**
1	इंदौर	56	3	9.95
2	सूरत	52	12	10.70
3	लुधियाना	30	99	105.95
4	पानीपत	33	125	846.3
5	वाराणसी	15	22	9.45
6	मुंबई	3	3	1.96
7	पुणे	31	7	52.72
	कुल		**271**	**1037.03**

अनुलग्नक 5.5 (ख)				
पैरा 6.7: भुनाए गए मामले ईओडीसी वेबसाइट में अद्यतन नहीं किए गए				
क्रमांक	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरणों की संख्या**	**डीएसवी (करोड़ में)**
1	दिल्ली	5	27	54.17
2	कोलकाता	2	14	99.07
3	बेंगलुरु	7	2	0.16
4	कानपुर	6	1	0.08
5	अहमदाबाद	8	26	94.58
6	सूरत	52	43	2551.56
7	वाराणसी	15	33	2.89
8	लुधियाना	30	16	3.65
9	पुणे	31	8	56.08
10	मुंबई	3	3	2.63
11	जयपुर	13	53	231.87
	कुल		**226**	**3096.74**

अनुलग्नक 5.6				
पैरा 6.11: दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए				
क्रमांक	**आरए नाम**	**आरए कोड**	**प्राधिकरणों की संख्या**	**डीएसवी मान (करोड़ में)**
1	बेंगलुरु	7	67	137.24
2	चेन्नई	4	26	121.02
3	कोयम्बटूर	32	18	15.72
4	दिल्ली	5	15	369.68
5	हैदराबाद	9	2	6.28
6	जयपुर	13	5	4.57
7	कोलकाता	2	31	383.44
8	लुधियाना	30	27	188.35
9	मुंबई	3	2	1.69
10	पानीपत	33	4	786.62
11	पुणे	31	7	200.88
12	सूरत	52	10	9.73
	कुल		**214**	**2225.22**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/audit-report